हकीकत किताबेवी प्रकाशन न० : 8

ईमान और इस्लाम

इतिकाद नामा का एनोटेटड तर्जुमा

अज़ीम वली, अल्लाह तआला की बरकत से नवाज़े गये, हर मामले में आला इंसान, नायाब

इल्म के मालिक, मज़हब सच्चाई और सच की रौशनी

मौलाना ज़ियाउद्दीन ख़ालिद अल बग़दादी

के ज़रिये

27वां ऐडीशन

हकीकत किताबेवी

दारूश्शफेका जद 53 पी.के : 35 **34083**

फोन: 90.212.523 4556 - 532 5843 फैक्स: 90.212.523 3693

http://www.hakikatkitabevi.com
e-mail: info@hakikatkitabevi.com

fatih-istanbul/Turkey

नोट

इतिकाद नामा किताब के लेखक, मौलाना ज़ियाउद्दीन ख़ालिदुल बग़दादी अल उसमानी कुद्दीसा सिरूह (सन. 1192, AH./1778- बग़दाद के उत्तरी शहर जूर में पैदा हुऐ और 1242/1826 में के डमसकस में वफात पाये), मौलाना को अल उसमानी कहते है क्योंकि यह तीसरे ख़लीफा हज़रत उसमान ज़िन्नूरैन (रज़िअल्लाहु तआला अन्हो) की औलादों में से है। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन ख़ालिद अल बग़दादी जब अपने भाई हज़रत मौलाना मुहम्मद साहिब को मशहूर आलिम अन नववी की लिखी हुई हदीस शरीफ **"अल हदीस अल अरबाऊन"** की दूसरी हदीस **"हदीस अल जिबरील"** पढ़ा रहे थे तो उनके भाई हज़रत साहिब ने उनसे यह इलतिजा की के आप यह हदीस की शरह लिखे। मौलाना ज़ियाउद्दीन ख़ालिद अल बग़दादी अपने भाई से बहुत मोहब्बत रखते थे उन्होंने अपने भाई की इस इलतिजा को कुबूल किया और इस हदीस शरीफ को फारसी ज़बान में पूरी शरह से लिखा और इस किताब का नाम **'इतिकादनामा'** रखा। इसका तुर्की तर्जुमा **"हेरकेसी लाज़ीम ओलान ईमान"** को सन 1969 में अंग्रेज़ी तर्जुमा किया गया जिसका नाम है **'Belief and Islam'** फ्रेन्च ज़बान में इसका नाम (**Foi et Islam**), जर्मनी ज़बान में (**Glavbe and Islam**) हे बाद में इस किताब का तर्जुमा कई ज़बानों में किया गया जैसे तमिल, योरूबा, हवासा, मलयालम और दानीश। अल्लाह तआला इस किताब के पढ़ने वालों और मासूम नौजवानों को हिदायत अता फरमाये और अहलै सुन्नत वल जमाअत के उल्लेमा के मुताबिक सही इतिकाद (ईमान) सीखने की तौफीक अता फरमाये ।

पब्लिशर नोट

अगर कोई इस किताब को इसकी असली शक्ल में छपवाना चाहे या किसी और ज़बान में तर्जुमा करके छपवाना चाहे तो उसको हमारी तरफ से इजाज़त है।जो लोग इस किताब के तर्जुमे या छपवाने में हिस्सा लेंगे हम अल्लाह तआला से उनके लिये दुआ करेंगे और उनके शुक्रगुज़ार रहेंगे।हमारी यह इलतिजा है कि अगर कोई इस किताब को छपवाए तो इसके पेजों की क्वालिटी अच्छी हो सही तरीके और बिना ग़लती के छपवाए ।

चेतावनी ईसाई मिशनरी अपनी बातों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, यहूदी लोग भी अपनी बातों को फैलाने की कोशिश में लगे हुऐ हैं।हकीकत किताबेवी जोकि इस्तानबुल में हैं इस्लाम को फैलाने की जद्दोजहद कर रही हैं।जबकि बहुत लोग इस्लाम को नुकसान पहुँचाने में लगे हुऐ है जो इन्सान अक़्ल रखता है जानकारी रखता है और दिल से सही रास्ते की तलब करता है तो वह यकीनन सीधी राह को पा लेगा।जितनी भी राह उसे मिले वो उनमे से वह राह चुनेगा जो इंसानियत की निजात के लिये हो।और कोई भी राह इंसानियत की निजात से बढ़कर नही हो सकती।इस्लाम किसी एक के लिये नही है बल्कि पूरी इन्सानियत के लिये है और हमारा मक़सद इन्सानियत की भलाई के लिये ही है।

"सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम" इस दुआ को कलिमा-ए-तन्ज़ीह कहते है।जब इसे सुबह में **100** दफा पढ़ा जाये तो इससे उस शख़्स के तमाम गुनाह माफ फरमा दिये जाते है और उसे आगे गुनाह करने से भी बचा लिया जाता है। महान वली और आलिम इमामे रब्बानी कुद्दीसा सिरूह के ज़रिए लिखी यह दुआ **307**वें और **308**वें खुतूत **मकतूबात** किताब में मौजूद हे और इसके तुर्की तर्जुमा भी अब हासिल है ।

TYPEST AND PRINTED IN TURKEY BY :

IHLAS GAZETECILIK 29 Ekim Cad. No.23 YENIBOSNA ISTANBUL/TURKEY TEL: 90.212.454.3000

पेश लफ्ज़

बिस्मिल्लाह से करता हुँ शुरू किताब।

पनाह हे क्या खुब या नाम रब्बे करीम।

उसकी नेमतों की न हद हे ना हिसाब

अफ्रू को करता है पसन्द. वो रब्बे रहीम

अल्लाह तआला दुनिया के सभी लोगों पर रहम करता है। उनकी ज़रूरीयात की चीज़ों को तख़लीक फरमा कर सब को भेजता हे। इन्हे अबदी साअदत के हसूल का रास्ता दिख़ता है। लोगा को जो अपनी नफ्स, बुरे दोस्तो, नुकसानदेह किताबों और योरोपी रेडयो वगेराह से बहक कर साअदत से भटक गए, जो कुफ्र और ज़लालत के रास्ते पर चल निकले, फिर पछताकर अफ्रू की तलब हुए इन्हे हिदायत से नवाज़ता हे। इन्हे अबदी फलाकत से निजात देता हे। वे रेहमों और ज़ालीमों को ये नेमत एहसान नही फरमाता। इन्हे कुफ्र के उस रास्ते पे ही छोड़ देता है जिस को इन्होने पसन्द किया और जिस की तलब रख़ी ।

आख़िरत मे अल्लाह तआला जिसको चाहेगा माफ करेगा चाहे वह लोग जहन्नम में जाने वाले हो तो अल्लाह उनको माफ करके जन्नत में डाल देगा। अल्लाह तआला ही अकेला हर चीज़ को बनाने वाला है उसी ने सब को और इन्सानों को बनाया है। और ये ही हम सबको बुरी बला से बचाता है और हमारी हिफाज़त करता है। अल्लाह तआला की मदद मांगते हुऐ हम इस किताब की शुरूआत कर रहे है।

हम्द हो अल्लाह तआला की और उसके महबूब पैग़म्बर मुहम्मद 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' पर सलातो सलाम हो। उस अज़ीम पैग़म्बर 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' के पाक अहले बैत और आदिल व सादिक सहाबा-ए-किराम 'रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम' में से हर किसी के लिए दुआ-ए-ख़ैर हो।

दीने इस्लाम के इतिक़ादात, अवामिर व नवाही से मुतालिक़ हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, उनमे से बहुत सी किताबों के मुख़्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा हुई और सभी मुल्कों में बाँटी गई ।इसके बरअक्स ग़लत सोच, तंग नज़र और फिरंगी जासूसों से धोखें खाने वाले जाहिल उलेमाए दीन और ज़िंदीक हमेशा इस्लाम के मुफीद, बाफैज़ और नूरानी अहकाम यानी अवामिर और नवाही पर हमला करते रहे, दाग़दार करते रहे, तब्दील करने और मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश में लगे रहे है।

अब हमें शुफ़ करना चाहिए कि उलमाए इस्लाम दुनिया में हर जगह, इस्लामी ईतीक़ाद की नशर व इशाअत और मुदाफआ करते नज़र आते है। इस्लामियत सहाबा-ए-किराम से सुनकर किताबें तहरीर करने वाले हक़ रास्तें पर चलने वाले उलेमा को उलेमाए **अहले सुन्नत वल जमाअत** कहते है। पर चंद हज़रात ऐसे भी हैं जिन्होंने उलेमाए अहले सुन्नत की किताबों का मुताअला किये बग़ैर या समझे बग़ैर कुरान करीम और अहादीस शरीफ से ग़लत मायनें

निकाले और ग़ैर मौजूद तकरीरों के मुरतकिब हुए। ऐसी बातें और तहरीरें मुसलमानों के मज़बूत ईमान के सामने जम न सकी।

अगर कोई शख़्स ख़ुद को मुसलमान कहे या जमआत के साथ नमाज़ पढ़ता नज़र आये तो उसके मुसलमान होने का पता चलता है। बाद अज़ान, उसकी किसी बात से, तहरीर या किसी हरकत से, उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत की बयान की हुई ईमान की मअलुमात से इख़्तिलाफ की अक्कासी हो तो उसके कुफ़्र या ज़लालत पर होने के मुताल्लिक़ उसे शहज़ा बयान कर दिया जाता है। उसे इस अमल से बाज़ आ जाने और तौबा करने की नसीहत की जाती है। अपनी कम अक़्ली और बदफहमी से काम लेते हुए अगर उस अमल से बाज़ न आए तो समझलेना चाहिए की वो शख़्स गुमराह, मुरतद या फिर फिरंगी काफिरों के हाथों बिका हुआ है। चाहे वो नमाज़ पढ़े, हज अदा करे, हर तरह की इबादत और नेकियाँ करता रहे, वह हलाकत से बच नही पाएगा। कुफ़्र की तरफ ले जाने वाले अमल से बाज़ आये बग़ैर वो मुसलमान नही हो सकता। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो कुफ़्र की राह पर ले जाने वाले आमाल के बारे में ख़ूब इल्म रखे और ख़ुद को मुरतद होने से महफ़ूज़ रखे।

अपने गुनाहों से तौबा करने से मुराद है कि अपने गुनाहों पर ग़मगीन होना, अल्लाह तआला से बख़्शिश और माफी माँगना, और इस दुआ को पढ़ना; "अस्तग़फिरूल्लाहुल अज़ीमु अल लज़ी, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैहि", और वो गुनाह दोबारा न करने का वादा करना।

काफिरों, मुसलमानों की शक्ल में पाए जाने वाले ज़िन्दीकों और फिरंगी जासूसों को अच्छी तरह जानकर ख़ुद को उनकी शर से बचाते रहना चाहिए।

रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने ख़बर दी कि कुरअन करीम और अहादीस के ग़लत मायनें निकाले जायेंगे और इस नतीजे से बाहत्तर (72) फिरके वजूद में आएंगे। **बरीका** और **हदीका** नाम की किताबें इस हदीस शरीफ को बुख़ारी और मुस्लिम से नक़्ल करती है। अज़ीम आलिम-ए-इस्लाम और दीन के प्रोफेसरों के नाम से पैदा हुए इन गुमराह फिरकों के लोगों की किताबों और कॉन्फ्रेंसों से धोखा नही खाना चाहिए। दीन व ईमान के इन शरों से बचने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इन जाहिल मुसलमानों के अलावा एक तरफ कम्युनिस्ट और संगतराश, दूसरी तरफ ईसाई मिशीनरीज़, फिरंगियों के हाथों बिके वहाबी और यहूदी कुव्वते नये-नये तरीकों से मुसलमान नौजवानों को बहकाने की कोशिश में लगे हुए है। खुद की बनाई हुई तहरीरों, रेडियो, टेलिवीज़न, फिल्मों और थियेटरों के ज़रिये ईमान को ख़त्म करने पर अमादा हैं। इस मकसद के लिए अरबों रूपय खर्च कर रहे हैं। उलमाए इस्लाम इन सबके मुनासिब जवाबात पहले ही दे चुके है, हूजूर और निजात का रास्ता दीने इलाही में ही बताया गया है।

उलमाए हक में से हमने आलिमुल इस्लाम मौलाना ख़ालिदुल बग़दादी उस्मानी की किताब **इतिकाद नामा** को चुना है। मरहूम हाजी फैज़ुल्लाह अफेंदी किमाही ने इस किताब का तुर्की ज़बान में तर्जुमा करके **फराईज़ुल फवाइद** नाम दिया और **1312** हिजरी में मिस्र में छापी गई। इस तर्जुमे को हमने इस किताब में **ईमान और इस्लाम** नाम दिया है। इसमे की गई वज़ाहतों को हमने [ ] निशान में रखकर बयान किया है। किताब की नशरो इशाअत हमें नसीब करने पर हम अल्लाह तआला का बेइन्तेहा शुक्र अदा करते है। इस किताब की असल इस्तानबुल यूनिवर्सिटी कुतुब खाने में (इब्नुल अमीन महमूद कलाम डिपार्टमेट f. 2639) **इतिकाद नामा** के नाम से मौजूद है।

दुर्र-उल-मुख़्तार में काफिर के निकाह पर लिखा है: अगर कोई निकाह शुदा मुसलमान लड़की अपने बालिग़ होने पर इस्लाम का इल्म न रखे तो निकाह टूट जाता है। (यानी वो लड़की मुरत्तद हो जाती है।) यह ज़रूरी है कि उसे अल्लाह तआला की सिफात बताये जायें और उनको वो दुहराये और कहे कि मैं उन पर ईमान लाई। इब्ने आबिदीन (रहमतुल्लाहि अलैहि) ने इसकी वज़ाहत करते हुए कहा: लड़की कमसिनी में माँ-बाप के तावे थी तो मुसलमान थी। बालिग़ होने के बाद अपने माँ-बाप के दीन के तावे होना ख़त्म हो जाता है। ईमान की छः शराइत जान कर उनपर ईमान लाये बग़ैर और इस बात पर ई मान लाये बग़ैर कि इस्लाम पर अमल करना ज़रूरी है, चाहे वो ज़बान से **कलमा-ए-तौहीद** यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे। फिर 'आमन्तु बिल्लाहि...,' में पाई जाने वाली छः चीज़ों को जान कर उन पर ईमान लाना और अल्लाह के अवमिर व नावाही के कुबूल का ज़बान से इकरार करना उसके लिए ज़रूरी है। इब्ने आबिदीन के इन अल्फाज़ से पता चलता है कि एक काफिर जब कलमा-ए-तौहीद पढ़ता है और इसके माईने पर ईमान ले आता है तो उसी पल मुसलमान हो जाता है। लेकिन हर मुसलमान की तरह जब भी मौका मिले तो उसके लिए ज़रूरी है कि **"आमन्तु बिल्लाहि व मलाईकतिहि व कुतुबिही व रूसुलिहि व यवमिल आखिरि व बिल क़दरि ख़ैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला व बासु बादिल मौत हक्कुन अशहदुअन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदू अन्ना मुहम्मदन अबदुहु व रसूलुहू।"** पढ़े। और उसके लिए लाज़िम है कि इस ईमान की बुनयाद शराइत के माईने किसी आलिमे दीन से अच्छी तरह समझ ले। एक मुसलमान बच्चा अगर इन छः शराइत और इस्लाम की तअलिम को ना समझेगा और उन पर ईमान लाने का इकरार ना करेगा तो आकिल और बालिग़ होने पर वो मुरतद हो जायेगा। ईमान पर आने के बाद यह फौरन फर्ज़ हो जाता है कि वो **इस्लाम की तअलीम** को सीखे और तफ्तीश करे। यानी **फ़र्ज़** और **हराम**, वुज़ू कैसे करे, गुस्ल, नमाज़ कैसे अदा

करे और सतर कहाँ तक छुपाए वग़ैरह। अगर कोई शख़्स इन चीज़ों के बारे में किसी से पूछे तो उसपर फर्ज़ हो जाता है कि वो उसे बताए या सही इस्लामी किताब ढूढने में मदद करे अगर वो उससे जवाब न ढूँढ पाये तो उसपे फर्ज़ है कि वो कही और ढूँडे। (ऐसा ही मुस्लिम लड़कियों पर फर्ज़ है।) अगर वो न ढूँढे तो वो काफिर है। जब तक वो जवाब ना ढूँढले यह ज़िम्मेदारी उनपे फर्ज़ हो जाती है। वो मुसलमान जो मुकर्रर वक़्त पर फर्ज़ पूरे नही करता और हराम काम करता है वो जहन्नम की आग में जलेगा यह किताब **ईमान और इस्लाम** इन छः बुनियादों का ईल्म बयान करता है। हर मुसलमान को यह किताब पढ़नी चाहिए और अपने बच्चों को और जानने वालों को पढ़वाने में अपना ज़ोर लगाना चाहिए। अवरत हिस्से **सआदते अबदिया** के चौथे जिल्द में बयान है।

हमारी किताब में आयातुल करीमा के माईने लिखते हुए 'मफहूमन इर्शाद किया गया' लिखा जाता है यहाँ मफहूमन कहे जाने का मतलब 'उलेमाए तफसीर के बयान के मुताबिक' कहे गये अल्फाज़ है। क्योंकि आयते करीमा के हकीकी माईने सिर्फ रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने समझे और अपने सहावा-ए-किराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम) को बयान फरमाये। मुफस्सिरीनों ने इन अहादीस शरीफों को उन अहादीस से अलग कर दिया जो मुनाफिकीन व फिरंगी काफिरों के हाथों बिके ज़िन्दकीयों यानी बद मज़हब दीनी उलेमा की जानिब से गढ़ी गई थी। और जो अहादीस वो ना पा सके उनके मुत्तालिक उन्होंने इल्मे तफसीर से इसतेफादा करते हुए, आयते करीमा से माईने निकाल लिये। अरबी जानने वाले मगर इल्मे तफसीर से बेख़बर जाहिलों की समझी गई बात को तफसीरे कुरअन नही कहा जा सकता। इसी लिए हदीस शरीफ में इर्शाद फरमाया गया है: **"कुरअन करीम को अपने समझ के मुताबिक माईने देने वाला काफिर होगा।"**

अल्लाह तआला हम सबको उलेमाए अहले सुन्नत वल जमाअत के बताए सीधे रास्ते पर कायम रखे इस्लाम के जाहिलों के और खुद को अज़ीम आलिमे इस्लाम जैसे नामों से बुलवाये जाने वाले बद मज़हबीयों के और मुनाफिकों के सुनहरे पोशीदा झूठों के फरेब में आने से महफूज़ रखे!

तमाम किताबें जो बहुत सी ज़बानों में प्रकाशित हुई है वह इंटरनेट के ज़रिये मुकम्मल दुनिया में फैलाई जा रही हैं।

ध्यान दें: ईसाई मिशनरीयों ईसाइयत के फैलाने की जद्दोजहद कर रही है यहूदी तल्मूड के प्रचार की कोशिश कर रही है इस्लाम को प्रचारित करने की संगतराश, मज़हबों को मिटाने की जद्दोजहद कर रहे है।एक ईमानदार, ज़िम्मेदार और सीखा हुआ शख़्स अपना तर्क इस्तेमाल करेगा और सही को इख़्तियार करेगा।सही की हिमायत में ऐलान के ज़रिये यह मानव जाति के लिए एक मतलब की तरह पहुँचे और दुनिया और इसके बाद में भी खुशी हासिल करेगा।

आज की दुनिया में मुसलमान तीन ऐहम गुटों में बटें है।पहले गुट में सच्चे मुसलमान है जो सहाबा अल इकराम के नक्शे कदम पर चलते आ रहे है।इन्हे अहले सुन्नत वल जमाअत या सुन्नी मुसलमान और या फिरका-ए-नाजिय्या कहा जाता है जिसका मतलब यह है कि इस गुट ने अपने आप को दोज़ख़ से बचा लिया है।दूसरा गुट सहाबाओं के दुश्मनों का है।इन्हे शिया या फिरका-ए-दाय्ला कहा जाता है यानि भटकाने वाला गुट।तीसरा गुट शिया और सुन्नी दोनों के लिए दुश्मन है।इन्हे वहाबी या नजदीस कहा जाता है।इनकी पेदाईश अरब की है नज्द से इन्हे फिरका-ए-मेलना भी कहा जाता है जो लोग इस गुट में है उनको काफिर मुसलमान कहा जाता है।और हमारे मुबारक नबी ने ऐसे लोगों पर लानत भेजी है जो इस तरह के मुस्लिम कहलाए

जाते है मुसलमानों की यह तीन पक्षीय हाल काफिरों और बिट्रीश की साज़िश का नतीजा है।

हर मुसलमान को **ला इलाहा इल लल्लाह** हमेशा कहना चाहिए अपनी नफ्स के तज़कीया के लिए ताकि अपने आप को जहालत ओर गुनाहों से साफ रख सके जो की इसकी तबीयत में निहीत है और हमेशा **अस्तग़फिरूल्लाह** पढ़ना चाहिए इसके दिल के तसफीया के लिए ताकि यह अपने आप को ग़ैर अकाईद और गुनेहगारी से बचाया जा सके। जो इसके दिल पे लाद दिये गए है इसकी नफ्स पे रियायत के नतिजे के तौर पर ये शैतानी ग़लत संगत और नुकसान दायक पढ़ाई में है। उन लोगों की इबादतें कुबूल कर ली जाएंगी जो इस्लाम पर अमल करते है और अपने गुनाहों से तौबा करते है अगर कोई शख़्स अपनी पाँच वक़्त की नमाज़ें अदा नही करता और उन औरतों को देखता है जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से नही ढक रखा या फिर किसी औरत के बे नकाब हिस्से को और या जो खाना पीना हराम है उनको खाता पीता है। तो यह समझा जाना चाहिए के यह इस्लाम पर अमल नही करता। और इसकी इबादतें कुबूल नही होगी।

मिलादी	हिजरी शम्सी	हिजरी क़मरी
2001	**1380**	**1422**

इफतिताह

मौलाना ख़ालिद अल बग़दादी कुद्दूसी सिरूह ने अपनी किताब शुरू करने से पहले इमामे रब्बानी अहमद फारूकी सरहिन्दी (रहमतुल्लाहि अलैहि) की किताब मकतूबात की तीसरी जिल्द का 17वां मकतूब लिखकर अपनी किताब को ज़ीनत व बरकत देनी चाही है इमामे रब्बानी (वफात 1034 [1624 A.D.] इस मक़तूब में यूँ फरमाते है:

"मैं अपने मक़तूब को बिस्मिल्लाह से शुरू करता हूँ। तमाम तारीफें उस अल्लाह तआला के लिए है जिसने हम पर ईनाम किया और हमें इस्लाम की रहनुमाई की और हमें सय्यदुल अनाम हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की उम्मत में बनाया। हमें जानना चाहिए की अल्लाह सुवाहानहु तआला ईनाम अता करने वाला है अगर वजूद है तो अल्लाह तआला ही की ईनायत है और बका है तो वो भी अल्लाह तआला ही की तरफ से है और अगर सिफात कमाल है तो उसी की रहमत शामिल है। ज़िन्दगी व दानाई व तवानाई व बिनाई व सनबाइ और गोयाई सब अल्लाह ही की बारगाह से मिला है और तरह-तरह की नेअमतें और किस्म-किस्म के करम जो हद और गिनती से बाहर है। सख़्ती का मामला भी वही फरमाता है और दुआओं की कुबूलियत भी वही करता है। वो रज़्ज़ाक है कि अपनी कमाल मेहरबानियों से बन्दों के रिज़्क को गुनाहों के सबब से नहीं रोकता। वो पर्दा पोश है, जो इन्सानों के गुनाह छुपाए रखता है और उनकी पर्दा दरी नही करता। यह बुर्दबार है कि उन की सज़ा व मवाख़िज़ा में जल्दी नही करता, वो करीम है कि अपने आम करम को दोस्त व दुश्मन से रोके नहीं रखता और उन नेअमतों में से सब से बड़ी नेअमत इस्लाम की दावत है। और दारूल इस्लाम की रहनुमाई और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की मुताबिअत कि हमेशा की ज़िन्दगी और दवामी

नेअमतें इस से वाबस्ता है और अल्लाह तआला की रज़ा और उसकी मुलाकात उससे मुताल्लिक़ है। मुख़्तसर यह है कि यह ईनाम व इकराम व एहसान चांद व आफताब से ज़्यादा रौशन है। दूसरो का ईनाम उसकी कुदरत देने और ताकत देने से है। बेवकूफ भी अकलमन्दों की तरह इसी मायनें का इकरार करते है और ग़बी भी ज़हीन की तरह इस अम्र के मोतरिफ है। और शक नही कि हिदायत अक़्ल के शुक्र का वुजूद रखती है और उसकी ताज़ीम व तौकीर को लाज़िम जानती है। अल्लाह तआला का शुक्र जोकि हक़ीकी है, हिदायते अक़्ल से वाजिब हुआ और अल्लाह तआला की ताज़ीम व तैकीर लाज़िम ठहरी। चूंकि अल्लाह तआला कमाल दर्जा पाक है और बन्दे इन्तिहाई दर्जा की गन्दगी में हैं, अपनी कमाल बेमुनासवती से वो क्या मालूम कर सकेंगे कि अल्लाह तआला की ताज़ीम व तकरीम किस चीज़ में है। बहुत दफा ऐसा हो सकता है कि उस की जनाबे अकदस की शान में बाज़ उमूर को लोग अच्छा समझे और फिल हकीकत उस के नज़दीक वो बुरे हों और वो ताज़ीम ख़्याल करें और वो तौहीन हो वो तकरीम तसव्वुर करें और वो तहकीर हों जब तक की अल्लाह तआला की ताज़ीम व तकरीम इसी की जनाबे अकसद से न हो शुक्र के लायक न होगी और न उस की इबादत के काबिल होगी। क्योंकि वो हम्द जो उनकी तरफ से होगी वो हो सकता है कि वो ऐब हो जाये। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के रास्ते को इख़्तियार करना चाहिए। उन के रास्ते को **इस्लाम** कहा जाता है। मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की इत्तबाअ करने वाले को **मुसलमान** कहा जाता है। और अल्लाह तआला के शुक्र की अदाएगी यानी शरीयत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर चलने को **इबादत** कहा जाता है। उलूमे इस्लाम दो किस्मों पर मुशतमिल है: उलूमे दीन और उलूमे सांईस। उलूमे दीन को भी दो में तकसीम किया जाता है: 1 वो तालीमात जिन पर दिल से इतिकाद करना यानी ईमान लाना ज़रूरी है। उन्हें **उसूले दीन** या **ईमान** कहा जाता है। 2 वो तालीमात जिनमें

इबादत के मुताल्लिक़ बताया गया है जो बदन दिल से अदा की जाती है उन्हें **अहकामुल इस्लामिया** या **शरीयत** कहा जाता है।

कलिमा-ए-तौहीद का कहना और उसके सच्चे मायनों पर यकीन करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। कलिमा-ए-तौहीद; **"ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह"** है, और इसका मतलब है: "अल्लाह एक है और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) उसके रसूल है।" इस सच पर यकीन रखने का मतलब है "ईमान होना" और एक "मुसलमान होना"। एक शख़्स जिसके पास ईमान है उसे **मोमिन** और **मुस्लिम** कहते है। ईमान कायम रहना चाहिए। इसलिए उन कामों से बचना चाहिए या उन चीज़ों को नही करना चाहिए जो कुफ़्र लाती हो।

कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। अल्लाहु तआला ने अपने अल्फाज़ एक फरिश्ते जिबराईल (अलैहिस्सलाम) के ज़रिये अपने रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर नाज़िल किये। कुरान करीम के लफ्ज़ अरबी ज़बान में है। कुरान करीम के लफ्ज़ आयतों में भेजे गये यानी हरूफों और लफ्ज़ जो अल्लाह तआला ने इकट्ठा किये। इन अल्फाज़ों में कलामे इलाही है। इन अल्फाज़ों और हरूफों के मजमुये को **कुरान करीम** कहते है। कलामे इलाही में जो माईने है वो भी कुराने करीम है। कुरान करीम का यह पहलू यानी कलामे इलाही कोई मख़्लूक नही है, यह हमेशा कायम रहने वाला यानी अज़ली व अबदी है, अल्लाह तआला की बाकी सिफातों की तरह। हर साल जिबराईल (अलैहिस्सलाम), मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम), अल्लाह के पैग़म्बर के पास आते और उन आयतों को दोहराते जो भेजी जा चुकी है और उसी तरह लौहे महफ़ूज़ में जोड़ते रहते। और हमारे मुबारक नबी उसी तरह दोहराते थे। जब दुनिया के सबसे आला इंसान को आख़िरत का तोहफा मिलने वाला था तब सबसे बड़े फरिश्ते ने आप के पास आ कर दो बार कुराने करीम दोहराया

था। हमारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) और कई सहाबाओं ने पूरा कुरान करीम हिफ़्ज़ किया था। जिस साल अल्लाह के महबूब को आख़िरत की इज़्ज़त बख़्शी गई उस वक़्त अल्लाह के पैग़म्बर के पहले ख़लीफा, हज़रत अबू बकर सभी सहाबियों के साथ आए जिन्होंने दिल से कुरान का हिफ़्ज़ कर रखा था और कुछ हिस्से लिख भी चुके थे, उनके साथ एक कमेटी बनाई। आसमानी किताव **मुशहफ** यानी लिखी हुई कुरान करीम तब सामने आई। **33** हज़ार सहाबाओं ने मिलकर यह फैसला लिया की मुशहफ का एक एक लफ़्ज़ अपनी सही शक्ल और सही जगह पर है।

मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की गुफ्तगू को **हदीस शरीफ** कहते है। हदीस शरीफ जिनके मायनें अल्लाह तआला से मुतासिर है हालांकि उन्हें मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने ही बयान किया है **हदीसे कुदुसी** कहलाती है। हदीस शरीफ की कई किताबें है। **बुख़ारी** और **मुस्लिम** सबसे जानी मानी है। अल्लाह तआला का हुक्म, सीख और यकीन **ईमान** कहलाता है, जिन्हे करना लाज़िम है वो **फ़र्ज़** है, और जिनसे मनाही है वो **हराम** है फ़र्ज़ और हराम मिलके **अहकामुल इस्लामिया** कहलाते है। एक शख़्स जो इस्लाम की एक चीज़ से भी इंकार करता है उसे **काफिर** कहते है।

दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने दिल को साफ करना। जब 'दिल' कहा जाता है तो दो चीज़ें समझ आती है। एक गोश्त का टुकड़ा जो हमारे सीने में है, तकरीबन हर इंसान यही कहेगा। इस तरीके का दिल तो जानवरों में भी होता है। दूसरी तरह का दिल पोशीदा होता है। दूसरे दिल को मन भी कहते है। यह वो दिल है जो मज़हबी किताबों में लिखा है। यह वो दिल है जिसमे इस्लामी तालीम होती है। यह वो दिल भी है जो यकीन भी करता है और इंकार भी। जो दिल यकीन करता है वो पाक है। जो दिल इंकार करता है वो नापाक है। वो मुर्दा है। यह हमारा पहले फ़र्ज़ है कि दिल को साफ करें। इबादत जैसे

नमाज़ पढ़ना और कलमा-ए-इस्तग़फार पढ़ना दिल को साफ करता है। हराम करना दिल को नापाक बनाता है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया: **"इस्तग़फार कसरत से पढ़ो! अगर कोई शख़्स मुसलसल इस्तग़फार पढ़ता है तो अल्लाह तआला उसे बीमारियों और अज़ाबों से बचाता है। उसे रिज़क उन जगहों से भेजता है जहाँ वो कभी सोच भी नही सकता।"** इस्तग़फार का मतलब है **इस्तग़फिरूल्लाह** कहना। जब इंसान मुसलमान हो और अपने किये गुनाह की तौबा करे और दुआ पूरे दिल और यकीन से मांगे तो उसकी दुआ कुबूल की जाती है। एक शख़्स का दिल जो तीन वक़्त की नमाज़ें को कहता है और वह पाँचों वक़्त की नमाज़ें मुसलसल पढ़ता है। वो यह कहना शुरू कर देगा के एक नमाज़ सिर्फ मुहँ से पढ़ी गई दिल के बिना ये भी कहेगा की इसका कोई फायदा नही होगा।

दीने इस्लाम के दी गई तालीमात वही है जो उलमाये **अहले सुन्नत वल जमाअत** की कुतुब में तहरीर की गई है। वो शख़्स जो उलमाये अहले सुन्नत की जानिब से बताई गई तालीमाते ईमान और इस्लाम में से बिल्कुल वाज़िह मायनें वाली तालीमात का, यानी आयतुल करीमा और अहादीस शरीफ में से किसी एक का भी इन्कार करता है, वो **काफिर** है। अपने इस इन्कार को छुपा कर रखने वाले को **मुनाफिक** कहते है। अगर इस इन्कार को छुपाते हुए वो मुसलमान को फरेब देने की कोशिश करता है तो वो **जिन्दीक** कहलाता है। वो नुसूस जिन के मायनें साफ वाज़िह नही, उन के ग़लत तावील करके ग़लत ईमान का मुरतकिब होने वाला काफिर नही होगा। लेकिन अहले सुन्नत के सही रास्ते से अलग होने की वजह से जहन्नम में दाख़िल किया जायेगा। यह शख़्स वाज़िह मायनें वाली नसूस पर ईमान रखने की बिना पर हमेशा के लिए अज़ाब में नही रहेगा जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाख़िल कर दिया जायेगा। इन्हें **अहले बिद्दत** या **फिरकाये ज़लालत** कहा जाता है। फिरकाये ज़लालत की बहत्तर किस्में है। उसकी इबादत कुबूल नही की जाती। सही रास्ते

पर चलने वाले लोगों को **अहले सुन्नत** या **सुन्नी** कहते है। इबादत की अदाएगी के लिहाज़ से सुन्नी चार मसालिक में बटे हुए है। इन चार मसलकों के पैरोकार लोग एक दूसरे को अहले सुन्नत मानते है और आपस में मुहब्बत रखते है। जो शख़्स चार में से किसी भी एक मसलक की पैरवी नही करता वो अहले सुन्नत नही हैं। और, जो शख़्स अहले सुन्नत नही हैं या तो वो काफिर है या बिद्दअती यह चार गुट या मसलक : **1** हनफी मसलक **2** मालिकी मसलक **3** हम्बली मसलक **4** शाफई मसलक है। [इन चार मसालिक में से किसी की पैरवी किये बग़ैर कोई शख़्स अहले सुन्नत नही हो सकता। जो शख़्स अहले सुन्नत नही, उस के काफिर या अहले बिद्दअत होने के मुताल्लिक़ इमामे रब्बानी की किताब मकतूबात में बिल ख़ुसूस पहली जिल्द के मकतूबे नम्बर **286** में और इमामे तहतावी की शुरू **दुर-उल-मुख़्तार** में **जेबायिख़** के बाब में **अल बसायरल मुनकिर इत तव्वसुली बि अहलुल मकाबिर** नामी किताब में वसूक के साथ बयान किया गया है। ये दोनों किताबें अरबी में लिखी गई है। दूसरी किताब हिन्दुस्तान में लिखी गई और **1395 (1975)** में शाय हुई।]

चार मसालिक में से एक के मुताबिक, इबादत करने वाले अगर गुनाह का इरतेकाब करे या इबादत में कोई कसूर कर बैठे और तौबा करलें तो उन के गुनाह माफ हो जाते है। अगर तौबा न करे तो अल्लाह तआला चाहे तो माफ फरमादे और जहन्नम में दाख़िल न करे। अगर चाहे तो गुनाहों के मुताबिक वो अज़ाब दे दें, अज़ाब झेलने के बाद भी आख़िरकार वो निजात पा ही जायेंगे। दीन में ज़रूरी और जानी पहचानी तालीमात, यानी वो जिन को अनपढ़ लोग भी जानते है और इन बड़ी ही वाजिह तालिमात में से किसी एक का इंकार करने वाले क़तई तौर पर ताअबद जहन्नम में अज़ाब झेलेंगे। इन्हें **काफिर** और **मुरतद** कहा जाता है।

अगर ऐसे लोग जो किसी एक ख़ास मख़लूक की इबादत करते है तो वह मुश्रिक बन जाते है अल्लाहु तआला के औसाफ को **सीफात-ए-सुबूतीया**

और **सीफात-ए-ज़ातीया** कहा जाता है यह **इबादत उलूहीय्यत** के औसाफ कहे जाते है।

काफिर ख़्वाह वो अहले किताब हो या बे किताब मुसलमान हो जाये तो जहन्नम में दाख़िल होने से निजात पा जाता है। वो ऐसा मुसलमान हो जाता है जो बेगुनाह पाक व साफ हो। लेकिन इस का एक सुन्नी मुसलमान होना ज़रूरी है। सुन्नी होने से मुराद यानी उलमाये अहले सुन्नत वल जमाअत में से किसी की किताब पढ़कर, समझकर अपने ईमान अपने अल्फाज़ और अपने आमाल को उसके मुताबिक ढाल लेना है। दुनिया में किसी इंसान का मुसलमान होना या न होना, बिना ज़रूरत, वाज़िह तौर पर उस के अल्फाज़ और उस के आमाल से समझा जा सकता है। उस इन्सान का ख़ात्मा बिल ईमान होना या न होना, उसके आख़िरी सांस पर वाज़िह होता है। कबीरा गुनाह का मुरतकिब कोई मुसलमान मर्द या औरत, साफ दिल से तौबा करे तो उस के गुनाह बिला शुबा माफ हो जाते है। वो बेगुनाह और पाक व साफ हो जाता है। तौबा से मुताल्लिक़ कि वो क्या है और कैसे की जाती है दीनी कुतुब मसलन तुर्की या अरबी में शाय शुदा ईमान व इस्लाम और **सआदते अबदिया** में वज़ाहत के साथ बयान कर दिया गया है।

ईमान और इस्लाम

इस किताब **'ईतिकाद नामा'** में, ईमान और इस्लाम की वज़ाहत हुज़ूर पाक की हदीस शरीफों के ज़रीये की जायेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन हदीसों की बरकत से मुसलमानों का ईमान मज़बूत होगा, और फिर ख़ुशियाँ और निजात हासिल करेंगे। और मैं दुबारा उम्मीद करता हूँ कि इसके ज़रीये मैं, ख़ालिद, जिसके बहुत गुनाह है, बख़्शा जाऊँगा। अल्लाह तआला, जिसपे मुझे ख़ूबसूरत ईमान है कि उसे किसी चीज़ की जरूरत नही, जिसकी रहमतें और बरकतों की कोई हद नही, जो अपने बन्दों पर रहम फरमाता है, अपने इस गरीब ख़ालिद को भी माफ फरमादे, जिसके आमाल बहुत कम और दिल बहुत सियाह (काला) हैं, और उसकी टूटी फूटी इबादत को कुबूल फरमा ले। अल्लाह हमें धोख़े बाज़ों की बुराई से बचाये, झूठे शैतान से [और इस्लाम के दुश्मनों से भी जो ग़लत चीज़ें लिखकर मुसलमानों को गुमराह करते है] और हमें ख़ुश रखे। वो बहुत रहीम और दरियादिल हैं।

इस्लाम के उलेमा ने कहा है कि हर **समझदार** मुसलमान, मर्द हो या औरत, जो जवानी की उमर तक पहुँच चुका है उसपे लाज़िम है कि वो अल्लाह तआला की दो सिफात (1) सिफाते ज़ातिया **[सिफाते ज़ातिया,** अल्लाह तआला की छः हैं: **अल वुजूद,** मौजूदगी; **अल किदाम,** हमेशा से होना और बिना किसी शुरूआत के होना; **अल बका;** हमेशा कायम रहने वाला; **अल वहदानिय्या,** लाशरीक होना; **अल मुख़ालाफतु लिल हवादिस;** हर मख़लूक से हर चीज़ में अलग होने वाला; **अल कियामु बि नफसिही,** ख़ुद मौजूदा या अपने होने के लिए किसी का ना मुहताज। किसी मख़लूक में ऐसी ख़ासियते नही हैं न इससे कोई राब्ता। यह बस अल्लाह तआला से मुताल्लिक़ है। कुछ उलेमा का

कहना है कि अल मुख़ालाफ़तु लिल हवादिस और अल वहदानिया एक ही थे और सिफाते ज़ातिया पाँच है।]" और (2) सिफाते सुब्बुतिया (पेज 12 और 24 देखे।)" को सही तरह से समझे और यकीन करे। यह वो चीज़ है जो सबसे पहले फर्ज़ है। ना जानना कोई बहाना नही बल्कि एक गुनाह है। ख़ालिद इब्ने अहमद अल बग़दादी ने यह किताब अपनी ज़हनियत या अपने इल्म की बड़ाई करने के लिए नही लिखी या मशहूर होने के लिए बल्कि एक याद दिहानी और ख़िदमत के लिए लिखी। अल्लाह तआला "मरहूम ख़लिद [ख़ालिदुल बग़दादी ने 1247 [1826 A.D.] में डमसकस में वफात पाई।]" की मदद अपनी ताकत और मुबारक नबी की रूह के ज़रिये करे! आमीन।

अल्लाहु तआला को छोड़कर हर चीज़ को **मा-सिवा** या "आलम" कहते है, जिसे अब "कायनात" कहा जाता है। हर मख़लूक का कोई वजूद नही था। अल्लाह तआला वाहिद है जिसने इन सबको बनाया है। यह सब **मुमकिन** और **हदीस** है; यह सब वो है जो नावजूद से वजूद में लाये गये, और यह तब वजूद मे आये जबकि इनका कोई वजूद नही था। हदीस शरीफ- **"अल्लाह तआला का तब भी वजूद था जब किसी और चीज़ का वजूद भी नही था।"**- बताती है कि यह सच है।

एक दूसरा सबूत यह दिखाया है कि सारी कायनात और मख़लूक हादिस है, क्योंकि यह सच है कि मख़लूक हर वक़्त एक दूसरे मे तबदील होती रहती है; और यह भी सच है कि जो कदीम है (जिसकी कोई शुरूआत नही) वो कभी नही बदलनी चाहिए। [इस कायनात में हर माद्दे की जिस्मानी तौर पर तब्दीली होती हैं। कीमियायी कामों में माद्दे की शक्ल भी बदलती हैं। हम देखते हैं कि चीज़े मौजूद होने पर रोक लगा कर दूसरी चीज़ों में बदल जाती है। आज परमाणु बदलाव और न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में, जो अभी खोजी गई हैं,

माददा और एलिमेंट भी, अपनी मौजूदगी को रोक कर, ऊर्जा में तब्दील हो जाते हैं।] अल्लाह तआला की ज़ात और खुसुसियत कदीम है और कभी नही बदलती। मख़लूक मे तब्दीली उसके अबदी माज़ी ज़माने से नही आ सकती। उनकी एक शुरूआत होनी चाहिए और अनासिर व माद्दे से वजूद मिलना चाहिए, जोकि एक लावजूद से ही बने है।

दूसरा सबूत इस सच के लिये कि कायनात मुमकिन है यह है कि यह एक लावजूद से पैदा हुई जो मख़लूक हम देखते है हदीस है यानि यह किसी भी चीज़ से नही पैदा हुई पर वजूद में है।

यहाँ दो चीज़ें हैं **मुमकिन** और **वाजिब**। ['वुजूद' के मायनें मौजूदगी के है। मौजूदगी तीन तरह की होती हैं। पहली **वाजिबुल वुजूद,** यानि ज़रूरी मौजूदगी। वो हमेशा मौजूद है। वो पहले लामौजूद नही था और न ही वो आख़िर तक मौजूद होना छोड़ देगा। सिर्फ अल्लाह तआला ही वाजिबुल वुजूद है। दूसरा **मुमतान्उल वुजूद** हैं, जो मौजूद नही हो सकता। वो कभी होना नही चाहिए। जैसे शरीक-उल-बरी (यानी अल्लाह का शरीक)। अल्लाह के जैसा दूसरा ख़ुदा या उसका साथी कभी नही हो सकता। तीसरा **मुमकिनुल वुजूद** है, जो मौजूद हो भी सकता है और नही भी। कायनात और मख़लूक बिना किसी शुबे के। वुजूद का उल्टा **अदम** (लामौजूद) है। हर चीज़ अदम थी लामौजूद थी अपने वुजूद में आने से पहले।] अगर सिर्फ मुमकिन था या सिर्फ वाजिबुल वुजूद नही था तो कुछ नही था। [यह एक लावजूद से वजूद में आने की तब्दीली है, और फिज़िक्स के हमारे इल्म के मुताबिक किसी माद्दे में तब्दीली करने के लिए उसपे कोई बाहरी ताकत का काम करना लाज़िम है, वो ताकत जो उसे माददा बनाती है।] इस वजह से मुमकिन अपने आप वजूद में नही आ सकता या कायम रख सकता। अगर उसपे कुछ ताकते नही लगती तो वो हमेशा लावजूद रहता और कभी वजूद मे नही आता। जबकि एक मुमकिन खुद

को नही बना सकता; तो वह कुदरती तौर पर दूसरे मुमकिन भी नही बना सकता। यानि जिसने मुमकिन को बनाया वह वाजिबुल वुजूद है। इस आलम का वजूद दिखाता है कि एक ख़ालिक है जिसने यह सब बनाया है। तो एक वाहिद ख़ालिक है जिसने मुमकिन को बनाया, कायनात को बनाया वही वाजिबुल वजूद है नाकि हदीस या मुमकिन पर कदीम और हमेशा कायम रहने वाला है। 'वाजिबुल वजूद' का मतलब है कि इसका वजूद खुद से है, यानी यह हमेशा से है और किसी और के ज़रिये नही बनाया गया। अगर ऐसा नही है तो इसे भी कायनात (मुमकिन या हदीस) होना चाहिए जोकि किसी और की बनाई हुई हो। और यह उपर निकाले गये नतीजे के बर अक्स (उल्टा) है। फारसी लफ्ज़ **'ख़ुदा'** (अल्लाह के नाम के लिए इस्तेमाल) का मतलब है, खुद ही से कायम, अबदी। [80वें बाब में और वज़ाहत से हैं।]

हम देखते है कि चीज़ों का दरजा चकित करने वाली तरतीब में है, और साईंस हर साल इस तरतीब के नये नियम खोज लेती है। इस तरतीब के रचियता का **हई** (हमेशा ज़िन्दा), **आलिम** (सब जानने वाला), **कादिर** (कुव्वत वाला), **मुरीद** (हमेशा तय्यार), **सामी** (सबकी सुनने वाला), **बासिर** (सब देखने वाला), **मुताकल्लिम** (बात करने वाला) और **ख़ालिक** (सब बनाने वाला) होना लाज़मी है,[अल्लाह तआला की आठ सिफाते सबूतिया हैं।] जो मौत, जहालत, मजबूरी, बहरापन, अधंापन, गूंगापन कमियो से दूर है, यह नामुमकिन है कि यह सारी खामियाँ उसमे हो जिसने इस कायनात को बनाया और जो फना होने से बचाता है। [हर चीज़ परमाणु से तारों तक कुछ हिसाब और नियमों से बने हैं। इस चीज़ को इन्सानी दिमाग फिज़िक्स, कीमिया, ऐस्ट्रोनोमी और बायलोजी से सीखकर पागल हो जाता हैं। यहाँ तक कि डार्विन ने जब आंख की विन्नमता के बारे में सोचा तो उसे कहना पड़ गया कि उसे लगा कि वो पागल हो जायेगा। यह मुमकिन है कि जिसने यह सारे

नियम,हिसाब और फॉर्मूले बनाये हैं साईन्सी इल्म को कमतर बनाया हो?] इसके अलावा हम मख़लूक मे उपर लिखी हुई ख़ासियत भी देखते है।उसने यह ख़ासियत अपनी मख़लूक मे भी बनाई।अगर यह ख़ासियत उसमे न होती तो, वो इनको अपनी मख़लूक में कैसे ख़ल्क करता, और क्या उसकी मख़लूक उससे बेहतर नहीं हो जाती?

हमें यह भी देखना चाहिए कि उसने जिसने यह कायनात बनाई उसमे सभी खुसूसियत होनी चाहिए, और सबसे बेहतर होना चाहिए और कोई भी ख़ामी नही होना चाहिए, क्योंकि एक ख़राब चीज़ ख़ालिक मे नही हो सकती।

इन सारे सबूत और आयत करीमों और हदीस शरीफ से ज़ाहिर है कि अल्लाह तआला मे ख़ासियतों के सारे निशान हैं।तभी, उसपर शक करना जायज़ नही।शक कुफ़्र लाता है।उपर बताये गये आठ ख़ासियतों को **"सिफाते सबुतिया"** कहते है।अल्लाह तआला मे वो आठों है।उसमे कोई कमी नही, न कोई ख़ामी न उसकी शख़्सियत, जौहर, खुसुसियत बदलते है।

इस्लाम की बुनियादें

अल्लाहु तआला की मदद से जो पूरे आलम को कायम रखता है और जो रहमतें और बरकतें नाज़िल करता है जो कभी नही सोता, अब हम हमारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की वज़ाहत शुरू करने जा रहे है।

हमारे महबूब आला हज़रत "उमर इब्ने खत्ताब" (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु), जो मुसलमानों के बहादुर रहबर थे, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के करीबी सहाबा, और अपनी सच्चाई के लिए मशहूर, फरमाते है:- "वह ऐसा दिन था जब हम कुछ सहाबा नबी करीम (सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम) की ख़िदमत में हाज़िर थे।" वो दिन, वो लम्हे बहुत बाबरकत थे, वो ऐसे दिन थे कि बहुत ही मुश्किल से किसी को वो लम्हें दुबारा जीने को मिले।उस दिन, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सोहबत में रहना बहुत बड़ा सम्मान था, उनके करीब आपका मुबारक चेहरा देखना जोकि रूह की खुराक और सुकून जैसा था।उस दिन की अहमियत बताने के लिए आपने फरमाया, "वह ऐसा दिन था...," क्या ऐसे वक़्त से अहम और ग़ैरत बख़्श कोई वक़्त होगा जब जिबराईल (अलैहिस्सलाम) को इन्सानी शक्ल मे देखना नसीब हुआ था और रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के मुबारक मुँह से साफ और ख़ूबसूरत इल्म की बातें सुनना?

"उसपल, चांद के निकलने के मानिंद एक शख़्स हमारे पास आया।उसके कपड़े पूरे सफेद थे और बाल पूरे काले थे।उसके ऊपर धूल या गन्दगी के कोई निशान नही थे, जिससे लगता कि वह सफर करके आया हैं।हममे से कोई (सहाबा) उसे नही पहचान पाये क्योंकि हमने उसे पहले नही देखा न जानते थे।वो रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की ख़िदमत में बैठ गया।उसने अपने घुटने रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के मुबारक घुटनों के पास रखे।" वो इन्सानी शक्ल मे फरिश्ते जिबराईल (अलैहिस्सलाम) थे।हालांकि उनका बैठना अदब के मुताबिक नही था, इससे हमें एक सच सीखने को मिला कि मज़हब का इल्म हासिल करने के दौरान, शर्म या गर्व या घमंड बड़ा नही होता।हज़रत जिबराईल नबी के सहाबा को दिखाना चाहते थे कि बिना शर्म के हर किसी को अपने उस्ताद से वो पूछना चाहिए जो वो इस्लाम के बारे मे जानना चाहते है, और यहाँ मज़हब सीखने मे कोई शर्म नही होनी चाहिए, और कोई शर्मिन्दगी नही बरतनी चाहिए,या अल्लाहु तआला से मुताल्लिक़ किसी के कर्ज़ सीखने या सिखाने में।

"उस अज़ीम शख़्स ने रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के घुटने मुबारक पर अपने हाथ रख दिये। उन्होंने रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से पूछा - **ऐ रसूलुल्लाह! मुझे बताईए इस्लाम क्या है और मुसलमान कैसे बनते है।**

इस्लाम के लफ़्ज़ी मायनें बरामद करना ओर जमा करना".रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने वज़ाहत की कि इस्लाम पाँच बुनियादी स्तूनों का नाम है जो इस तरह है:

रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया कि पाँच मे से पहली इस्लाम की बुनियादी है, **"कलमा शहादत का पढ़ना" यानी "अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अबदुहू व रसूलहु।"** कहना। दूसरे लफज़ों में एक समझदार इन्सान जो जवानी की हद को पा चुका है और जो बोल सकता है उसे आवाज़ से बोलना चाहिए, **"ज़मीन पर या आसमानों में, कोई नही इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। असली चीज़ यही है कि सिर्फ अल्लाह की इबादतें की जाये।"** वही वाजिबुल वजूद है। हर तरह की बरतरी उसी में है। उस में कोई ख़ामी नही है। उसका नाम **अल्लाह** है, और उसका यकीन सच्चे और पूरे दिल से करना चाहिए। और शख़्स को यह भी यकीन रखना और कहना चाहिए कि- "और वो बुलंद शख़्सियत, जिनकी जिल्द (त्वचा) गुलाबी थी, सफेद-सुर्ख, नूरानी और प्यारा चेहरा था, काली आंखें और भंवे थी; मुबारक चोड़ा माथा था, अच्छे अख़्लाक; जिनकी ज़मीन पर कोई परछाई नही पड़ती थी, नर्म ज़बानी और उन्हें अरब कहा जाता था क्योंकि आप मक्का के हाशमी ख़ानदान में पैदा हुए, नाम **"मुहम्मद इब्ने अबदुल्लाह अल्लाह तआला के बन्दे और रसूल है।"** आपकी वालिदा हज़रत आमिना विन्त वहब थी। आपने मक्का में जन्म लिया [पीर की तुलुउ फजर में,

20 अप्रैल **571**] जब आप चालीस साल के थे, वो साथ बिसात का साल कहा जाता है, आपको ख़बर दी गई कि आप नबी है। उसके बाद आपने **13** साल तक मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत दी। और फिर अल्लाह तआला के हुकम से आपने मदीना हिजरत की। वहाँ आपने हर जगह इस्लाम फैलाया। दस साल बाद आपकी वफात मदीना में **12**, रबी उल अव्वल, पीर (जुलाई 632) [इतिहासकारों के मुताबिक, मुहम्मद 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करते हुए सौर के पहाड़ की गुफा में जुमेरात, **27** सफर, **622** A.C. की शाम को आये थे। आपने पीर की रात को गुफा छोड़ी और मदीना के करीबी जगह कूबा में **8** रबि उल अव्वल (**20** सितंबर, **622**) में तशरीफ लाये। हिजरी शमसी कैलन्डर **6** महीने पहले शियाओं ने अपनाया। यानी मेजूसी काफिरों (आग के इबादतगार) का त्यौहार **20** मार्च को शुरू होता हैं। यह खुशी का दिन मुसलमानों के लिये **हिजरी शम्सी** कैलन्डर बन गया। जुमेरात को दिन और रात बराबर थे, आपने कूबा छोड़ा और जुमे को मदीना आ गये। **हिजरी कमरी** कैलन्डर में मुहर्रम का महीना इसी साल मुकर्रर हुआ। हिजरी शमसी साल का कैलन्डर किसी मग़रिबी सालाना कैलन्डर से **622** साल कम हैं। और कोई भी मग़रिबी कैलन्डर हिजरी शमसी कैलन्डर से **621** दिन ज़्यादा है।]

2. इस्लाम की दूसरी बुनियाद **"रस्मी नमाज़ , सलात अदा करना जब उसका वक़्त हो।"** दिन में पाँच बार शर्तो और फ़र्ज़ के मुताबिक] पाँच बार नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और उसे पता होना चाहिए कि हर सलात का वक़्त क्या है और ध्यान में रखना चाहिए कि वो हर नमाज़ को मुकर्रर वक़्त में अदा कर ले। वे मज़हबीयों या मुश्रिकों के बनाये हुए वक़्त नमाज़ी कैलन्डर से देखकर नमाज़ उसके वक़्त से पहले पढ़ना एक कबीरा गुनाह है और वह सलात सही नही है। ऐसे कैलन्डर किसी को ज़ुहर की सुन्नतें

और मग़रीब की सलात, मकरूह वक़्त मे पढ़वा सकते है। नमाज़ को पूरे सुकून से, पूरी तवज्जो से, उसके फर्ज़ वाजिब और सुन्नत को ध्यान में रखते हुए, अपना दिल अल्लाह की राह में लगाते हुए, मुकर्रर वक़्त में अदा कर लेनी चाहिए। कुरान करीम में नमाज़ को **'सलात'** कहा गया है। सलात का मतलब इन्सान की नमाज, पढ़ना हे, फरिश्तों की इस्तग़फार और अल्लाह तआला का रहम करना। इस्लाम में सलात का मतलब कुछ मख्सूस हरकतों को दुहराना जैसा इल्मे हाल कि किताबों में लिखा है। सलात लफज़ **"अल्लाहु अकबर"** से शुरू होती है जिसे **'तकबीर इफतिताह'** कहते हे, और इसे कहते हुए हाथों को कानों की लौ तक उठाना और नाभी के नीचे बाँधना मर्दो के लिये। आखिरी अत्तहियात की बैठक में दाये और बायें सलाम फेरने के बाद सलात पूरी होती है। सलाम फेरना, सर को कंधों की तरफ मोड़ना).

3. इस्लाम की तीसरी बुनियाद है **"अपने माल से ज़कात देना।"** ज़कात के लफज़ी मायनें है, तहारत, तारीफ करना और अच्छा और पाक बनना। इस्लाम मे ज़कात के मायनें है - ऐसा शख़्स जिसके पास उतना माल है जितना उसके लिए काफी है और एक हद जिसे **निसाब** कहते है उतना हो तो उसपे फर्ज़ है की वो अपनी दौलत का एक हिस्सा अलग करले और कुरान करीम ने जिन मुसलमानों को देने का हुकम दिया है उन्हें बिना अपमानित किये देना। ज़कात सात तरह के लोगों को दी जाती है। चार मसलको में चार तरह की ज़कात है; सोने और चांदी की ज़कात, घर की चीज़ों की ज़कात, जानवरो की ज़कात (मस्लन, भेड़, बकरी और गाय) जिन्होंने आधे साल से ज्यादा खेतों में चरा हो, और ज़मीन से मिली हुई हर ज़रूरी चीज़ की ज़कात। यह चौथी तरह की ज़कात, **उश्र** कहलाती है, और जैसे ही फसल कट जाये इसे तभी अदा कर देना चाहिए। और बाकी तीन निसाब की हद तक पहुँचने के एक साल बाद तक दी जा सकती है।

4. इस्लाम की चौथी बुनियाद है – **"रमज़ानुल मुबारक के हर दिन रोज़े रखना।"** रोज़ा रखना **'सौम'** कहलाता है। सौम का मतलब है किसी चीज़ को किसी अलग चीज़ से बचाना। इस्लाम में सौम का मतलब है अपने आप को तीन चीज़ों से बचाना रमज़ान के महीने [दिनों] में, क्योंकि यह अल्लाह का हुकुम है: खाना, पीना और मुबाश्रित (संभोग) से। रमज़ान का महीना आसमान में नया चांद देख कर शुरू होता है। कैलन्डरों के गिने हुए वक़्तों के हिसाब से शुरू हो भी सकता है और नही भी।

5. इस्लाम की पाँचवी बुनियाद है – **"हज करना ज़िन्दगी में कम से कम एक बार।"** वो शख़्स जिसके पास इतना पैसा है कि वो मक्का शहर जा और आ सकता है और अपने घर वालों के लिए इतना पैसा छोड़ के जा सकता है जब तक कि वो वापस लौटे घरवालों का गुज़ारा हो जाये तो उसपे फर्ज़ है कि वो काबा शरीफ का तवाफ करे और अराफात के मैदान का वकूफ करे जबकि उसका रास्ता महफूज़ और जिस्म सेहत मन्द हो।

"यह जवाब सुनने के बाद उस शख़्स ने रसूलुल्लाह से (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) स पूछा, **"या रसूलुल्लाह। आपने सच फरमाया।"** हज़रत उमरे (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) ने फरमाया कि नवी के सहाबा हैरान थे यह देख कर कि वो शख़्स जो खुद सवाल करता है और जवाब सुनने के बाद उसकी तसदीक करता है। एक शख़्स जो जानने की नियत से सवाल करता है, इसका मतलब है वो नही जानता पर जब वो कहता है कि "आपने सच फरमाया", जो दिखाता है कि उसे जवाब पहले से ही पता था।

पाँचों बुनियादों में से सबसे ऊँचा है कलमा-ए-शहादत पढ़ना और उसका मतलब समझना। उसके बाद सबसे अफजल है नमाज़ पढ़ना। उससे अगला रोज़े रखना। उसके बाद हज है। और आखिरी है ज़कात देना। यह आम

राय से ज़ाहिर है कि कलमा-ए-शहादत सबसे अफ़ज़ल है। बाकी चारों की तरतीब के बारे में बहुत सारे उलेमा ने वैसा ही बताया है जैसा उपर लिखा है। इस्लाम की शुरूआत में कलमाये शहादत सबसे पहला फर्ज़ है। हिजरत के एक साल और कुछ महीने पहले, बिधात के बारहवें महीने की मेराज की रात में पाँच वक़्त की नमाज़ फर्ज़ हुई। हिजरत के दूसरे साल में शाबान के महीने में रमज़ान के रोज़े फर्ज़ हुए। जिस साल रोज़े फर्ज़ हुए उसी साल ज़कात देना भी फर्ज़ हो गया। और 'हज' हिजरत के नौवें साल में फर्ज़ हुआ।

अगर कोई शख़्स इन पाँच बुनियादों में से किसी एक का भी मज़ाक बनाता है, नही मानता, इनकार करता है या तानाकशी करता है, तो वह काफिर हो जाता है, अल्लाह हमें बचाये! ऐसे ही कोई शख़्स अगर हराम और हलाल को नही मानता है और हराम को हलाल और हलाल को हराम कहता है तो वो भी काफिर हो जाता है। और अगर कोई इस्लाम की उन बातों को नापसन्द या मुकर जाता है जोकि जरूरी रूप से आम है और मुसलमानी मुमालिक में यकसां हो, तो वो काफिर हो जाता है। [मिसाल के तौर पर, सुअर खाना, शराब पीना, जुआ खेलना; किसी लड़की या औरत का अपने सिर, बाल हाथ और पैर बिना ढके किसी और को दिखाना; और मर्द के लिए अपने घुटनों और नाभी के दरमियान का हिस्सा दूसरों को दिखाना सब हराम हैं। यानी अल्लाह तआला ने इसकी मनाही की है। चार मसलक, जो अल्लाह तआला के हर हुक्म और मनाहियों को बताते है, गुप्त सतरों की हद बना दी है, जिन्हे देखना या दिखाना मना है, जो एक दूसरे से अलग है। हर मुसलमान के लिए फर्ज़ है कि अपने उन जिस्मानी हिस्सों को अपने मसलक में बताए तरीके के मुताबिक ढके। साथ ही अगर किसी ने यह हिस्से न ढके हो तो किसी और का भी उन हिस्सों की तरफ देखना भी हराम है। **कीमिया-ए-सआदत** में बयान है कि औरत या लड़की के लिए नंगे सिर, खुले बाल, हाथ, पैर या फिर कसे सजे

और ख़ुशबू वाले कपड़ें पहनना हराम हैं। उनके माँ, बाप और भाई जो उन्हे इस हाल में बाहर जाने की इजाज़त देते है और सोचते हैं कि यह सही है वो उनके अज़ाब में हिस्सेदार होंगे; यानी वो जहन्नम मे साथ में जलाये जायेंगे। अगर वो तौबा करेंगे वो माफ कर दिये जायेंगे और नही जलाये जायेंगे। अल्लाह तआला तौबा करने वालों को पसन्द करता है। हिजरत के तीसरे साल में जो औरतें या लड़कियाँ जवानी की उम्र तक पहुँच चुकी थी उनपे ना महरम के ज़रिए देखने न जाना या न दिखाये जाने का हुक्म हो गया।

हमें ब्रिट्रिश के झूठे लोगों के जाल मे नही फसना चाहिए या उन जाहिलों के जो उनके झांसे में आ चुके है और कहते है कि हिजाब की आयत से पहले कोई ढकना नही था और जो कहते है कि फिकह के आलिमों ने बाद में ढकने के हुक्म को बदल दिया।

अगर कोई शख़्श इस्लाम खुले आम कुबूल करता है तो उसे पता होना चाहिए कि जो वो कर रहा है वो शरीयत के हिसाब से सही है या नही। अगर वो नही जानता, उसे अहले सुन्नत वल जमाअत के आलिमों से पूछके या इस सूबे के आलिमों की किताबें पढ़कर सीखना चाहिए। अगर उसका काम शरीयत के ख़िलाफ होता है, वो उस चीज़ या काम का गुनाह भुगतेगा। उसे सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। जब तौबा कर ली जाती है वो गुनाह माफ कर दिए जाते है। अगर वो तौबा नही करता तो वो उसका अज़ाब इस दुनिया और आख़िरत दोनों में भुगतेगा। सज़ाओं की किस्मे हमारी किताबों में लिखी है।

नमाज़ के दौरान या आमतौर पर कही भी जो हिस्से आदमी और औरत को छुपाने होते है उन्हे **अवरत हिस्से** कहते है। अगर कोई कहता है कि इस्लाम अवरत की वज़ाहत करके कोई हिस्सा नही बताता तो वो काफिर हो जाता है। चार मसलकों के मुताबिक जिस्म के कुछ हिस्से अवरत है। अगर कोई शख़्स किसी दूसरे के अवरत हिस्सों को खुला देख उसका मज़ाक उड़ाता है

यानी वो इसके अज़ाब की फ़िक्र न करते हुए या न डरते हुए ऐसा करता है तो वो काफिर हो जाता है।हम्बली मसलक मे आदमी के जिस्म के कूल्हे और घुटनों के बीच का हिस्सा अवरत नही है।अगर कोई शख़्स कहता है कि "मैं मुसलमान हूँ।" तो उसे इस्लाम की बुनियादे सीखनी पड़ेंगी जो फर्ज़ है जो हराम है जो चारों मसलकों के इजमा है और इन मामलों को अहमियत देनी होगी।नही जानना कोई बहाना नही है।यह जानबूझकर कुफ़्र के बराबर है।औरत के हाथ और चेहरा छोड़कर पूरा जिस्म अवरत है चारों मसलकों मे।और यही मामला है कि कोई औरत मर्द की मौजूदगी में अपने अवरत हिस्से गाते हुए नाचते हुए दिखाती है इजमा के मुताबिक जो हिस्सा अवरत नही है और कोई शख़्स उसे थोड़ा सा दिखाता है तो उसने कबीरा गुनाह किया है हालांकि उसका यह गुनाह उसे काफिर नही बनायेगा।इसकी मिसाल है जैसे कोई शख़्स अपने कूल्हे और घुटनों के बीच का हिस्सा दिखाए।(जोकि पहले ही बयान है कि हनबली में यह मसलकों अवरत नही है।) इस्लामी बुनियादों को सीखना फर्ज़ है जो तुम नही जानते।जैसे-जैसे तुम इन्हे सीखों तो तौबा करों और अपने अवरत हिस्सो को ढको।झूठ,अफवाह, ग़ीबत, धोखा, चोरी, दगा, किसी का दिल दुखाना, मज़ाक करना, किसी का माल उसकी इजाज़त के बग़ैर इस्तेमाल करना, मज़दूर का हक न देना, विद्रोही, यानी हुकूमत के कानूनों को तोड़ना, टैक्स न चुकाना सब गुनाह है।यह सब किसी काफिर के साथ या काफिरों के मुल्क मे करना भी हराम है।] अगर एक आम आदमी इस्लाम की उन बातों को नही जानता जो आम नही है और जो ज़्यादा फैली हुई नही है जोकि उसे पता चल सके तो वो कुफ़्र मे नही पर गुनाह में शामिल है।

ईमान की बुनियादें

"उस महान आदमी (शख़्स) ने पूछा" **ऐ रसूलुल्लाह अब मुझे बताईये ईमान क्या है?** इस्लाम क्या है यह पूछने और जवाब दिये जाने के बाद हज़रत जिबराईल (अलैहिस्सलाम) ने हमारे प्यारे नबी, रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से ईमान की सच्चाई और जौहर की वज़ाहत करने की दरख्वास्त की। ईमान के लफ्ज़ी मायनें है "किसी शख़्स को कामिल और सच्चा मानना और उसपे यकीन रखना।" इस्लाम में "ईमान" का मतलब है, इस सच पर यकीन रखना कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह के रसूल है; कि वो नबी है अल्लाह के भेजे हुऐ पैग़म्बर है और इसे दिल से कहना; उन बातों पर मुख्तसर यकीन रखना जो आपने मुख्तसर बताई और उन बातों पर वज़ाहत से यकीन रखना जो आपने वज़ाहत से हम तक अल्लाह के हुकुम से पहुँचाई। और जब भी मुमकिन हो कलमा-ए-शहादत कहना। मज़बूत ईमान इस तरह होता है जैसे हम जानते है कि आग जलाती है, सांप ज़हर से मारता है तो हम उनसे दूर रहते है, हमें पूरी तरह से अल्लाह तआला और उनकी खुसुसियत पर यकीन रखना चाहिए, उसकी रज़ा के लिये कोशिश करनी चाहिए उसके जलाल और गुस्से से डरना चाहिए। हमें ईमान को अपने दिलों मे मज़बूती से गाड़ना चाहिए जैसे पत्थर पर लकीर हो।

ईमान और इस्लाम एक ही है। दोनों में एक ही चीज़ है कलमा-ए-शहादत के मायनें पर यकीन रखना। हालांकि किताबों और लुगात में इसके मायनें अलग है और इनके लफ्ज़ी मायनें भी अलग है, पर इस्लाम में इनके बीच कोई फर्क नही है।

क्या ईमान एक चीज़ है या हिस्सो का मजमुआ है? अगर यह मजमुआ है तो यह कितने हिस्सो मे मिलके बना है? क्या आमाल और इबादत ईमान मे शामिल है या नही? "यह कहते वक़्त" इन्शाह अल्लाह" जोड़ना चाहिए या नही? क्या ईमान मे कमतरी या ज़्यादती जैसा कुछ है? क्या ईमान एक मख़्लूक है? क्या इसे मानना शख़्स की ताकत पर है या यह मजबूरी है मानने वालों पर? अगर यह कोई ज़बरदस्ती या मजबूरी है इसको यकीन करना तो हर किसी को क्यो आदेश (हुकुम) मिला इसे मानने का? इन सबको एक के बाद एक करके समझाने मे बहुत वक़्त लगेगा। इसलिए मैं सबके जवाब अलग अलग नही दूँगा। अशारी मसलक और मुताज़िला के मुताबिक यह मुमकीन नही के अल्लाह अपने बन्दों को उस चीज़ का हुकुम दे जो नामुमकिन है। और मुवाज़िला के मुताबिक यह मुमकीन नही कि अल्लाह अपने बन्दों को वो करने का हुकुम दे जो मुमकीन तो हो पर इन्सानी पहुँच से बाहर हो। आशारी के मुताबिक यह मुमकीन है, पर वो इसका हुकुम नही देता। लोगों को हवा मे उड़ने का हुकुम देना इसी तरह का है। ना ईमान मे ना ही इबादत मे अल्लाह तआला ने अपने बन्दों को वो हुकुम दिये जो वो ना कर सकते हो। इसलिए एक इन्सान जो पागल हो जाता है, ग़ाफिल हो जाता है, या सो जाता है या मर जाता है मुसलमान होने की हालत मे, वो तब भी मुसलमान ही रहता है, हालांकि वो तसदीक करने के हाल मे नही है।

हमें ईमान के लफ़्ज़ी मायनों के बारे मे नही सोचना चाहिए इस हदीस शरीफ मे, क्योंकि उस वक़्त अरब मे कोई भी आम आदमी ईमान के लफ़्ज़ी मायनें नही जानता था, सहाबा-ए-किराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम) जानते थे पर जिबराईल (अलैहिस्सलाम) सहाबा-ए-किराम को सिखाना चाहते थे कि इस्लाम मे ईमान का क्या मतलब है। और रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम) ने बताया कि **ईमान** का मतलब है इन छः (6) सच्चाईयो पर यकीन रखना:

1. **"सबसे पहले अल्लाह तआला पर यकीन रखना,"** ईमान का मतलब है छः सच्चाईयों पर दिली तौर पर यकीन करना, कशफ (वही), विजदान (ज़मीर) किसी सबूत पर अक़्ल लगाकर, किसी यकीनी तौर की बात का पालन करके और उन सब को ज़बान से कुबूल करके।

इन छः सच्चाईयों मे से पहली यह है कि अल्लाह वजिबुल वुजूद है और असली मावूद है और सारी मख़्लूक का ख़ालिक है। इस बात पर यकीन रखना कि उसने ही वाहिद हर चीज़ को बनाया है [हर राय, मादरे जर्रे, मादा, मुरक्कबात, कोशिका, ज़िन्दगी, मौत, हर पल, हर हरकत, हर तरह की ताकत और तवानाई, कानून, रूह, फरिशतें, हर ज़िन्दा या मुर्दा चीज़ इसने सबको ज़िन्दा किया] चाहे वो इस दुनिया की, बिना माद्दे के बनाया, नावजूद की चीज़ों को वुजूद दिया। जैसे उसने एक पल में यह कायनात बनाई इसी तरह फैसले के दिन एक पल मे इसे फनाह भी करेगा। यही ख़ालिक है, मालिक है और हर मख़्लूक का बादशाह है। यह भी यकीन रखना है कि ऐसा कोई नही जो उसपे दबाव डाले या उसे हुकुम दे या उससे ऊँचा हो। हर तरह की ऊँचाई, हर तरह के कमाल बस उसके लिये है। कोई कमी या कमी की सिफत उसमे नही है। वो वही करता है जो चाहता है। जो वो करता है उसके लिये वो इरादा नही करता। वो किसी ईनाम के लिये कुछ नही करता। जो भी वो करता है उसमे उसकी हिकमत, रहमत और भलाई है।

ना अल्लाह को ज़रूरत है वो करने की जो उसकी मख़्लूक के लिये अच्छा और कारगर हो, और न तो उसके लिये ज़रूरी है कि वो कुछ लोगों को ईनाम दे और कुछ को सज़ा। बिला शुब्हा यह उसका करम होगा अगर वो सारे

गुनहगारों को जन्नत ले आये। और यह उसका फैसला होगा अगर वो सारे मानने वालों और इबादत करने वालों को जहन्नम में डाल दे। पर उसका फैसला है कि वो मुसलमानों को जो उसकी इबादत करते है, जन्नत भेजेगा और काफिरों को अबदी जहन्नम में अज़ाब देगा। वो अपने लफ्ज़ों से पीछें नही हटता। उसे कोई फायदा नही है अगर सारी कायनात उसकी इबादत करने लगे और उसपे ईमान ले आये और न उसे कोई नुकसान है जो अगर सारी कायनात काफिर हो जाये। अगर कोई शख़्स कुछ ख़्वाहिश करता है और उसमे अल्लाह की भी रज़ा है तो वह उसे कर लेता है। वो वाहिद है जिसने हर हरकत को बनाया है अपने बनाये हुऐ इन्सान में और हर राय में। अगर वो न चाहे तो कुछ भी नही हिल सकता। अगर वो न चाहे तो कोई भी काफिर नही बन सकता है। वही कुफ्र और गुनाह बनाता है पर वो खुद उनको पसन्द नही करता। उसके काम में कोई दखल नही दे सकता। किसी को यह हक़ नही है और न किसी की ताकत है कि वो उससे पूछ सके कि उसने ऐसा क्यो किया है। अगर वो चाहे तो वो उस बन्दे को माफ करदे जिसने कुफ्र और शिर्क को छोड़के कोई बड़ा गुनाह किया हो और तौबा करने से पहले ही मर गया हो। और अगर वो चाहे तो एक छोटे से गुनाह के लिये अज़ाब दे सकता है। उसने वादा किया है कि वो काफिरों और नास्तिकों (जो मज़हब को न माने) को कभी न खत्म होने वाला अज़ाब देगा।

वो उन मुसलमानों को जहन्नम मे अज़ाब देगा जिन्होंने उसकी इबादत तो की पर उनका यकीन (एतिकाद) **अहले सुन्नत** के यकीन के मुताबिक नही था और बिना तौबा किये मर गये। पर यह **बिदअती** मुसलिम हमेशा जहन्नम में नही रहेगें।

इस दुनिया में अल्लाह को इन आंखों से देखना मुमकिन है पर अभी तक किसी ने नही देखा। फैसले के दिन काफिरों और गुनाहगार मुसलमानों को

वो जलाल और गज़ब के हाल मे नज़र आयेगा और नेक इन्सानों को उसकी रहमत और खूबसूरती की सूरत मे। फरिश्ते और औरतें भी उसे देख पायेंगे। काफिर इससे महरूम रहेंगे। एक रिपोट जो कहती है कि जिन भी इससे महरूम रहेगे। बहुत से 'उलामा' के मुताबिक, जिन जिन मुसलमानों को अल्लाहु तआला मुहब्बत करेगे उनको सुबह व शाम अल्लाह का दीदार हासिल होगा उससे निचले दरजे के मुसलमानों को हर जुम्मे को, और औरतो को साल मे कुछ दफा, जिस तरह दुनिया के त्यौहार होते है। [हज़रत शेख अब्दुल हक देहलवी [दिल्ली में **1052 (1642** A.D.) में वफात पा गये] अपनी फारसी किताब **तकमीलुल ईमान** में लिखते हैं: "एक हदीस शरीफ कहती हैं," **जैसा तुम चौदहवी का चांद देखते हो ऐसे तुम अपने रब को आख़िरत के दिन देखोगे**। जिस तरह अल्लाह तआला को इस दुनिया में बयान नही किया जा सकता वैसे ही उस दुनिया में भी। अबुल हसन अल अशारी और अल इमाम उस सुयुती और अल इमामुल बुख़ारी जैसे बड़े आलिम कहते हैं कि फरिश्ते भी जन्नत में अल्लाह तआला को देखेंगे। इमामे आज़म और कुछ और उलेमा ने फरमाया हैं कि जिन सवाब नही कमायेंगे और जन्नत में दाख़िल नही होगे और बस फरमाबरदार जिन ही दोज़ख से बचाये जायंगे। औरतें अल्लाह तआला को त्यौहार की तरह साल में एक बार देखेंगी। कामिल ईमान वाले हर सुबह शाम और बाकी ईमान वाले सिर्फ जुमे के दिन उसका दीदार कर सकेंगे। तो यह खुशख़बरी वफादार औरतो, फरिश्तों और जिनों के लिये भी हैं; यह सही हैं कि कामिल और आरिफ औरतें जैसे फातिमा अज़ ज़हरा, ख़दीजा-तुल कुबरा, आएशा अस सिद्दिका और दूसरी पाक बीवियाँ (नबियों) और हज़रत मरियम और हज़रत आसिया से खास तरह से पेश आया जायेगा। इमामे सुयुती का भी यही मतलब था।] यह यकीन करना ज़रूरी है कि हम अल्लाहु तआला को देखेंगे। पर फिर भी हमें यह नही सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा; उसके काम इन्सानी अक़्ल से नही सोचे जा सकते। यह काम दुनियावी नही है। यह दिशाओ

के तसव्वुर, किसी के पीछे या सामने का अल्लाह तआला से कोई मेल नही है। वो कोई चीज़ नही है। वो कोई शय नही है, [न वो कोई ज़र्रा है, न धातु न अहाता है।"]। उसे नापा नही जा सकता, उसे मापा नही जा सकता न उसे गिना जा सकता। उसमे कोई बदलाव नही होते। वो कोई जगह नही है। वो वक़्त के साथ नही है। उसका कोई माज़ी या मुस्तक्विल नही, न कोई आगे या पीछे, न ऊपर नीचे और ना दाये बाये। इसलिये इन्सानी अक़्ल उसका अक्स नही सोच सकती। तभी इन्सान अन्दाज़ा नही लगा सकता कि वो उसे कैसे दिखेगा। हालांकि लफ्ज़ जैसे हाथ, पैर, दिशा, जगह और पसन्द, जोकि अल्लाह तआला के लिये वाजिब नही है हदीस और आयत मे मौजूद है, पर जिस तरह से हम उन्हें आज इस्तेमाल करते है यह वैसे नही है। ऐसी हदीस और आयतों को **मुताशाबिहा** कहते है। हमें उन पर यकीन रखना चाहिए, पर उसका मतलब समझने की कोशिश या जैसे वो दिखती है, नही करना चाहिए। या फिर उनको अच्छी तरह मे **तावील** करना चाहिए। यानी उनको ऐसे मतलबो मे ढालना जो अल्लाह तआला के मुताल्लिक हो। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ हाथ का मतलब अल्लाह की ताकत का तर्जुमा हो सकता है।

मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अल्लाहु तआला को मेराज के दौरान देखा था। बराए मेहरबानी पवित्र रातों के लिए **सआदते अबदिया** के साठवें अध्याय के तीसरे पूलिका पर गौर करे। पर वो देखना इस दुनिया की आंखो की तरह देखना नही था। वो शख़्स जो कहता है कि उसने इस दुनिया में अल्लाह को देखा है वो एक ज़िन्दिक है। औलिया-ए-इकराम का नज़रिया और अल्लाह को देखना इस दुनिया या दूसरी दुनिया से काफी अलग था। दूसरे लफ्ज़ों में यह रूया देखना नही था पर शुहुद था [यानी वो अपने दिल की आंखो से मिसाल देखा करते थे]। कुछ औलिया कहते थे कि उन्होंने उसे देखा

था। पर बेहोशी की हालत में उन्होंने जो देखा वो **शुहुद** था न कि रूया। या उनके लफ्ज़ की अब भी तफसील करनी बाकी है।

सवाल: उपर यह कहा गया है कि अल्लाह तआला को इस दुनिया मे देखना मुमकिन है। फिर जो चीज़ मुमकिन है अगर उसे इन्सान कहे कि यह हुआ है तो वो इन्सान ज़िन्दिक क्यो है? जो इन्सान यह कहता है वो काफिर हो जाता है, क्या यह मुमकिन है?

जवाब: जायज़ (मुमकिन) के लफ्ज़ी मायनें है 'होना या न होना मुमकिन'। अशारी मसलक के मुताबिक रूया इमकानात इस तरह है कि अल्लाह तआला अपने बन्दे मे ऐसी मुख्तलिफ चीज़े पैदा कर दे कि वो उसे इस दुनिया मे देख सके, यह देखना दुनियावी देखने से अलग होगा न तो आमने सामने और न जिस्मानी तौर पर। मिसाल के तौर पर उसने चाहा तो यह मुमकिन कि चीज़ के अनदालूसिया मे एक अन्धे इन्सान को मच्छर दिखा या चांद या सूरज पर कोई चीज़ का देखना। ऐसी ताकत सिर्फ अल्लाह तआला की है। और कहना कि "मैने उसे इस दुनिया मे देखा है", आयत के और उलामा की बातों के मुताबिक भी नही है। तभी जो भी यह कहता है वो मुलहिद या ज़िन्दिक है। तीसरे "अल्लाह को इस दुनिया मे देखना मुमकिन है" लफ्ज़ों का यह मतलब नही कि उसको जिस्मानी तौर पर देखा जायेगा। जो यह कहता है कि उसने अल्लाहु तआला को देखा है उसका मतलब उसने उसे ऐसे देखा है जैसे वो दूसरी चीज़ों को देखता है; यह वो देखना है जो मुमकिन नही है। वो इन्सान जो उन लफ्ज़ों को बोलता है जो कुफ्र है तो उसे **मुलहिद** या **ज़िन्दिक** [मुलहिद या जिन्दीक कहते है कि वो मुसलमान हैं। मुलहिद अपने लफ्ज़ो के पक्के हैं; वो सोचते हैं कि वो मुसलमान हैं और सही रास्ते पर हैं। जबकि ज़िन्दीक इस्लाम के दुश्मन हैं। वो मुसलमान होने का ढोंग करते हैं ताकि इस्लाम को नुकसान पहुँचा

सके और मुसलमानों को धोखा दे सके।] कहते है।[इसके जवाबों के बाद मौलाना ख़ालिद ने फरमाया, "होशियार रहो!" उनका मतलब दूसरे जवाब की तरफ मुतावज्जों कराना था।]

वक़्त का बीतना, दिन और रात, को अल्लाह तआला से मुतालिक नही किया जा सकता।उसमे किसी भी तरह का बदलाव नही आता, न ही यह कहा जा सकता है कि वो पहले ऐसा था और आगे वैसा होगा।वो किसी चीज़ भी चीज़ के अन्दर नही है।वो किसी से मिला हुआ नही है।उसका कोई बरअक्स, उल्टा, पसन्द, साथी, रहबर या मददगार नही है।उसका कोई बाप, माँ, भाई, बहन, बेटी या बीवी नही है।वो हर वक़्त हर किसी के साथ मौजूद है, हर शय के आस पास और सब देखता है।वो हर किसी के ख़ून की नली जो इन्सान के गले मे मौजूद होती है उससे भी ज़्यादा वो करीब है।हालांकि उसकी करीबी, उसकी मौजूदगी, उसका साथ वैसा नही है जैसे इन लफ़्ज़ों से बयान है।उसका पास होना किसी भी उलामा की समझ से बाहर है, न किसी साईंसदान की समझ और इल्म मे है और न ही औलिया के कशफ और शुहुद मे है।इन्सानी मिसालें इसके अन्दरूनी मतलब को नही समझ सकती।अल्लाह तआला अपनी शख़्सियत और ख़ुसुसियत मे वाहिद है।उनमे कोई तब्दीली नही होती।

अल्लाह तआला के नाम **तौकीफी** है, यानी, इस्लाम मे बताये गये अल्लाह के नामो का इस्तेमाल करना जायज़ है पर उसके अलावा कोई अल्फाज़ इस्तेमाल करना जायज़ नही है।[मिसाल के तौर पर अल्लाह तआला को "आलिम" कहा जा सकता है पर "फाकिह" नही जिसका मतलब भी आलिम होता है, इस्लाम में अल्लाह तआला का नाम फासिक नही।इसी तरह अल्लाह को 'गॉड' कहना सही नही है क्योंकि 'गॉड' मतलब 'मूर्ति' के है; "गाय

हिन्दुओं की भगवान है," मिसाल के तौर पर कहा गया है। यह कहना जायज़ हैं कि: अल्लाह एक है उसके अलावा कोई ख़ुदा नही। लफ्ज़ जैसे दिऊ (फ्रेन्च) और गोट (जर्मन), मूर्ति के लिए इस्तेमाल किये जा सकते हैं पर अल्लाह के लिए नही।] अल्लाह के नाम अनंत है। यह सबको पता है कि उसके एक हज़ार एक नाम है: यानी उसने अपने एक हज़ार एक नाम इन्सानों पर खुलासे किये। मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के मज़हब में निन्यानवें नाम जिन्हें असमा उल हुस्ना कहते है, के खुलासे किये।

अल्लाह तआला की **सिफाते सहुबुतिय्या, मातुरिदिया** [पेज 11 का फुटनोट देखे सिफाते ज़ातिया के लिये जो छः हैं।] में आठ और **अशारिया** में सात है। यह सिफाते हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है। यह मुकद्दस है। यह मख़लूक की सिफातो (खुसुसियतों) की तरह नही है। इन्हे दुनियावी चीज़ों से मिलाकर नही जाना या मापा जा सकता। अल्लाह तआला ने इन्सानों पर अपनी हर एक सिफात की मिसाल नाज़िल की। इन मिसालों को देखकर अल्लाह तआला की सिफातों को एक छोटे पैमाने पर समझा जा सकता है। जब इन्सान अल्लाह तआला को पूरी तरह समझ नही सकता तो यह जायज़ नही कि वो इसकी कोशिश करे। अल्लाह तआला की आठ सिफातें न तो उसके जैसी है न उससे अलग है, यानी उसकी सिफातें उसे नही बनाती न ही वो उससे जुदा है। यह आठ सिफाते है:

हयात (ज़िन्दगी), **इल्म** (हर तरह का साईंस), **समओ** (सुनना), **बसर** (देखना), **कुदरा** (सबसे ताकतवर), **कलाम** (बयान लफ्ज़), **इरादा** (चाहत), और **तकवीन** (बनाना), अशारिया मसलक में तकवीन और कुदरा मिलके एक सिफात बनाते है। माशिया और इरादा एक ही चीज़ हैं।

अल्लाह के सारे आठों सिफातों मे हर एक सिफात वाहिद है और एक जैसी शक्ल में ही है। उनमें कोई बदलाव नही होता। पर मख़लूक से मुताल्लिक़ यह अलग है। यानी अपने मख़लूक से मुताल्लिक़ उसकी कई सिफात अलग है और उनपे अपनी सिफात रखने पर भी उसका वाहिद होना बरकरार रहता है। इसी तरह, हालांकि अल्लाह तआला ने कई मख़लूक बनाई और उसको तबाह होने से भी बचाता है पर वो फिर भी वाहिद है। उसमे कभी कोई तब्दीली नही आई। हर तरह के काम मे हर शय को उसकी हमेशा ज़रूरत रहती है। पर उसे किसी काम मे किसी की ज़रूरत नही।

2. छः बुनियादों में ईमान की दूसरी बुनियाद है **"उसके फरिश्तों पर यकीन करना।"** फरिश्ते शय है पर हवाई (लतीफ) है, किसी भी गैस से ज़्यादा हवाई। वो नूरानी है। वो ज़िन्दा है। उनमे अक़्ल है। इन्सानी बुराईयाँ फरिश्तों में मौजूद नही है। वो कोई भी शक्ल ले सकते है। जैसे गैस, पानी या सख्त शक्ल मे बदलते हुए कोई भी शक्ल ले लेते है ऐसे ही फरिश्ते खूबसूरत शक्ल इख़्तियार कर सकते है। फरिश्ते आला इन्सानों की रूहें नही हैं जो उनके जिस्मो से अलग हुई हो। ईसाई सोचते है कि फरिश्ते सिर्फ रूहे है। तवानाई और बिजली की तरह वो सारहीन नही है। कुछ पुराने फलसफी लोग ऐसा सोचते थे। वो सब **"मलायका"** कहलाते है। 'मलक' का मतलब है सफीर या ताकत। सारी ज़िन्दा मख़लूक से पहले फरिश्ते बनाये गये थे। इसीलिये, आसमानी किताबों से पहले इन पर ईमान रखने का हुक्म दिया गया था; कुरान करीम में इन ईमानों के नाम तरतीब से दिये गये है।

फरिश्तों पर इस तरह से ईमान रखना चाहिए: फरिश्ते अल्लाह तआला की मख़लूक है। वो उसके साथी नही, और ना ही जैसा मुशरिक और काफिर सोचतें है कि वो उसकी बेटियाँ है। अल्लाह तआला हर फरिश्ते से मुहब्बत करता है। फरिश्ते कभी गुनाह नही करते और हमेशा उसका कहना

मानते है। न वो औरत है और ना ही मर्द। वो निकाह नही करते। उनके बच्चे नही होते। उनमे जान है, यानी वो ज़िन्दा है। हालांकि एक रिवायत जोकि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) से नकल की जाती है कि कुछ फरिश्तों की औलादे भी थी जिनमे से शैतान और जिनों को गिना जाता है; इसकी वज़ाहत किताबों में मौजूद है। जब अल्लाह तआला ने ऐलान किया कि वो इन्सानों को बनाएगा तब फरिश्तों ने पूछा, "ऐ अल्लाह! क्या तू उस मख़्लूक को बनाने जा रहा है जो हर तरफ ख़ून ख़राबा करेगें और ज़मीन में फसाद पैदा करेंगे ?" फरिश्तों के ऐसे सवालों को **ज़ल्ला** कहा जाता है, पर इसका मतलब यह नही कि वो मासूम नही हैं।

तमाम मख़्लूक में से फरिश्ते ही सबसे ज़्यादा तादाद में है। अल्लाह तआला के सिवा कोई उनकी गिनती नही जानता। आसमान में ऐसी कोई ख़ाली जगह नही है जहाँ फरिश्ते इबादत नही करते। आसमान की हर जगह में या तो फरिश्ते 'रूकु' कर रहे है या 'सज्दा'। आसमानों मे, ज़मीन पर, बारिश की हर एक बूंद पर, पत्तियों पर, माद्दे पर, हर हरकत पर, हर शय पर कोई न कोई फरिश्ता मौजूद है। वो हर जगह अल्लाह का हुक्म पूरा करते है। वो मख़्लूक और अल्लाह तआला के बीच में है। कुछ दूसरे फरिश्तों के हुक्मरान है। कुछ लोगों में से नबियों तक पैग़ाम पहुँचाते है। कुछ फरिश्तें इन्सानी दिलों तक अच्छे ख़्याल, जिन्हे **इल्हाम** कहते है, लाते है। कुछ को यह इल्म ही नही है कि कोई मख़्लूक या इन्सान भी मौजूद है, और वो बेसुध अल्लाह की ख़ुबसूरती मे खोए रहते है। कुछ फरिश्तों के दो 'पर' है तो कुछ के चार या और ज़्यादा। [हर तरह के परिन्दे के पर या हवाईजहाज़ के पंख सब अपने ख़ुद की तरह के होते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं, इसी तरह फरिश्तों के पर भी अलग होते हैं। जब हम उन चीज़ों को सोचते है जिन्हे हमने कभी देखा नही, हम उन्हें दूसरी चीज़ों से मिला कर देखते हैं जिन्हे हम जानते हैं, जोकि कुदरती तौर पर

ग़लत हैं। हम मानते हैं कि फरिश्तों के पर होते हैं, पर हम नही जानते वो कैसे दिखते हैं, चर्च में बने तस्वीरो की तरह, फिल्मो की तरह जो कि फरिश्तों की तरह दिखते हैं ग़लत हैं। मुसलमान ऐसी तस्वीर नही बनाते। हमें इस्लाम के दुश्मनों की बनाई हुई ऐसी तस्वीरों पर यकीन नही करना चाहिए।] जो फरिश्ते जन्नत से ताल्लुक रखते है वो जन्नत में ही रहते हैं। उनके आला (बड़े) फरिश्ते का नाम है **"रिज़वान"**। जहन्नम के फरिश्ते **ज़बानीस** जहन्नम में उसको दिया गया हुक्म पूरा करते है। जैसे कि मछलियों को दरिया कोई नुकसान नही पहुँचाता ऐसे ही जहन्नम की आग उन्हें नुकसान नही पहुँचाती। वहाँ उन्नीस बड़ें ज़बानीस है उनका आला अफसर **'मालिक'** है।

हर इन्सान के लिए चार फरिश्तें मुकर्रर है जो उसके हर अच्छे और बूरे आमाल का हिसाब रखते है। उनमे से दो रात मे आते है और दो दिन मे। उन्हें **किरामन कातिबीन** या **हफाज़ा** के फरिश्ते कहते है। यह भी कहा गया है कि हफाज़ा के फरिश्ते किरामन कातिबीन से मुख्तलिफ है। इन्सान के सीधी तरफ का फरिश्ता आला होता है सारे नेक आमालों का हिसाब रखता है। उल्टी तरफ वाला फरिश्ता बुरें आमालों को लिखता है। कुछ ऐसे भी फरिश्ते है जो नाफरमान मुसलमानों को उनकी कब्रों मे तकलीफ पहुँचाते है और वो फरिश्ते जो कब्र मे सवाल पूछते है। उन्हे **मुनकर** और **नकीर** कहते है। वो जो मुसलमानों से सवाल पूछेंगे उन्हे मुबश्शिर और बशीर भी कहते हैं।

फरिश्तों के भी आपस मे दरजे होते है। सबसे बड़े फरिश्ते चार हैं। पहले है **जिबराईल** (अलैहिस्सलाम)। आप का काम था नबियों तक **वही** पहुँचाना और उन्हें हुकुम और मना की गई चीज़ों से आगाह करना। दूसरे है **इस्राफील** (अलैहिस्सलाम), जो आख़िरी बिगुल बजायंगे जिसे **सूर** कहते है। आप दो बार सूर फूकेंगे। पहले सूर से अल्लाह तआला को छोड़ कर सारी ज़िन्दा चीज़ें मर जायेंगी। दूसरे सूर की अवाज़ पर सब फिर ज़िन्दा हो

जायेंगे। तीसरे है **मीकाईल** (अलैहिस्सलाम)। आपका काम है सस्ताई, महंगाई, कमी, ज़्यादती (इकतसादी तौर पर आराम और आसानी के लिये) बनाना और हर शय (चीज़) को हिलाना। चौथे है **इज़राइल** (अलैहिस्सलाम), जो इन्सानों की रूह कब्ज़ करते है। इन चारों के बाद, चार आला दरजे और आते है: **हमालतुल अर्श** के चार फरिश्ते, जो दुबारा ज़िन्दा होने पर आठ हो जायेंगे; फरिश्ते जो मौजूदे इलाही मे होगे, वो **मुकर्रबून** कहलाते है; अज़ाब देने वालों के लीडर को **करबियून** कहते है; और रहमत के फरिश्तों का नाम **रूहानियत** है। यह सारे ऊँचें फरिश्तें, सारे इन्सानों से भी ऊँचें हैं, नबियों को छोड़के (अलैहिमु ससलातु वत्तसलिमात)। मुसलमानों मे से सुलाहा और औलिया आम और नीचे तवके के फरिश्तों से ऊपर है। और आम फरिश्ते, गुनहगार, नाफरमान मुसलमानों से ऊपर है। काफिर, पूरी मख़लूक मे सबसे नीचे है।

पहले सूर की आवाज़ में, हमालतुल अर्श और चार मेहराब फरिश्तों को छोड़के सारे फरिश्ते हलाक हो जायेगे। फिर हमालतुल अर्श और मेहराब फरिश्ते भी हलाक हो जायेंगे। दूसरे सूर की आवाज़ पर सारे फरिश्ते ज़िन्दा हो जायेंगे। हमालतुल अर्श और चार फरिश्ते धीरे-धीरे से ज़िन्दा होगे दूसरे सूर से थोड़ा पहले। यानी ये वो फरिश्ते है जो सारी मख़लूक के मरने के बाद हलाक होगे, और यही वो है जो सबसे पहले बनाये गये थे।

3. ईमान की 6 बुनियादों मे से तीसरी बुनियाद है, **"अल्लाह की भेजी हुई किताबों पर यकीन रखना।"** उसने यह किताब अपने कुछ नबियों पर नाज़िल की फरिश्तों के ज़रिये। और कुछ किताबें अल्लाह ने नबियों को लिखी हुई भेजी और कुछ बिना फरिश्तों के ज़रिये सुनाई। यह सारी किताबें अल्लाह तआला के लफ्ज़ है (कलाम अल्लाह)। यह अतीत मे भी थी और हमेशा ही रहेगी। यह मख़लूक नही है। यह न फरिश्तों के लिखे हुए लफ्ज़ है न

पैग़म्बरों के बनाये हुए।जो लफ़्ज़ हम बोलते है, दिमाग मे सोचते है या जो हमारी ज़बान है अल्लाह तआला के लफ़्ज़ उससे बिल्कुल मुख़्तलिफ है।यह वो नही जो लिख्ने, बोलने या दिमाग में इस्तेमाल हो।इसके न अल्फ़ाज़ है न आवाज़।इन्सान अल्लाह तआला और उसकी ख़ासियतों को नही समझ सकता।पर इंसान अल्लाह के लफ़्ज़ों को पढ़ सकता है, लिख सकता है और हिफ़्ज़ कर सकता है।जब यह लफ़्ज़ हमारे साथ हो तो यह हदीस बन जाता है, जो एक मख़्लूक है।यानी, अल्लाह तआला के लफ़्ज़ के दो पहलू है।जब इसे अल्लाह तआला के अल्फ़ाज़ों के तौर पर देखा जाता है तो यह कदीम है।और जब यह इन्सानों के पास हो तो यह मख़्लूक और हदीस है।

अल्लाह तआला की तरफ से भेजी गई सारी किताबें बेशक सही है।उसमे कोई शक शुब्हा या झूठ नही है।हालांकि उसने कहा है कि वो सज़ा और आज़ाब देगा, पर यह भी मुमकिन है कि वो माफ कर दे, यह उसकी मर्ज़ी है या वो शर्ते जिन्हे इन्सान नही समझता, या इसका मतलब है कि मुसलमान जो सज़ा अज़ाब के हकदार है वो उसे माफ करदे।चूंकि 'सज़ा' और 'अज़ाब' किसी वाकिये को बयान नही करते, यह झूठ नही होगा अगर वो माफ करता है तो।और यह भी मुमकिन नही कि वो ईनाम न दे जिसका उसने वादा किया हो, यह मुमकिन है कि वो सज़ाओ को माफ कर देगा।इन्सानों के कानून, वजहे और आयतें हमें सही साबित करती है।

यह बहुत ज़रूरी है कि आयतों और हदीसों की तशरीह उनके लफ़्ज़ी मायनों मे की जाये, जबकि कोई तकलीफ या ख़तरा हो।लफ़्ज़ी मायनों के अलावा, उससे मिलते-जुलते मायनें देना भी जायज़ है।[कुरान करीम और हदीस शरीफ दोनों कुरैशी ज़बान और बोली में हैं।पर **1300** साल पहले के हिजाज़ के लफ़्ज़ो के मायनों में इस्तेमाल होने चाहिए थे।उनके मिलते-जुलते मतलब निकाल के उनका तर्जुमा करना जायज़ नही, जिससे वो हर सदी में

बदलता रहे।] आयत जिन्हे **मुताशाबिह** कहते है उसमे छुपा हुआ मतलब होता है। उनका मतलब सिर्फ अल्लाह तआला जानता है और बहुत कम आला लोग जो 'इल्मे लदुन्नी' की हद तक कामिल है और उनको हुकुम है जानने का तो वो जान सकते है। कोई और इसको नही समझ सकता। इस वजह से हमें मुताशाबिहा की आयतों पर यकीन रखना चाहिए कि वो अल्लाह के लफ्ज़ है और उनके मायनों की तफतीश नही करनी चाहिए। अशारी मसलक के आलिमों ने कहा था कि ऐसी आयतों की तावील करना जायज़ है। **तावील** का मतलब है, एक लफ्ज़ के कई मायनों मे से उस एक मायनें को चुनना जो उन लफ्ज़ों से मिलता जुलता न हो। मिसाल के तौर पर इस आयत में, **"अल्लाह के हाथ उनके हाथों से बेहतर है"** जोकि अल्लाह तआला के लफ्ज़ है, हमें कहना चाहिए कि अल्लाह जो कुछ भी इन आयतों में कहता है हम उसका यकीन करते हैं। सबसे बेहतर यह कहना है, "मैं इसका मतलब नही समझ सकता। सिर्फ अल्लाह तआला जानता है।" या हमें कहना चाहिए, "अल्लाह तआला का इल्म हमारे इल्म से अलग है। उसकी रज़ा हमारी रज़ा की तरह नही है। इसी तरह अल्लाह के हाथ, इन्सानी मख़लूक के हाथों की तरह नही है।"

अल्लाह तआला की नाज़िल की गई किताबों मे अल्लाह के ज़रीये या तो उनके तलफ्फुज़ या फिर मायनें (कुछ आयतों के) बदल दिये गये थे। कुरान करीम ने सारी किताबों की जगह ली और उनके कानूनो को खत्म किया। दुनिया के खातमे (क़यामत के दिन) तक इसमे कोई ग़लती, भूल, जोड़ना, घटाना, झूटे अल्फाज़ या भूल-चूक नही हो सकती। पिछले और अगले ज़मानो का इल्म कुरान करीम मे मौजूद है। इसी वजह से कुरान करीम सारी किताबों से अफज़ल और कीमती है। हुजूर पाक (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का सबसे आला मौज़िज़ा कुरान करीम है। अगर तमाम आलम के इन्सान और जिन मिलकर भी कुरान करीम की सबसे छोटी आयत जैसी आयत लिखने की कोशिश करे तो

वो नही लिख पायेगे। दर असल बहुत वसीह अदबी शायरों ने (अरब के शायर) भी काफी कोशिशे की आयते जमा करने की जोकि कुरान की तीन सबसे छोटी आयत जैसी हो, पर वो नाकाम रहे। वो कुरान करीम के सामने नही टिक सके। वो पागल थे। अल्लाह तआला ने इस्लाम के दुश्मनों को कुरान करीम के आगे लाचार बना दिया। कुरान का बयान इन्सानी ताकत से ऊपर है। जैसा इसमे बयान है, इन्सान ऐसा बयान नही कर सकता। कुरान करीम के आयात, इन्सानी शायरी, कहावत या तुकबंदी की तरह नही है, इसके बावजूद, यह अरब के वसीह इन्सानों के ज़रिये बोले जाने वाली ज़बान के लफ्ज़ों मे बयान है।

हम पर एक सौ चार (104) आसमानी किताबें नाज़िल हुई; यह आम है कि आदम (अलैहिस्सलाम) पर 10 सुहुफ नाज़िल हुए शीस (अलैहिस्सलाम) पर 50, 30 सुहुफ इदरीस (अलैहिस्सलाम) और 10 सुहुफ इब्राहीम (अलैहिस्सलाम); मूसा (अलैहिस्सलाम) पर **तौरात**, दाऊद (अलैहिस्सलाम) पर **ज़ुबूर**, ईसा (अलैहिस्सलाम) पर **इन्जील** और **कुरान करीम** मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर नाज़िल हुई।

जब कोई इन्सान कोई हुक्म देना चाहता है, किसी चीज़ से रोकने कुछ पूछने या कुछ खबर देने के लिए तो वो इस चीज़ को पहले दिमाग मे सोचता है। दिमाग के इन मायनों को **"कलाम नफ्सी"** कहते है जिन्हे अरबी फारसी या अंग्रेज़ी नही कहा जा सकता। अलग-अलग ज़बानों में इसका बोला जाना इसके मायनें नही बदल सकता। लफ्ज़ जो इसके मायनें बयान करते है उन्हें **"कलाम लफ्ज़ी"** कहते है। कलाम लफ्ज़ी अलग-अलग ज़बानों मे कहे जा सकते है। कलामे लफ्ज़ी मुख्तलिफ ज़बानों में समझाया जा सकता है। इससे पता चलता है कि कलाम नफ्सी दरअसल, दूसरी सिफात की तरह, मसलन, इल्म,

इरादा, बसर जैसी सहिबे कलाम में पाई जाने वाली बुनियाद, नाकाबिले तब्दील और एक मुनफरिद सिफात है।जबकी कलामे लफ्ज़ी, कलामे नफ्सी को समझाने वाली और इंसान के कान तक आने वाली और कहने वाले के मन से अदा किये गये अल्फाज़ों का मजमुआ है।बस अल्लाह तआला का कलाम, जिसके लिए वे आवाज़ी नही, जो मख़्लूक नही, और जो उसकी ज़ात के साथ पाया जाने वाला, अज़ली व अब्दी कलाम है।यह सिफाते ज़ातिया से और इल्म, इरादा, जैसी सिफाते सबूतिया के अलावा है।

बज़ाते खुद एक सिफत है।सिफते कलाम भी बुनियादी है।यह भी तब्दील नही हो सकती।यह लफ्ज़ी नही है।यह अवामिर, नवाहि, खबर देने की तरह और अरबी, फारसी, इबरानी, तुर्की, सुरयानी होने की तरह एक दूसरे में तब्दील हो जाने वाली, टुकड़े हो जाने वाली नही है।यह इन जैसी शक्ले नही बनाती।लिखी नही जाती।ज़हन, कान और ज़बान जैसी चीज़ों की मोहताज नही।इसे जिस ज़बान में कहा जाना मतलूब हो कहा जा सकता है।ऐसे ही अगर अरबी में कहा जाये तो कुरान करीम कहलाती है।इबरानी में कहा जाये तो तौरात होती है।सिरयानी हो तो इंजील है।**शरहुल मकासिद** [साद उद्दीन उस तफताज़ानी, जिनकी वफात समरकंद में **792** A.H. **(1389)** में हुई] की किताब के मुताबिक यूँ कहा गया है, युनानी में कहा जाये तो इंजील, सिरयानी में तो ज़ुबूर है।

कलामे इलाही मुख्तलिफ चीज़ों की वज़ाहत फरमाता है।किसस, यानी वाकिआत बयान करे वो **खबर** कहलाते है।ऐसा ना हो तो **इन्शा** होता है।ज़रूरी अहकामात के मुताल्लीक बयान करे तो अम्र होता है।ममनूआत को बयान करे तो नहय कहा जाता है।लेकिन कलमे इलाही में कोई तब्दीली या ज़यादती मुमकिन नही।हर नाज़ील की गई सब किताब और सहीफे, अल्लाह

तआला के कलामे नफ्सी है। अरबी हो तो कुरान अल करीम है। जब लफ्ज़ी होकर, तहरीर किये जाने, सुने जाने, और ज़बानी याद करने के लिए वही किये गये कलाम को **कलमे लफ्ज़ी** या कुरानुल करीम कहा जाता है। क्योंकि यह कलाम लफ्ज़ी, कलाम नफ्सी की अकासी करता है इसलिए इसे कलामे इलाही या सिफाते इलाही कहना जाईज़ है। जैसे सारा कलाम कुरानुल करीम कहलाता है वैसे उनके हिस्सो को भी कुरान कहते है।

कलाम नफ्सी के मख़्लूक ना होने, कदीम होने के मुताबिक सब उलेमा एक मत है। कलाम लफ्ज़ी के हदीस या कदीम होने के मुताल्लिक़ एक मत राय नही है। उन उलेमा के बकोल जो इसके हदीस होने पर मुताफिक है, कलामे लफ्ज़ी को हदीस कहना सही नही। अगर इसे हदीस कहा जाये तो कलामे नफ्सी का हदीस होना समझा जा सकता है। यह बात सबसे वे ऐतबार है। जब किसी चीज़ की अकासी करने वाली किसी बात को सुन जाये तो इंसानी ज़हन को फौरन वो चीज़ याद आ जाती है। उलेमाए अहले सुन्नत वल जमाअत में से करानुल करीम के हदीस होने का बयान करने वालों की यह फिक्र, हमारी ज़बान से अदा किये जाने वाले अल्फाज़, अवाज़ें और कलिमात के मख़्लूक होने की तरफ इशारा करती है। अहले सुन्नत वल जमाअत के उलेमा ने एक मत पर कलाम लफ्ज़ी और नफ्सी दोनों को ही कलामुल्लाह कुबूल किया है। इस बयान पर बाज़ लोगों ने राहे मिजाज़ भी इख़्तियार की लेकिन कलामे नफ्सी कलामुल्लाह है कहने से, अल्लाह तआला की सिफते कलाम मुराद है। कलाम लफ्ज़ी कलामुल्लाह है कहने से यह मुराद है कि अल्लाह तआला उसका ख़ालिक है।

सवाल: पीछे लिखी गई बातों से पता चलता है कि अल्लाह के अज़ीम लफ्ज़ सुने नही जा सकते। एक शख़्स जो यह कहता है कि "मैने अल्लाह के लफ्ज़ सुने है", उसका मतलब होता है "मैने बोले गये अल्फाज़

और आवाज़ सुनी है", या मैने अनन्त कलामे नफ्सी समझा है इन अल्फाज़ों के ज़रिये। सभी पैग़म्बर यहाँ तक कि सभी इन्सान इन दोनों तरीकों से सुन सकते है। तो मूसा (अलैहिस्सलाम) को अलग से कलीम-अल्लाह (वो जो अल्लाह से बात करता हो) क्यो कहा गया?

जवाबः मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अल्लाह के लफ्ज़ सुने थे बिना आवाज़ या अल्फाज़ों के वह आदते अहलिया का अलग ज़रिया था। जिस तरह से आख़िरत में अल्लाह का देखा जाना नही बयान किया जा सकता उसी तरह मूसा (अलैहिस्सलाम) का सुनना मुख़तलिफ था जो इन्सानी समझ से बाहर है। या उन्होंने अल्लाह के अल्फाज़ सिर्फ कानों से नही सुने बल्कि जिस्म के हर हिस्से हर तरफ से सुने। फिर उन्होंने पेड़ की तरफ से ही सुना पर फिर भी न अवाज़ से न झनझनाहट से न किसी और तरीके से सुना इसलिए आपको **कलीम अल्लाह** कहा जाता है। मुहम्मद (सल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने भी अल्लाह की आवाज़ सुनी थी मेराज की रात में और जिबराईल के ज़रिये भी जब वो वही लाते थे।

4. ईमान की छः बुनियादों में चौथी बुनियाद है **"अल्लाह के नबियों पर ईमान लाना"** जोकि इन्सानों को अल्लाह की पसन्द का रास्ता दिखाने और सच्ची राह पर चलाने के लिये भेजे गये। **रसूल** के लफ्ज़ी मायनें है "भेजे गये पैग़म्बर।" इस्लाम में रसूल का मतलब है आलिम, इज़्ज़त बख़्श इन्सान जिसका

मिजाज़, ख़ासियत, इल्म और अक़्ल उस वक़्त के दूसरे लोगों से अफज़ल हो, उसमे कोई बुराई न हो। रसूलों की एक ख़ासियत **इस्मत** है यानी रसूल नबुव्वत मिलने से पहले और बाद में भी कोई सगीरा या कबीरा गुनाह नही करते। [वो काफिर जो इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश करने वाले कहते हैं, "नबुव्वत पाने से पहले मुहम्मद 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' बुत

परस्ती करते थे," और नामज़हबी किताबों की रिवायत दी। ऊपर दी गई लाइने यह साबित करती हैं कि यह एक झूठ हैं।] अपनी नुबव्वत के ऐलान हो जाने के बाद नबियों में, अधांपन, बेहरापन जैसी कमियाँ नही आती। यह भी यकीन करना चाहिए कि हर नबी में सात ख़ासियतें होती है: **अमानत, सिदक** (अकीदत), **तब्लीग** (ख़बर देना), **अदाला** (इंसाफ), **इस्मत** (पाक), **फताना** (खुफिया इल्म) और **अम्न अल अज़ल** (नबुव्वत से बर्ख़ास्त न होने की आज़ादी).

एक नबी जो नये मज़हब को लेकर आता है उसे **"रसूल"** (पिग़म्बर) कहते है। और जो नये मज़हब को नही लाता पर लोगों को पुराने मज़हब की तरफ मुतवज्जा करता है उसे **'नबी'** कहते है। ['रसूल' को 'नबी' भी कहा गया है।] अल्लाह के हुकम की तब्लीग में और लोगों को अल्लाह के मज़हब की तरफ बुलाने के मामले में नबी और रसूल में कोई फर्क नही है। हमें बिना किसी शक के सभी नबियों पर यकीन (ईमान) रखना है कि वो सच्चे थे। वो जो किसी एक नबी में भी यकीन नहीं रखता वो किसी में भी यकीन न रखने वाला माना जाता है। बहुत मेहनत करके, भूख या तकलीफ झेलके, या बहुत इबादत करने से नबुव्वत हासिल नही होती। यह सिर्फ अल्लाह तआला की मर्ज़ी और इन्तख़ाब से होती है।

नबियों के ज़रिये भेजे गये मज़हबों का मकसद था इन्सानों की ज़िन्दगी को इस जहाँ और दूसरे जहाँ के लिए कारगर बनाना, और उन्हें बुरी चीज़ों से बचाना और रहनुमाई निजात आसानी और खुशी का रास्ता दिखाना। हालांकि नबियों के कई दुश्मन हुए जिन्होंने उनका मज़ाक उड़ाया और उनसे बुरी तरह से पेश आये पर नबियों ने अल्लाह का मज़हब फैलाने में ज़रा भी कोताही नही की। अल्लाह तआला ने भी अपने नबियों की मदद मोजज़ा के

ज़रिये की और लोगों को दिखाया कि वो सच्चे और नेक है। कोई भी उनके मोजज़ा के आगे टिक नही पाया। नबी की क़ौम को **उम्मत** कहते है। आख़िरत के रोज़ नबियों को इजाज़त होगी कि वो अपनी उम्मत की सिफारिश कर सके ख़ासकर उन लोगों कि जो कबीरा गुनाहों में मुबतला हो, और नबियों की शफाअत कुबूल की जायेगी। अल्लाह तआला, 'उलेमा', 'सुलहा' और औलियाओं को भी इजाज़त देगा कि वो भी अपनी उम्मत की सिफारिश कर सके और उनकी शफाअत भी कुबूल की जायेगी। नबी (अलैहि स्सलातु वस्सलाम) अपनी अपनी कब्रों में उस ज़िन्दगी में ज़िन्दा है जो हम नही जान सकते; ज़मीन उनके मुबारक जिस्मों को सड़ाती नही है। इसी वजह से यह हदीस शरीफ कही गई है, **"नबी सलात और हज अपनी कब्रों में करते है।"** [आज अरब में **वहाबी** हैं। वो ऐसी हदीसों को नही मानते। जो सच्चे मुसलमान इन हदीसों पर यकीन करते हैं यह उन्हें "काफिर" कहते हैं। चूंकि यह इसकी वजह और तर्क देते हैं तो यह काफिर नही हैं पर बिदअत के लोग हैं। यह मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। वहाबियत एक जाहिल ने नजद शहर में शुरू की जिसका नाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब था। हैमपर एक अंग्रेज़ी जासूस ने उसे पाखंडी तरीके बता के गुमराह किया जो तरीके अहमद इब्ने तैम्मिया [d- दमसकस **728** A.H. **(1328)**] के थे। यह तुर्की में और किताबों के ज़रिये एक मिस्री नाम मुहम्मद अबदुह [d- मिस्र **1323** A.H. **(1905)**] में फैल गया। **अहले सुन्नत वल जमाअत** के आलिमों ने अपनी कई किताबों में यह बात उठाई कि वहावी पाँचवे मसलक के मानने वाले नही हैं बल्कि पाखंड और ग़लत रास्ते पर हैं। वज़ाहत **सआदते अबदिया** और **मुस्लिम के लिए सलाह** किताबों में भी हैं। अल्लाह तआला नोजवानो को वहाबियत से बचायें और हमें सही रास्ते अहले सुन्नत वल जमाअत से न दूर करे, जिनकी तारीफ कई हदीसों में हैं। आमीन!]

जब एक नबी की मुबारक आँखें सोती थीं तब भी उनकी दिल की आँखें नही सोती थी। सारे नबी अपना फर्ज़ पूरा करने और नबुव्वत को आला दरजे में ले जाने में बराबर थे। ऊपर बयान की गई सारी सातों ख़ासियतें सभी नबियों में मौजूद थी। नबी कभी भी नबुव्वत से बर्ख़ास्त नही किये गये। औलिया विलायत से महरूम करे जा सकते है। नबी इन्सान थे न कि वो जिन या फरिश्ते जो कभी भी इन्सानों के नबी बनने का दर्जा हासिल कर सके। नबियों के एक दूसरे पर दर्जे थे। मिसाल के तौर पर चूंकि हुजूर पाक आख़री नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की उम्मत बड़ी है और आपका इल्म और मारिफा बड़े पैमाने पर फैला है और क्योंकि आपके मोजिज़ा मुसलसल और बहुत थे और क्योंकि आप पर ख़ास रहमत और बरकत थी इसलिए आप बाकी सब नबियों से ऊँचें है। नबी जिन्हें उलुल आज़म कहा जाता है वो बाकी नबियों से ऊँचें है। रसूल उन नबियों से ऊँचें होते है जो रसूल नही थे।

नबियों की तादाद मालूम नहीं है। यह ज़रूर मालूम है कि वो **1,24,000** से ज़्यादा थे। उनमें से **313** या **315** रसूल थे; और उनमें से **6** बड़े रसूल **उलूल आज़म: आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा** और **मुहम्मद मुस्तफा** (अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम) है .यह तैंतीस **(33)** नबी भी मालूमात में हैं: **आदम, इदरीस, शीत (या शीस), नूह, हूद, सालिह, इब्राहीम, लूत, इस्माईल, इस्हाक़, याकूब, युसुफ, अय्यूब, शुऐब, मूसा, हारून, ख़िदिर, यूसा इब्ने नून, इल्यास, अल्यासा, जुल किफ्ल, शमऊन, समोईल, युनुस इब्ने माता, दाऊद, सुलेमान, लुकमान, ज़कारिया, यहया, उज़ैर, ईसा इब्ने मरियम, जुल करनैन और मुहम्मद** (अलैहिस्सलातु वस्सलाम).

इनमें से सिर्फ अट्ठाईस के नाम कुरान करीम में लिखे है। शीत, ख़िदिर, यूसा, शमऊन और समोईल नही लिखे। इन **28** मे से यह पक्का नही

है कि जुल क़रनैन लुकमान और उजैर नवी थे या नही। यह **'मकतूबात मतूमिय्या'** की दूसरी जिल्द के **36**वें ख़त में लिखा है कि 'ख़िर्ज़' 'अलैहिस्सलाम' एक नवी थे। और **182**वें ख़त में लिखा है: "ख़िदिर 'अलैहिस्सलाम' वक़्त ब वक़्त इन्सानी शक्ल में आते है और कुछ करते है और यह ज़ाहिर नही होने देते कि वो ज़िन्दा है। अल्लाहु तआला ने उनको और कई नवियों और वलियों की रूह को इन्सानी शक्ल में आने की इजाज़त दे रखी हैं। उनको देखने से यह साबित नही होता कि वो ज़िन्दा है। ज़ुल किफ़्ल 'अलैहिस्सलाम' जिन्हे हरकिल कहा जाता था और उन्हें इल्यास इदरीस और जकारिया भी कहा गया था।

इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ख़लीलुल्लाह है क्योंकि उनके दिल में अल्लाह को छोड़के किसी के लिये भी मुहब्बत नही थी। मूसा (अलैहिस्सलाम) कलीमुल्लात है, क्योंकि आपने अल्लाह तआला से बात की थी। ईसा (अलैहिस्सलाम) कलीमातुल्लाह है, क्योंकि आपके कोई वालिद नही थे और अल्लाह के कलिमात से पैदा हुए थे। और आपने अल्लाहु तआला के अल्फ़ाज़ लोगों में तब्लीग किये।

मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम), जो इस पूरी कायनात से ऊपर है और जिनकी वजह से यह पूरी कायनात बनायी गई, हवीवुल्लाह है। ऐसे काफी सवूत है जो साबित करते है कि आप अल्लाह के हवीव है। इसलिए आपके लिये "काबू पाया था" या "हरा दिये गये" ऐसे लफ़्ज़ों का इस्तेमाल नही करना चाहिए। आख़िरत के दिन आप सबसे पहले अपनी कब्र से उठाये जायेंगे और सबसे पहले फैसले की जगह पर पहुँचेंगे। आप ही सबसे पहले जन्नत जायेंगे। हालांकि आपकी प्यारी खुसुसियतों को गिनती करके बयान नही किया जा सकता न उन्हें गिना जा सकता है ना इन्सान के कब्ज़े मे इतनी ताक़त है

कि वो उसे गिन सके, हम अपनी किताब को ज़ेवर लगा रहें हैं आपकी कुछ ख़ासियतें लिख कर:

मिराज पर जाना आपके मोजिज़ात में से एक था: जब आप मक्का मुकर्रमा में अपने बिस्तर पर सो रहे थे आपको जगाया गया और आपके मुबारक जिस्म को कुदुस जेरूस्लम में अक्सा मस्जिद ले जाया गया उधर से जन्नत और उसके बाद सातवें आसमान उस जगह पर जो अल्लाह ने मुकर्रर की। हमें मिराज पर इस तरह से यकीन करना चाहिए। [इस्माईली पाखंडी और ईमान के दुश्मन इस्लामी आलिमों के भेस में जवानों को यह कहके गुमराह करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि मिराज कोई चीज़ नही पर एक रूह हैं। हमें ऐसी ग़लत किताबें नही खरीदनी चाहिए; हमें उनसे धोखा नही खाना चाहिए।] मिराज का किस्सा कई कीमती किताबों में तफ्सील से दिया गया है ख़ासकर **शिफा-ए-शरीफ** में। [काज़ी इयाद अल मालिकी, **शिफा** के लेखक, मोरक्को में **544** A.H. **(1150)** में वफात पाये।] आप जिबराईल 'अलैहिस्सलाम' के साथ मक्का से **सिदरते मुनतहा** जो छठें और सातवें आसमान पर एक पेड़ है वहाँ तक गये। कोई इल्म कोई शय उससे आगे नही जा सकती। सिदरा में रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने जिबराईल 'अलैहिस्सलाम' को उनकी असली शक्ल में छह सौ परो के साथ देखा। मक्का से जेरूस्लम तक और फिर सांतवे आसमान तक **बुराक** पर गये थे जोकि एक सफेद बहुत तेज़ न नर न मादा जन्नत का जानवर और जो ख़च्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। जिसका एक कदम नज़र से परे था। अक्सा मस्जिद में रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) फज्र और इशा की नमाज़ में सारे नबियों के इमाम बने। नबियों की रूह उनके इन्सानी जिस्म के तौर पर मौजूद थी। जेरूस्लम से सातवें आसमान तक आपको एक अनजान सीढ़ी पर चढ़ाया गया जिसे **मिराज** कहते है। रास्ते में फरिश्ते दाये और बायें कतार में खड़े आपकी तारीफ कर रहे

थे। हर जन्नत पर जिबराईल 'अलैहिस्सलाम' रसूलुल्लाह को एक नबी मिले और आपको सबने सलाम किया। सिदरा में आपने कई हैरान कर देने वाली चीज़ें देखी। जैसे जन्नत की रहमत व आराम और जहन्नम का अज़ाब। आपने जन्नत के किसी आराम और नेअमत की तरफ नही देखा बस अल्लाहु तआला को देखने का अरमान लिये चलते गये। सिदरा के बाद वो अकेले नूर में चलते रहे। आपने फरिश्तों के कलम की आवाज़ें सुनी। आप **70** हज़ार पर्दो के पार गये। एक पर्दे से दूसरे पर्दे का फासला तकरीबन **500** सालों के बराबर था। उसके बाद एक तख़्त जिसका नाम **रफ़रफ़** है और जो सूरज से ज़्यादा चमकदार है उसपे से होते हुए कुर्सी तक और फिर अर्श तक पहुँचे। अर्श के पार वक़्त ख़ला और शय की दुनिया के पार पहुँचे। आप एक मुकाम पर पहुँचे जहाँ से अल्लाह को सुना।

आपने अल्लाह तआला को इस अन्दाज़ में देखा जिसे न समझा जा सकता है न बयान किया जा सकता है वैसा ही जैसा अल्लाहु तआला बिना वक़्त और ख़ला की दुनिया में यानी दूसरी दुनिया में दिखाई देगा। बिना लफ्ज़ और आवाज़ के आपने अल्लाह से बात की। आपको कई अनमोल तोहफे और ओहदे दिये गये। आप पे और आपकी उम्मत के लिये पचास वक़्त की नमाज़ मुकर्रर कर दी गई थी पर मूसा 'अलैहिस्सलाम' की दलीलों के बाद उसे कम करके पाँच वक़्त कर दिया गया था। इससे पहले सलात नमाज़ सिर्फ सुबह दोपहर और रात को अदा की जाती थी। इस लम्बे सफर के बाद कई तोहफे और नेअमतें लेकर और परेशान कुन चीज़ें सुनकर और देखकर आप वापस अपने बिस्तर पर आये जो अभी तक ठंडा नही हुआ था। जो भी हमने ऊपर लिखा है वो कुछ आयत से और कुछ हदीस शरीफ से समझा गया है। सब पर यकीन करना वाजिब नही है। पर इन सबकी तब्लीग अहले सुन्नत वल जमाअत के आलिमों ने की है इसलिये जो भी इन सच्चाईयों से इन्कार करेगा वो अहले सुन्नत वल जमाअत से बाहर हो जायेगा। और वो काफिर हो जाता है।

मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के सय्यदुल अम्बिया होने के बारे में और उनके सबसे बरतर होने के बारे में बहुँत सी चीज़ों में से चन्द चीज़ें बयान करना चाहते है।

क़यामत के दिन सब नबी आपके अलम के नीचे इकट्ठे होगें। अल्लाह तआला ने हर पैग़म्बर 'अलैहिमुस्सलाम' को यह फरमा कर हुकम दिया कि अगर तुम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की पैग़म्बरी का ज़माना पाओ कि उन को मैने सारी मख़्लूकात मे से चुन के अपना हबीब करार दिया है तो उन पर ईमान लाना और उनके साथी बनना। सभी पैग़म्बरों ने अपनी-अपनी उम्मतों को भी ऐसे ही हुकुम दिया।

मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) **ख़ातिमुल अम्बिया** है। यानी आप के बाद कोई पैग़म्बर न आयेगा। आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की रूह मुबारक को सब पैग़म्बरों से पहले तख़्लीक़ फरमाया गया। नुबुव्वत आप के इस दुनिया में आने पर मुकम्मल हुई। हज़रत ईसा 'अलैहिस्सलाम' क़यामत के करीबी दिनों में हज़रत मेहदी के ज़माने में दमशक के ज़माने में आसमान से उतरेगें लेकिन ज़मीन पर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के दीन की तब्लीग़ करेंगे और आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की उम्मत में से होंगे।

सन **1296** हिजरी में **1880** में हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ों की चाल की वजह से शुरू हुए **कादयानी** या **अहमदी** नाम के गुमराह लोग हज़रत ईसा 'अलैहिस्सलाम' के बारे में ग़लत और झूठ बातें बनाते है खुद को मुसलमान कहते है पर अन्दर ही अन्दर मुसलमानों को मिटाने पर आमादा है। इनके ख़िलाफ मुसलमान न होने का फत्वा भी दिया जा चुका है।

हिन्दुस्तान से निकलने वाला एक बिदअती फिरका **तबलीगी जमाअत** है। इसे सन **1345 [1926 C.E.]** में इल्यास नामी अज्ञानी ने शुरू किया। वो कहते थे कि मुसलमान गुमराही में गिर पड़े है और उन को निजात दिलाने के लिये मुझे ख़्वाब में हुकुम दिया गया है। और कहा कि उसने अपने गुमराह उस्तादो नज़ीर हुसैन, रशीद अहमद गंगोही और ख़लील अहमद सहारनपुरी की किताबों से पढ़ कर सीखा है। मुसलमानों को धोखा देने के लिये यह लोग हमेशा नमाज़ और जमाअत की अहमियत को बयान करते रहते थे। जबकि उन बिदअतिओं की नमाज़ कुबूल नही हो सकती न और कोई इबादत कुबूल हो सकेगी क्योंकि वो **अहले सुन्नत** नही है। जबकि इनके लिये अहले सुन्नत की किताबें पढ़ कर और इन बिदअती यकीनों से निकलकर एक हकीकी मुसलमान होना ज़रूरी है। कुरान करीम की वो आयात जो पूरी तरह नही वज़ाहत की गई और जिन्हे मुताशाबिहात कहते है उनके ग़लत मायनें निकालने वालों को अहले बिदअत या गुमराह कहते है। आयाते करीमा को अपनी ग़लत सोच के मुताबिक ग़लत मायनें देने वाले दुश्मने इस्लाम को ज़िन्दीक कहते है। ज़िन्दीक लोग कुरान करीम और इस्लामियत को बदलने पर आमादा है। उनको पैदा करने वाले पालने वाले और दुनिया में हर तरफ फैले जाने के लिये अरबों रूपया खर्च करने वाले सबसे बड़े दुश्मन अंग्रेज़ है। अंग्रेज़ काफिरों के जाल में फंसे हुये अज्ञानी और तब्लीग जमाअत के लोग खुद को सुन्नी कहते हुए और नमाज़ें अदा करते हुए झूठ बोलते है और मुसलमानों को धोखा देते है। यह लोग जहन्नम की तह में हमेशा जलाये जायेंगे। सिरों पर बड़ी-बड़ी पगड़ियाँ है लम्बे लम्बे जुब्बे और दाढ़ियाँ है और यह आयतुल करीमा देते है। हालांकि हदीस शरीफ में इरशाद किया गया है कि **"इन्नल्लाहा ला यनजुरू इला सुवरिकुम व सियाबिकुम व लकिन यनजुरू इला कुलूबिकुम व नियत्तिकुम"** जिसका मतलब है बेशक अल्लाह तआला नही देखता तुम्हारी सूरतों या लिबासों को लेकिन वो देखता है तुम्हारे दिलों को और तुम्हारी नियतों को।

एक शेर:

कद दू बुलन्द दारेद देस्तर पारा, पारा।
चुन अशियानी लक लक बर कल्ला-ए-मिनारा।

चुंकि यह लोग हकीकत किताबेवी के सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो यह कहते हैं कि **हकीकत किताबेवी** की किताबें ग़लत हैं ख़राब हैं। यह किताब मत पढ़ो। इस्लाम के दुश्मनों गुमराह करने वालों और ज़िन्दीकयों की सबसे बड़ी अलामत यह है कि वो अहले सुन्नत के उलेमां की तहरीरों और उनकी हक दीनी किताबों को ख़राब कहते है उसे पढ़ने से रोकते है। इस्लामियत को इन की तरफ से पहुँचाये गये नुकसानों और उलेमा-ए-अहले-सुन्नत के जवाब, हमारी तुर्की किताब **फाईदेली बिल्गिलर** (मुफिद मालूमात) में तफ्सील से बयान है। [मिहरबानी करके अंग्रेज़ी का अलग पब्लिकेशन देखे, ख़ासतौर पर **सुन्नी पाथ, एंडलैस बिलिस, बिलिफ एंड इस्लाम** और **डॉक्यूमेन्ट ऑफ द राईट वर्ड**।]

मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) सय्यदु न अम्बिया है। 18 हज़ार आलम आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के दरयाये रहमत से फायदा पाते है। उलेमां की राय है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) इन्सानों और जिनों के पैग़म्बर है। कई रिवायत ऐसी भी है जिन के मुताबिक आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) मलाईका पेड़ पौधे जानवर और हर शय के पैग़म्बर है। बाकी पैग़म्बर अलैहि किसी ख़ास इलाके और किसी ख़ास कौम के लिए भेजे गये। जबकि रसूले अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) सब आलमों जानदार व बेजान हर मख़्लूक के पैग़म्बर है। अल्लाह तआला ने बाकी पैग़म्बरों को उनका नाम लेकर पुकारा है। जबकि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को ऐ मेरे रसूल ऐ मेरे पैग़म्बर कहकर इज़्ज़त बख़्शी। अल्लाह तआला ने अपने

मेहबूब पैग़म्बर को इस कदर और इतने ज़्यादा इकराम व मौजिज़ात अता फरमाये जो किसी पैग़म्बर को न दिये थे। आपकी मुबारक उंगली के इशारे से चाँद के दो टुकड़े हो जाना मुबारक हथेली पर ली गई कंकरियों की तस्बीह अल्लाह का नाम पढ़ना पेड़ो का या रसूलुल्लाह कहकर आपको सलाम करना एक सूखी लकड़ी हन्नाना का आहो ज़ारी करना जब आप उसके रास्ते से गुज़रे और उसे अकेला छोड़ गये मुबारक उंगलियों के बीच से साफ पानी का निकलना। आख़िरत में आपको **अलमकाम महअलमूद, अलशफाअते अलकुबरा, अलहौज़ अलकौसर, अलवसीला** और **अलफज़ीला** नाम के मकाम इनायत फरमाना जन्नत में दाख़िल होने से पहले अल्लाह तआला के जमाल के दीदार का होना और दुनिया में ख़ुल्क अज़ीम दीन में यकीन, इल्म, हिलम, सब्र, शुक्र, जुहद, उफत, अदल, मुरव्वत, हया, शजाअत, तवाज़ु, हिकमत, अदब समाअत, मरहमत, रिफअत लामतनाही फज़ाइल और मअज़ज ख़सालित आपको अता किये गये मौजिज़ात की तादात अल्लाह के सिवा कोई नही जानता। आपके दीन ने बाकी सभी दीनों को मन्सूख कर दिया। आपका दीन बाकी सभी दीनों से अफज़ल और आला है। आपकी उम्मत के औलिया बाकी उम्मतों के औलियाओं से ज़्यादा इज़्ज़त के हामिल है।

हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की उम्मत के औलिया मे से रसूलुल्लाह के ख़लीफा बनने का हक हासिल करने वाले और बाकी सहावा-ए-किराम में से सबसे ज़्यादा ख़िलाफत के लायक हज़रत **अबू बकर सिद्दीक** (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) पैग़म्बर के बाद सब इन्सानों में अफज़ल तरीन शख़सियत है। ख़िलाफत का दरजा और इज़्ज़त सबसे पहले उन्ही को हासिल हुआ। कुबूले इस्लाम से पहले भी आपने अल्लाह के एहसान से कभी बुतों की इबादत नही की थी। कुफ्र और गुमराही के ऐबों से आपको महफूज़ रखा गया था।

[इस बात से ज़ाहिर है कि वो कैसे जाहिल लोग है जो यह कहते है कि रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' बुतपरस्ती करते थे।]

आप के बाद इन्सानों में सबसे अफज़ल फारूके आज़म अल्लाह तआला की जानिब से अपने हबीब (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के दोस्त के तौर पर चुने गये ख़लिफाये सानी हज़रत **उमर बिन खित्ताब** (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) हैं।

उन के बाद इन्सानों में सबसे अफज़ल रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के तीसरे ख़लीफा खज़ानाए खैरात व एहसान ईमान व इरफान **उसमान बिन अफ्फान** (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) हैं।

उन के बाद इन्सानों में सबसे अच्छे रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के चौथे ख़लिफा हैरत अंगेज़ ख़ासियतों के मालिक शेर-ए-ख़ुदा हज़रत **अली बिन अबी तालिब** (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) हैं।

आपके बाद हज़रत **हसन बिन अली** (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम) ख़लिफा बने। [हसन बिन अली ज़हर दिये जाने पर मदीना-ए-मुनव्वरा में 669 A.D. में वफात पा गये।] हदीस शरीफ में बयान तीस साल की ख़िलाफत आप पर पूरी हुई। उनके बाद इन्सानों में सबसे अफज़ल रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की आँखों के नूर हज़रत हुसैन बिन अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) हैं।

इस बुलन्द दरजा की वजह, ज़्यादा सवाब, दीन इस्लाम की ख़ातिर अपने वतन और सामान को छोड़ देना औरों से पहले मुसलमान होना रसूलुल्लाह

(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सुन्नतों पर मज़बूती से कायम रहना दीन को फैलाने में जद्दो जहद करना कुफ़्र और फितना फसाद पर रोक लगाना था।

हज़रत अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) गोया हज़रत अबू बकर (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) और बाकी सहावा-ए-किराम से पहले मुसलमान हुए लेकिन उस वक़्त बच्चा होने की वजह से और बे माल होने की वजह से और रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के घर में आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की ख़िदमत में रहने की वजह से उनका पहले ईमान ले आना दूसरो के ईमान लाने में, औरों को इबरत दिलाने में और काफिरों को शिकस्त देने का सबब न बना। हालांकि बाकी तीन ख़लिफाओं के कुबूले दीन से इस्लाम को ताकत हासिल हुई। हालांकि हज़रत अली और आपके बेटों (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम) को रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के करीबी रिशतेदार और रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से खून का रिश्ता होने की बिना पर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फारूक (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) से अफज़ल माना जा सकता है पर उनकी यह अफज़लियत का यह मतलब नही है कि वो हर लिहाज़ से अफज़ल ठहरते है। यह हज़रत 'ख़िज़िर अलैहिस्सलाम' का मूसा को चन्द बातें सिखा देने जैसा है। [अगर खून के रिश्तों की बुनियाद पर अफज़लियत मिलती तो हज़रत अब्बास, हज़रत अली से अफज़ल होते। अबू तालिब और अबू लहब खून के रिशतें में बराबर थे, उन्हें सबसे छोटे ईमान वाले से भी ज़्यादा अफज़लियत नही मिली।] खूनी ताल्लुक की बिना पर **हज़रत फातिमा, हज़रत खतीजा और हज़रत आयशा** (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुन्ना।) से बरतर है। लेकिन एक ख़ासियत में बरतरी का मतलब हर चीज़ में बरतर होना नही है। उलेमां ने इनमें से एक दूसरे पर बरतरी का बयान मुख़्तलिफ राये में किया है। हदीस के मुताबिक यह तीनों और हज़रत **मरियम** और फिरऔन की बीवी हज़रत **आसिया** (रज़ि अल्लाहु

तआला अन्हुन्ना) दुनिया की सारी औरतों में सबसे अफज़ल है। हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया गया है कि **"फातिमा** (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा) **जन्नत की औरतों की सरदार है। हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार है।"** जोकि अफज़लियत का एक हिस्सा है।

इन के बाद सहाबा-ए-किराम में सब से अफज़ल **अशरा-ए-मुबश्शरा** है यानी वो दस सहाबा-ए-किराम जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई। उसके बाद जंगे बदर में हिस्सा लेने वाले **313** मुसलमानों को अफज़लियत हासिल है। उसके बाद उहुद की जंग में हिस्सा लेने वाले **700** बहादुर मुसलमानों को अफज़लियत है। और उनके बाद **बैते रिज़वान** यानी पेड़ के साथ में रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से वादा करने वाले **1400** मुसलमानों को बरतरी हासिल है।

रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की राह में अपनी जानो और मालों को फिदा करने वाले आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की मदद करने वाले सहाबा-ए-किराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम) का नाम इज़्ज़त और मुहब्बत से लेना हम सब पर वाजिब है। उनके फज़ीलतों के उल्टे कोई बात करना बिल्कुल जायज़ नही है। उनके नामो को बेअदबी के साथ ज़बान पर लाना गुमराही और ज़लालत है।

जो शख़्स रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को चाहता है उस पर लाज़िम है कि आप के सब सहाबा-ए-किराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) को भी चाहे। क्योंकि एक हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया गया है, **"मेरे सहाबा-ए-किराम को चाहने वाला मुझ से चाहत की वजह से चाहता है। उन्हें नापसन्द करने वाला ऐसा है जैसे वो मुझे नापसन्द करे। उन्हें तक्लीफ देने वाला मुझे तकलीफ देता है। और मुझे तकलीफ देने वाला अल्लाह तआला को**

तक्लीफ देगा। और अल्लाह को तक्लीफ देने वाला बेशक अज़ाब पायेगा।" एक और हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया गया है **"अल्लाह तआला मेरी उम्मत में से किसी बन्दे पर भलाई करना चाहे तो उसके दिल में मेरे सहाबा-ए-किराम की मुहब्बत पैदा फरमा देता है और वो उन सबको अपनी जान की तरह चाहता है।"**

इस लिये सहाबा-ए-किराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम) के दरमियान हुई झड़पों से यह ख़्याल नही करना चाहिए कि वो ग़लत सोच रखते थे जैसे ख़िलाफत नफ्स की ख़्वाहिशें वग़ैरह जिनकी वजह से लड़ाई हुई हों। ऐसी सोच रखना और उन अज़ीम शख़्सियतों पर ज़बान दराज़ी करना मुनाफिकत है। क्योंकि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के हुज़ूर में बैठने से, आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की मुबारक बातें सुनने से, हसद या ओहदे की तमन्ना उनके दिलों से मिट चुकि थी। वो हिरस, चाहत और हर तरह की बदकारी से निजात पाकर बिल्कुल पाक हो चुके थे। वो पाक लोग बेशक किसी से भी ज़्यादा साफ थे। उनके आपस में एक राय न होना या इख़्तिलाफ होने पर, बीमार दिमागी इन्सानों का कहना कि वो अपनी नफ्स को जीतने के लिए लड़ते थे, या दुनियावी चीज़ों के लिए, नापसन्दीदा है। ऐसी बातें सहाबा-ए-किराम के ख़िलाफ सुनना जायज़ नही है। एक शख़्स जो उनके ख़िलाफ कुछ कहता हैं उसे सोचना चाहिए कि सहाबा-ए-किराम से नफरत करना रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' से नफरत करने जैसा हैं, उनके ख़िलाफ ग़लत बोलना नबी 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' के ख़िलाफ ग़लत बोलने के बराबर है, जिन्होंने उन्हें सिखाया। इस वजह से, इस्लाम के बड़े लोग कहते हैं कि जिनके दिल में सहाबा-ए-किराम के ख़िलाफ ग़लत राय है या इज़्ज़त नही हैं वो रसूलुल्लाह 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' को नही मानते। "जमल" और सिफ्फीन की जंगे उनकी बदनामी से नही जीती जा सकती। कुछ

मज़हबी वजहों की वजह से भी नही, जो इन जंगों में हज़रत अली के ख़िलाफ खड़े थे शैतान थे; आख़िरत में इसके ईनाम के हकदार हैं। एक हदीस शरीफ हैं कि: "**एक ईनाम ग़लती करने वाले मुजतहिद को दिया जायेगा, और दो या दस जो सही ढूँढ निकाले। दो में से एक ईनाम इजतिहाद में काम करने के लिए। दूसरा सच ढूँढने के लिए।**" इन बड़ें लोगों में इख़्तिलाफ नफरत या रंजिश की वजह से नही बल्कि अलग-अलग इजतिहाद होने की बिना पर था और इस्लाम के हुक्म को पूरा करने की बिना पर था। हर एक सहाबा-ए-किराम मुजतहिद थे। [मसलन हज़रत उमर बिन ख़िल्ताब (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के मुजतहिद होने के मुताल्लिक़ **हदीका** के दो सौ अठान्चे सफ्हे पर बयान करदा हदीस शरीफ में बयान किया गया है।]

हर मुजताहिद के लिए फर्ज़ है के अपने इजतिहाद से हासिल करदा मालूमात के मूताबिक हरकत करे। उस का इजतिहाद ख्वाह अपने से बड़े मुजताहिद के इजतिहाद से मुवाफिक़त ना रखता हो फिर भी, अपने इजतिहाद पर अम्ल दर आमद करना उस पर लाज़िम है। दूसरे के इजतिहाद पर अम्ल करना उसके लिए जाइज़ नही। इमाम आज़म, अबू हनीफा के तालिबे इल्म अबू युसुफ और मुहम्मद शैबानी और इमाम मुहम्मद शाफई के तालिबे इल्म अबू सूर और इस्माइल मज़ीनी कई मकामात पर अपने उस्तादो से अलग सोच रखते है। उनके उस्तादो की जानिब से हराम करार दी गई कई चीज़ों को उन्होंने हलाल करार दिया। और हलाल करार दी गई कुछ चीज़ों को उन्होंने हराम करार दिया। इसके बावजूद यह नही कहा जा सकता की उन्होंने गुनाह का इरतेकााब किया। किसी ने भी ऐसा नही कहा। क्योंकि वो भी अपने उस्तादों की तरह मुजतहिद थे।

हाँ मौला हज़रत अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) हज़रत मुआविया (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) और हज़रत अमर बिन आस (रज़ि अल्लाहु

तआला अन्हु) से ज़्यादा साहिबे अज़मत और बड़े आलिम थे। आप (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) उनसे बाला तर करने वाली कई ख़ुसूसियात के हामिल थे। आप (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) का इजतिहाद भी, उन दोनों के इजतिहाद से ज़्यादा मज़बूत और मसबत था। लेकिन हर साहाबा (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) एक मुजतहिद का दरजा रखने की बिना पर, उन दोनों का इस बड़े इमाम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के इजतिहाद पर अमल करना जायज़ नही था। उन के लिए लाज़िम था के अपने इजतिहाद के मुताबिक हरकत करे।

सवाल: "जमल और सिफ्फीन की जंगों में मुहाजिर और अनसार मे से कई एक असहाबे इकराम हज़रत अली के साथ थे। उन्होंने आप की इताअत की। आप की इताअत की। सब के मुजतहिद होने के बावजूद उन्होंने इमाम अली की इताअत को ख़ुद पर वाजिब जाना। इस से ये पता चलता है के इमाम अली की इताअत करना मुजतहिद शक्सों पर भी वाजिब थी। सब को उनकी इत्तवा करनी थी हत्ता के उनके इजतिहाद आपस में नहीं मिलते थे, तो क्या उन्होने नहीं की?

जवाब: हज़रत अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) की पैरवी करने वाले आपके साथ मिल कर जंग करने वालों ने आप हज़रत अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के इजतिहाद को मानने की वजह से आपका साथ नही दिया। बल्कि इस लिए के उनके अपने इजतिहाद भी, हज़रत अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के इजतिहाद के ऐन मुताबिक थे तो उन्होंने आप की पैरवी को ख़ुद पर वाजिब जाना। ऐसे ही मे से कई असहाबे किराम का इजतिहाद, हज़रत अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के इजतिहाद के मुताबिक ना था। इसलिए उस अज़ीज़ हज़रत (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के साथ जंग करना उन पर वाजिब हो गया। उस वक़्त सहाबा-ए-किराम (रज़ि

अल्लाहु तआला अन्हु) तीन किस्म का इजतिहाद पाया गया। एक किस्म के मुताबिक, हज़रत अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) हक़ पर थे तो उनपर हज़रत अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) की पैरवी करना वाजिब ठहरा। दूसरी किस्म ने आप (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के मुख़ालेफीन के इजतिहाद को सही जाना, तो उन पर हज़रत अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) से जंग करने वालों की पैरवी करना वाजिब ठहरा। तीसरी किस्म वो थी जिन के मुताबिक तरफैन की इत्तवा ठीक ना था और लड़ाई करने से गुरेज़ करना ज़रूरी था। उन के इस इजतिहाद ने, उन पर वाजिब कर दिया के वो इस झगड़े से इजतनाब करे। तीनों किस्म असहावे किराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम) हक़ पर थे और बिला शुबा उन्हें सवाब मयस्सर हुआ।

सवाल: नीचे लिखी तहरीर, हज़रत अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के साथ जंग करने वालों को भी सच्चा साबित करती है। हालांकि, उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत के मुताबिक हज़रत अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) हक पर थे, और आप (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के मुख़ालफीन गलती पर थे लेकिन उनके उज़र की बिना पर उनके लिए माफी है हत्ता सवाब के हकदार भी है। इसे क्या कहा जाएगा?

जवाब: इमाम शाफई (रहमतुल्लाह अलैहि) और उमर बिन अब्दुल अज़ीज (रहमतुल्लाह अलैहि) जैसे अकाबिर दीन, किसी सहाबी (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के मुताबिक यूँ कहने को के वो गल्ती पर थे, जायज़ करार नही देते। इसलिए वो कहते है के (अकाबिरीन को ग़लत कहना ठीक नही)। अकाबिरीन के लिए, छोटों का कहना उन्होने ठीक किया, ग़लत किया, हमें अच्छा लगा, या अच्छा नही लगा) जैसे अल्फाज़ ज़बान पर लाना कतई जायज़ नही। जैसे अल्लाह तआला ने हमारे हाथों को उन अकाबिरीन के खून

से रगंने से महफूज़ रखा। उलमाए तहकीक ने दलाइल की रूह और हालात को मद्दे नज़र रखते हुए, अगर हज़रत अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के सच्चे और आप (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के मुखालेफिन को ग़लत फहमी का शिकार होने के मुताल्लिक़ जो अल्फाज़ इस्तेमाल किए है तो वो उस ख़्याल के मद्दे नज़र कहे है कि अगर हज़रत अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) मुखालेफीन के साथ बैठ कर बात कर पाते तो वो ज़रूर उनको वैसा ही इजतिहाद करने पर रज़ामंद कर लेते जैसे आप (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) का था.चुनाचे हज़रत ज़ुबैर बिन (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) अवाम, जंगे जमल में हज़रत अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के मुखालेफत के बावजूद, वाकियात पर गहरी नज़रसानी के बाद अपने इजतिहाद से रूजु कर लिया और जंग करने से बाज़ रहे। ख़ता को जायज़ कहने वाले उलमा-ए-अहले सुन्नत वल जमाअत के अल्फाज़ को, बस इस तरह से समझना चाहिए। वरना यूँ कहना के, हज़रत अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) और उनके साथी राहे हक पर थे और आप (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के मुखालेफीन जिस मे उम्मूल मोमेनीन हज़रत आएशा सिद्दीका (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा) और दीगर असहावे कराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम) राहे बातिल पर थे कहना कतई जायज़ नही है।

असहाबे कराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के दरमियान होने वाले ये झगड़े, दरअसल एहकामाते शरिया की एक शाख़ यानी इजतिहाद में फर्क़ की बिना पर थे। इस्लामियत के बुनियादी कवाइद व ज़वाबित में किसी किस्म का तज़ाद नही पाया जाता था। अब बाज़ लोग, हज़रत माआविया (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) और अम्र बिन आस (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) जैसे अकाबिर सहाबा पर ज़बान दराज़ी और तौहीन करते है वो इस बात को समझने से कासिर है। असहाबा कराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम) को

तकलीफ देना ऐसा ही जैसे रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को तकलीफ दी या आप की तौहिन की जाए। इमाम-ए-मलिक बिन अनस (रहमतुल्लाह अलैहि) के अल्फाज़ **शका-ए-शरीफ** में यूँ तहरीर है (हज़रत माविया या हज़रत अम्र बिन अलआस को बुरा भला कहने वाला या तौहीन करने वाला उन्ही अल्फाज़ों का मुस्ताहिक है जो वो इन हज़रात के मुताल्लिक़ कहता है। उनके साथ बेअदवी का मुज़ाहेरा करने वाला, बे अदवी से बोलने वाला या लिखने वाला सख़्त सज़ा का मुस्तहिक होगा) अल्लाह तआला हमारे दिलों को अपने हबीब (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के सहावे कराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) की मोहव्वत से भर दे। उन अकावरीन को सुलहा और शाफी लोग पसंद नही करते!

(रसूलुल्लाह) के सहावे कराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम) की कदरो कीमत को उनकी अज़मत को समझ कर, उन सब से मौहव्वत करने वालों, उन सब की ताज़ीम करने वालों और उन के रास्ते पर चलने वालों को **अहले सुन्नत वल जमाअत** कहा जाता है। हम चन्द एक से मोहव्वत रखते है और बाकी सब को पसंद नही करते या अक्सीरियत की तौहीन करने वालों को, इस तरह किसी साहावी (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के रास्ते पर ना चलने वालों को **राफ़ज़ी** और **शिया** कहा जाता है। राफ़ज़ी ज़्यादातर ईरान, हिन्दुस्तान और इराक में पाए जाते है। तुर्की में नही पाए जाते। इनमे से कुछ ने मुसलमानों, और साफ **अलवी** लोगों को फरेब देने के लिए खुद को (अलवी) कहा। हालांकि, अलवी से हज़रत अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) को चाहने वाले मुसलमान मुराद है। किसी को चाहने के लिए ज़रूरी है के उस के रास्ते पर चला जाए, उस से प्यार किया जाए जिन से वो प्यार करे। अगर यह लोग हज़रत अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) से मोहव्वत रखते तो ज़रूर आप (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के रास्ते को इख़्तियार करते। हज़रत अली (रज़ि

अल्लाहु तआला अन्हु) असहावे कराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) से मोहब्बत रखते थे। ख़लीफा सानी हज़रत उमर (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के मुशीर और दर्द बाँटने वाले थे। हज़रत फातिमा (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा) से आप की बेटी हज़रत उम्मे कुल्सुम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा) का निकाह हज़रत उमर (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) से कर दिया था। खुतबा में, हज़रत मुआविया (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के लिए आप ने कहा (हमारे भाई हमसे अलग हो गए है। वो काफिर या फासिक नही है। अल्बत्ता उन्होंने इजतिहाद इस तरह से किया है) इरशाद फरमाया आप (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के ख़िलाफ लड़ाई करते हुए शहीद होने वाले हज़रत तल्हा (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) के चेहरे से खुद मटटी साफ की। उनकी नमाज़ जनाज़ा भी आप ने खुद अदा फरमाई। अल्लाह तआला ने कुरआन-ए-करीम में **मोमेनीन के माबीन भाईचारे के मुताल्लिक** इरशाद फरमाया है। सुराह मुतरादिफ फताह की आख़री आयत करीम, **सहाबे कराम** (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) **की आपस में प्यार व मौहब्बत** का सबूत है। सहावे कराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) मे से किसी एक से भी ना पसंद दीदगी का इज़हार करना, गोया कुरआन-ए-करीम को ना मानना होगा। उलेमाए अहले सुन्नत, सहावे कराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) की अज़मत को खूब समझते है। और सब से मोहब्बत रखने का हुक्म देते है। यूँ मुसलमान को फलाकत से महफूज़ रखा।

अहले बेत को यानी हज़रत अली (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) और आप की सारी औलाद को, आप की नस्ल को नापसंद करने वालों और अहले सुन्नत की आंखों की ठडंक इन अकाबरीन से दुश्मनी रखने वालों को **खारजी** कहा जाता है। आज कल खारजियों का दीन और ईमान नाकिस है।

उन लोगों को **वाहाबी** कहा जाता है जो ये कहते है के हम सब सहावे कराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) से मोहब्बत रखते है लेकिन उन के रास्ते पर नही चलते और अपनी गलत तफ्करात को सहावे कराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) का रास्ता बताते है। वहाबियत का आगाज़, वे मज़हब आलिमे दीन एहमद इब्ने तैमिया की कुतूब में बयान करदा उस की गुमराह कन तालिमात और फिरंगी जासूस हैम्फर के झूठो की आमज़िश से हुआ। वहाबी अल्माए अहले सुन्नत को अकाबिरीन तसव्वुफ को और अहले सुन्नत को अकाबिरीन तस्ववुक को और अहले तशीअ को पसंद नही करते और सब को मुसलमान मानते हे। अपने अलावा सबको मुशरिक कहते है। बकौल उन के इन मुशरिकों के जानो माल वहाबियों के लिए हलाल है। यूँ खुद को **इबाहतीस** करार देते है। नसोस से यानी कुरआन-ए-करीम से और हदीस शरीफ से गलत और मुखतलिफ माइने निकलते है और उन्हें इस्लामिक तस्व्वुर करते है और हदीस शरीफ मे से अकसर का इनकार करते है। चार मसालिक के उलमा ने अहले सुन्नत से इख्तलाफ करने अलहेदा होने वालों के ज़लालत व गुमराही में होने के मुताल्लिक़ और उनकी जानिब से इस्लाम को पहुचाया जाने वाले नुकसान के मुताल्लिक़ अपनी कई एक किताबों मे सबूत दिए है। तफसिलात के लिए तुर्की किताबें **कयामत और आख़िरत, सआदते अबदिया** और अरबी कुतूब में से और फारसी किताब **सैफ अलाबरार** का मुताअला फरमाए। ये कुतूब और ऐसी कई एक गिरान कदर किताबें जिनमे अहले बिदअत को रद किया गया है। इस्तानबूल में **हकीकत किताबऐवी** की जानिब से की गई है। **इब्ने आबेदीन** की तीसरी जिल्द में बाबों के बयान में और तुर्की किताब **नेमत इस्लाम** में निकाह के बाब में वहाबियों के अवाही होने के मुताल्लिक़ सरहता बयान किया गया है। सुल्तान अब्दुल मजीद खाँ शानी के जरनेलो में से अयूब सबरी पाशा अपनी तसानेस **मरअता अलहरमीन** ओर **तारीख वहाबियान** मे, अहमद जोदत पाशा ने अपनी तारीख की सातवीं जिल्द में वहाबियों के

मुताल्लिक़ तुर्की ज़बान में तफसीलन बयान किया है। उलामा युसुफ नबहानी (रहमतुल्लाहि) की मिस्र में तबा शुदा अरबी किताब **श्वाहिद अलहक** भी वहाबियों और इब्ने तैमिया को तफसीली जवाब मोहय्या करती है। इस किताब से पचास सफात पर मुश्तमिल इकतवास **1972** हिजरी में इस्तानबुल में हमारी अरबी ज़बान में नश्र किरदा **उल्माए इस्लाम और वहाबी** किताब में मौजूद है।

अय्यूब सबरी पाशा कहते है वहाबियत ने सन **1205** हिजरी बा मुताबिक **1719** हिजरी जज़ीर नुमा अरब में ख़ूनी और असकंजा आज़मा इन्कलाब के नतीजे में जन्म लिया वहाबियत और वे मज़हबी की कुतब को पूरी दुनिया में फैलाने वालों में एक मिसरी मुहम्मद अब्दुआ था। उसने अपने मुताल्लिक़ बयान करते हुए सराहतन इक़रार किया है के वो संगतराश मे से मुनसलिक और कहरा संगतराश लाज के सरबराह जमाल उद्दीन अफगानी से बड़ा मुतासिर है। मुहम्मद अब्दुआ को अज़ीम आलिम इस्लाम, तुर्की पसंद इन्सान, गिरान कदर रेफारमस्ट बावर करार नौजवानों के सामने लाया गया। अहले सुन्नत को ज़द पहुँचाने, इस्लाम को नीचा दिखाने में कोशा और मौके की तलाश में धात लगाए बैठे दुश्मने इस्लाम ने भी उल्माए दीन का रूप धार कर, सुनहरे अलफाज़ में इस्लामियत की तारीफे करते हुए दर परदा इस फितने की आग को हवा दी। तारीफो से अब्दुआ को आसमान पर चढ़ा दिया। अहले सुन्नत के अज़ीम उल्मा को, चार मसालिक के उल्मा को जाहिल कहा गया। उन के नाम तक ना लिए जाते थे। लेकिन इस्लामियत की ख़ातिर अपना ख़ून बहाने वालों की, रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के इश्क़ में अपनी जाने कुरबान कर देने वाले हमारे अजदाद की, शानो इज़्ज़त वाले हमारे शोहदाए की पाक व साफ औलादे इस पर परोपैगंडा और करोड़ो रूपयों के इश्तेहार वा बरगलाने में ना आए। हतता इस मसनवी, बनावटी दीन के नायको की बात को ना सुने, ना ही उन्हें कबूल करें। जनाब हक ने, शाहदाए

की औलादों को, इन नापाक हमलों से बचा लिया। आज भी, मौदूदी, सय्यद कुतब, हमीद अल्लाह और तबलीग जमअत वालों जैसे बे मज़हबों की किताबें तर्जुमा करवाकर नौजवान नस्ल के सामने पेश की जाती है। बड़े-बड़े इश्तेहारों के साथ पेश किये जाने वाले उन तर्जुमों में हम को कई ऐसी गुमराह इफकार दिखाई देती है जो उलमाए इस्लाम की बताई बातों से तज़ाद रखती है। ज़रबुल मस्ल है; पानी सो जाता है लेकिन दुश्मन नही। अल्लाह तआला अपने हबीब (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम), अपने प्यारे पैग़म्बर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की हुर्मत के सदक़े हम मुसलमानों को ख़्वाबे ग़फलत से जगाए। दुश्मनों के झूठ और इफतराओं के फरेब में आने से महफूज़ रखे। आमीन। सिर्फ दुआ पर इकतेफा कर लेने से खुद को फरेब नही देना चाहिए। अल्लाह तआला की आदते इलाहीया के मुताबिक़ हर ना करते हुए अस्बाब से चिपके बग़ैर और बिना अलम दुआ करने का मतलब, अल्लाह तआला से मोजज़ात की तलब रखना मुराद है मुसलमान के लिए दुआ के साथ अम्ल करना भी ज़रूरी है। पहले असबाब से चिपक जाना, फिर दुआ करना ज़रूरी है। कुफ्र से निजात के लिए सुब्बे अव्वल इस्लामियत सीखना और सिखाना है। ज़ातन अहले सुन्नत के अकाइद, फराईज़ और एहराम सीखाना, हर मर्द और औरत पर फर्ज़ है उसका पहला वज़ीफा है। आजकल, उन्हें सीखना निहायत आसान है। क्योंकि, सही दीनी किताब लिखना और उसकी नशरो अशाअत करने पर पूरी आज़ादी है। हर मुसलमान के लिए लाज़िम है कि वो उसे यह आज़ादी फराहम करने वाली हुकूमत की मदद करे।

अहले सुन्नत के ईतिकादात और इल्मी एहवाल की तालीम हासिल ना करने वालों और अपने बच्चों को ना सिखाने वालों की, इस्लामियत से दूरी और फलाकत कुफ्र में गिरने का खतरा लाहक़ है। ऐसे लोगों की दुआए तो वैसे ही कबूल नही होती के, कुफ्र से महफूज़ रह सके। रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु

अलैहि वसल्लम) ने इर्शाद फरमाया के। **जहाँ इल्म है वहाँ इस्लाम है, जहाँ इल्म नही वहाँ इस्लाम नही रहता**। जीने के लिए जैसे खाना पीना लाज़मी है वैसे ही काफिरों के करीब से, दीन की दूरी से बचने के लिए दीन और ईमान को सीखना लाज़मी है। हमारे आबाऊ इजदाद का शेवा रहा है के वो हमेशा जमा हो कर इल्मो कुतूब का मुताला करते अपने दीन की समझ-बूझ हासिल करते थे उन्होंने खुद को इस तरह इस्लाम पर कायम रखा और पूरे ज़ौकोशौक के साथ इस्लामियत से लुत्फ अन्दोज़ हुए। इस नूरे सआदत को हम तक पूरी एहलियत के साथ पहुँचाया। हमारे इस्लाम पर कायम रहने और अपने बच्चों को अंदरूनी वा बेरूनी काफिरों के हाथों से बचाने के लिए एहम तरीन और अव्वालीन चारह यह है के सबसे पहले हम उलमाए अहले सुन्नत की तहरीर करदा इल्मी कुतूब पढ़े और सीखे। अपने बच्चों को मुसलमान बनाने के लिए ख़्वाहिशमंद वालदैन के लिए ज़रूरी है के अपने बच्चों को कुरआन सिखाए। अभी मौक़ा है, पढ़ ले, सीख ले, अपने बच्चों और उन लोगों को जिन पर हमारी बात असर रखती है, पढ़ाहिए! मक़तब शुरू करने के बाद उनके लिए कुरआन पढ़ना मुशकिल होता है। हटाना मुशकिल होता है। फलाकत आने पर आहें भरने से कुछ फायदा नही होता। इस्लाम के दुश्मन, ज़ंदीगों के शीरीन, सुनहरी कुतूब, अख़बार, मजमूआ जात टेलीविज़न, रेडियो और फिल्मों से धोके नही खाना चाहिए। इब्ने आबेदीन (रहमतुल्लाह अलैहि) की तीसरी जिल्द में यूँ बयान किया गया है, (अगर कोई शख़्स किसी भी दीन पर ईमान ना रखे और खुद को मुसलमान ज़ाहिर करके ऐसी बातों को इस्लामियत के तौर पर बयान करे जो कुफ़्र का सबब हो, और मुसलमानों को दीन से दूर करने की कोशिश करे तो ऐसे खुफियाँ काफिर को **जंदीक** कहा जाएगा।)

सवाल: वे मज़हबों की नाकिस किताबों से लिए गए तर्जुमों को पढ़ने वाला कोई शख़्स अगर कहता है के:

'हमें कुरआन करीम की तफसीर पढ़नी चाहिए। अपने दीन, कुरआन-ए-करीम की समझ को उलमाये दीन पर छोड़ देना, ख़तरनाक और ख़ौफनाक फिक्र है। कुरआन-ए-करीम ये (ऐ अल्माए दीन) नही कहा गया। (ऐ ईमान वालों), (ऐ लोगों) कहकर ख़िताब किया गया है इसलिए हर मुसलमान के लिए लाज़िम है के वो कुरआन–ए–करीम को समझे, किसी और से इसकी तवक्को ना करे!'

"ये शख़्स चाहता है के हर कोई तफ्सीर और हदीस पढ़े। उल्माए इस्लाम की, अकाबेरीन अहले सुन्नत की कलाम, फिकह और इल्मी कुतूब को पढ़ने की नसीहत नही करता। वज़ारत अमूरदीन की जानिब से रशीद रसा मिसरी शुमार नम्बर (157; 1394/1974) में तबा किरदा **इस्लाम में एकता और फकही मज़ादिय** नामी किताब ने भी पढ़ने वालों को उलझा दिया था। इस किताब मे कई एक जगह मसलन छठे ख़तबा में वो यूँ कहता है:

'उन्होंने मुजतहिद को पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के दरजे तक बुलंद कर दिया। हता पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की हदीस पर अम्ल ना किया और एक मुजतहिद के अल्फाज़ को तरजीह देते हुए हदीस को छोड़ दिया। वो कहते है के, इस हदीस के नुस्ख होने या हमारे इमाम के नज़दीक कोई दूसरी हदीस पाई जाने का एहतेमाल है। ये मुक्लादीन ऐसे लोगों के अल्फाज़ पर अम्ल करते है जिन के लिए ना जानना या हुक्म में कोताही बरतना जाइज़ है, और इसके बरअक्स ख़ता से मुबराए पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की हदीस को तर्क कर देते है। इन लोगों का ऐसा करना मुजतहदीन की तकलीद से तज़ाद भी है और कुरआन से इनहिराफ भी। इनके बकौल मुजतहिद इमाम के अलावा कोई और कुरआन को नही समझ सकता। अहले फिकह और दीगर मकलदीन के यह अल्फाज़, यहुदियों और

ईसाइयों से मुनतकिल हुए दिखाई देते है। हालांकि कुरआन व हदीस को समझना, अहले फिका की लिखी किताबों को समझने से कही असान है। अरबी कलमात और इस लोभ को हजूम कर लेने वाले, कुरआन व हदीस को समझने में किसी मुशकिल से दो-चार नही होते। इस बात से कौन इन्कार कर सकता है के अपने दीन को समझाने पर अल्लाह तआला कादिर है? और इस बात से कौन इन्कार कर सकता है के अल्लाह की मुराद ली गई बातों को सबसे बेहतर समझने वाले और दूसरो को बेहतरीन तरीके से समझाने पर रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से मुकतदिर और कोई नही हो सकता?

अगर कोई यह कहता है के हज़रत पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की वज़ाहत उम्मत के लिए काफी नही, तो उसका मतलब यह होगा के वो तब्लीग का वज़ीफा बजातौर पर ईफाए नही कर पाए। अगर इंसानों की अकसरयत कुरआन-ए-करीम और सुन्नत को समझने की कुदरत ना रखते होते तो जनाबे हक,, सब इंसानों को इन किताबों में सुन्नत में दिए गए एहकमात पर मुकल्लफ करार न देता। इंसान जिन चीज़ों पर ईमान रखता है उन्हें दलाइल से जानना चाहिए। जनाबे हक ने तकलीद की मज़म्मत की है। इरशाद फरमाया के बाब दादा की तकलीद करने पर किसी किस्म का उज़र कबूल नही किया जाएगा। आयात से साबित है के अल्लाह तआला के नज़दीक तकलीद को कतई मकबूलियत हासिल नही। दीन की फिरोई किस्म को दलाइल के साथ समझना, ईमानी किस्म को समझने से ज़्यादा आसान है। अगर मुशकिल काम की ज़िम्मेदारी वाजिब ठहरी तो, आसान काम पर भला मुशकिल क्यो ना ठहराया जाए? बाज़ नादिर हदीसों के एहकामात अगरचे मुशकिल ही क्यो ना हो, इनको ना जानना या उनपर अमल ना करना उज़र शुमार होगा। अहले फिकह ने खुद से चन्द मसले इजाद कर लिए है। और अपनी तरफ से नए एहकामात गढ़ लिए है। उन्होंने, राय किया, कि जली ख़फी जैसी चीज़ों से दलाइल देने

की कोशिश की है। और इन चीज़ों की ऐसी इबादत के दायरेकार में भी इस्तेमाल किया जिनके मुताल्लिक़ मालुमात हासिल करना अक़्ल के ज़रिये मुमकिन ना था। इस तरह दीन को बढ़ा-चढ़ा कर कई गुना कर दिया। और मुसलमानों को कलफत में मुबतला कर दिया। मैं क़यास का मुनकिर नही हूँ। लेकिन कहता हूँ के इबादत के दायरेकार में कयास नही है। ईमान और इबादत की तकमील रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के दौर में ही हो गई थी। उनमे रदो बदल करने की किसी को इजाज़त नही। उल्माए मुजतहदीन ने इंसानों को तकलीद से मना किया है और तकलीद को हराम करार दिया है।

"वे मज़हब रशीद रज़ा की (इस्लाम में एकता और फकही मसालिक) नामी किताब से लिया गया नीचे लिखा इक्तेबाज़ वे मज़हबों की दीगर कुतूब की तरह मुस्लमानो को उनके चार मुसालिक के आयमा की तकलीद से मना करता है। हर किसी को तफसीर और हदीस सीखने का हुकुम देता है। इसके बारे में आप क्या कहते है?"

जवाब: वे मज़हबी की तहरीरों को अगर ग़ौर से पढ़ा जाए तो फौरन समझ आ जाती है की वो अपनी गुमराह कुन इफकार और फिरका पसंद आना ख़्यालात को अपनी बोसीदा मुनतिक की ज़ंजीर में सुनहरे कलमात की सूरत में पिरो कर मुस्लमानों को फरेब दे रहे है। जाहिलो को यकीन है के उनकी तहरीर को मुनतक और अक़्ल के दायरेकार में इल्म का सहारा हासिल है, इसलिए वो उनसे पुख़्तगी के साथ वाबस्ता रहते है। लेकिन साहिबे इल्म बसीरते इनके फरेब में कभी नही आते।

मुसलमानों को अब्दीफलाकत की जानिब ले जाने वाले उस बे मज़हब के ख़तरे के मुताल्लिक़ नौजवानों को मुतनबा करने की ख़ातिर उल्माए इस्लाम 'रहमतुल्लाही तआला' ने चौदह सौ साल में हज़ारों गिरा क़दर किताब तहरीर

फरमाई। नीचे लिखे सवाल के जवाब के तौर पर हम मुनासिब समझते है के युसुफ नबहानी की **हुज्जतुललाहे अलल आलामीन** (वफात बेरठ **1350** A.H. **[1932]**) नामी किताब के **771** और चंद मताकिब सफात का तर्जुमा किया जाए:

"कुरआन-ए-करीम से एहकामात अख़्ज़ करना हर किसी का काम नही है हत्ता मुजतहदीन ने भी, कुरआन-ए-करीम में बयान करदा बिलतमाम अख़्ज़ ना कर सकने की वजह से रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की उन हदीस से इस्तेफादा किया जो अहकामाते कुरआन-ए-करीम की वज़ाहत फरमाती है। जैसे कुरआन-ए-करीम को सिर्फ रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ही समझ पाए थे, ऐसे ही हदीस शरीफ को सिर्फ असहाबे राम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) और आएमा मुजतहदीन ने समझा और वज़ाहत फरमाई उन्हें समझने के लिए अल्लाह तआला ने आएमा मुजतहदीन को अक़्ली व नक्ली अलोम, कूवते अदराक, तेज़ ज़हानत और अक़्लमंदी के साथ-साथ कई एक आला ख़ुसूसियात एहसन फरमाई। इन ख़ुसूसियात में तक़वा को सब पर फोकियत हासिल है इसके बाद वो नूरे इलाही आता है जो इनके दिलों में रच बस गया है। हमारे आएमा मुजतहदीन ने इन ख़ुसुसियत की मदद से, अल्लाह तआला और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के कलाम से वो सब समझ लिया जो हकीकत में मुराद था, जो न समझ सके उसे अपने कयास से बयान कर दिया। चारों मसालिक के आएमा ने वज़ाहत की है के वो अपनी राय से बात नही करते और अपने तुलबा को हुक्म दिया के अगर तुम भी (किसी सही हदीस को पाओ तो मेरी बात को छोड़ कर रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की हदीस पर ऐतबार करो!), आएमा मसालिक ने ये अल्फाज़ अपनी जैसी गहरी सोच के मालिक उलमा को कहे है। यह उलमा हर चार मसालिक के दलायल को जानने वाले को तरजीह के अहले है। यह

उलमा जो के मुजतहीद का दरजा रखते है, इमाम मसालिक की दलील को और उनके इल्म में आई सही हदीस की असनाद को, रावियों में और कौनसी बाद में वारिद हुई और ऐसी कई शराईत को पढ़ते हुए यह समझ लेते है के उन्हें किस को तरजीह देनी चाहिए। या ये के, मुजतहिद इमाम ने कयास कर के कोई हुक्म दिया, क्योंकि उस तक इस मसले के मुताल्लिक़ दलील समझी जाने वाली हदीस न पहुँची थी। उसके तलबा ने उस मसले के लिए सनद का दरजा रखने वाली हदीस को पाया और मुतफिक्र हुक्म दे दिया। लेकिन यह तलबा ऐसा इजतहाद करते हुए, इमामे मसलिक के कावाइद से बाहर कदम नही रखते। बाद में आने वाले मुजतहीद मुफ्ती हज़रात ने भी ऐसा ही फतवा दिया। इन बयानात से साबित होता है के चार आएमा मसालिक और उन मसालिक में परवान दरअसल अल्लाह तआला और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के हुक्म के ही ताबीअ होते है। इन मुजतहदीन ने, कुरआन करीम से और हदीस शरीफों से ऐसे अहकाम समझे हैं और बयान किये हैं जो दूसरो के लिए समझाना मुमकिन नहीं। और मुसलमानों ने यह जानकर के इनका मारवज़ किताबों सुन्नत है इन अहकामात की तक़लीद की है। क्योंकि सूरत नख़्ल की **43**वीं आयत में यूँ इर्शाद फरमाया गया है: **"सो पूछ लो अहले ज़िकर से, अगर तुम नही जानते।"** [इस आयते मुबारक से साबित है कि किताबों और सुन्ना को समझना हर किसी के लिए मुमकिन नही, ऐसे लोग भी होंगे जो समझ न सकेंगे। जो लोग समझ ना पाए उनके लिए हुक्म दिया गया है के वो समझ रखने वालों से दरयाफ्त करे और सीखें, न की कुरआन करीम और अहादीस समझने की कोशिशों में लगे रहे। अगर कुरआन-ए-करीम और अहादीस को हर कोई सही मायनों से समझ सकता तो **72** गुमराह फिरके पैदा न होते इन सब फिरकों के बानी गहरी सोच रखने वाले उलमा ही थे। लेकिन इन मे कोई भी, नसूस यानी कुरआन-ए-करीम और हादीस शरीफ के मायनें सही तौर पर समझ न सका था। गलत समझते हुए, सीधे रास्ते से निकल गये। लाखों मुसलमानों को

फिलाकत की राह पर मोड़ने का सबब बने। नसूस के गलत मायनें निकालने में कुछ लोग हद से इस कदर तजावज़ कर गये के, सीधे रास्ते पर गामज़न मुसलमानों से तुर्की ज़बान में तर्जुमा करके, **कशफुल शुबहात** नामी वहाबियत की किताब ख़ुफियाँ तौर से हमारे मुल्क में लाई गई इसके मुताबिक अहले सुन्नत की अताअत करने वाले मुसलमानों के कत्ल और उनके माल को लूटना मुबह करार दिया गया।]

अल्लाह तआला ने आएमा मसालिक को इजतहाद करने मसालिक की बुनियाद डालने और मुसलमानों का इन मसालिक पर जमा होने की नेअमत सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की उम्मत को एहसान फरमाई। जनाब हक़ ने एक तरफ ईतिकाद के आएमा पैदा करके गुमराह, ज़नदीक, मलहद और इंसानी सूरत में कआल शैतानो की जानिब से, ईतिकाद और ईमानी उलूम को ख़राब होने से बचाया, दूसरी तरफ आएमा मसालिक को पैदा फर्माया और दीन को बिगड़ने से महफूज़ रखा। ईसाइयत और यहूदियत मे ये नेमत न थी, इस लिए उन के अदयान बिगड़ गए और खिलौना बन कर रह गए। जुमलाए उलमा के मुतफक्का राय के मुताबिक, रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की वफात से चार सौ साल बाद इजतहाद करने के काबिल कोई गहरी सोच वाला आलिम नही रहा। अब अगर कोई यह कहे के, इजतहाद करना चाहिए तो उस के मुताल्लिक़ दिमाग़ी मरीज़ या दीनी जाहिल होना साबित होगा। अज़ीम आलिमे दीन जलाल उददीन सेवती 'रहमतुल्लाह अलैहि' ने कहा के मैं इजतहाद के दरजे तक पहुँच गया हूँ। उन के हम असर उलमा ने आप (रहमतुल्लाह अलैहि) से एक सवाल के दो मुतफर्क जवाबात में से सही तरीन जवाब के मुताल्लिक़ इसतफसार किया। आप (रहमतुल्लाह अलैहि) जवाब न दे सके। आप (रहमतुल्लाह अलैहि) ने बहुत ज़्यादा काम की वजह से और मसरूफ होने की बिना पर माज़रत कर ली। हालांकि आप

(रहमतुल्लाह अलैहि) से, फतवा में इजतहाद करना तलब किया गया था। जबकि ये, इजतहाद के दरजात, में सबसे निचला दरजा है। जब इमाम सेवती (रहमतुल्लाह अलैहि) जैसे बड़े आलिम फतवा में इजतहाद करने से कतरा गए तो मुसलमानों को मुताल्लिक़ इजतहाद करने की दावत देने वालों को पागल यानी दीनी जाहिल ना कहा जाए तो और क्या कहा जाएगा? इमाम ग़ज़ाली (रहमतुल्लाह अलैहि) ने अपनी किताब **अहयाउलूम दीन** में बयान फरमाया के उनके ज़माने में कोई मुजतहिद नही पाया जाता।

"एक ग़ैर मुजतहिद मुसलमान के लिए लाज़िम है के अगर वो एक सही हदीस पढ़े और उसके मुताल्लिक़ अपने मसलक के इमाम का हुक्म पूरा करना उसे गिरा गुज़रे तो यह मुसलमान चार मसालिक में से उस हदीस के मुताबिक इजतहाद करने वाले मुजतहिद की तलाश करके यह काम उस, मसलिक के मुताबिक सर अनजाम दे। अज़ीम आलिमे दीन इमाम नोवी (रहमतुल्लाह अलैहि) ने अपनी किताब **रोजतल तालेबीन** में इस बारे में तफसील से वज़ाहत फर्माई। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए, जो इजतहाद के दरजे तक न पहुँचे हो, किताबे सुन्नत से एहकामात अख़्ज़ करना जायज़ नही। अब, बाज़ जाहिल लोग कहतें है के वो मुताल्लिक़ इजतहाद का दरजा रखते है, नसूस से यानी किताबों सुन्नत से एहकामात अख्ज़ कर सकते है और उन्हें चार मसालिक के आएमा में से किसी की तख़्लीक की ज़रूरत बाकी न रही। सालों साल से जिस मसलक की तकलीद करते रहे है, उसे तर्क कर रहे है। अपनी ख़राब इफकार के ज़रिये मसालिक को मिटाने के दर पे है। जाहिलाना और एहमकाना बातें करते है और कहतें है के हम जैसे लोग उलमाए दीन की राय पर अम्ल दरआमद नही करते। शैतानी वसवसों और अपने नफस के बहकावे में आकर बड़ाई का दावा करते है। वो यह नही समझ पाते के उनकी ऐसी बातें, एहमक़ाना पन और ख़बासत को ज़ाहिर करती हैं न की उनकी बढ़ाई को। इन

के दरमियान ऐसे जाहिल और गुमराह लोग भी नज़र आते है जिन के बकौल सबको तफसीर पढ़नी चाहिए, ताकि तफसीर और सही बूख़ारी से बज़ाते खुद एहकामात निकाल सके। ऐ मेरे मुसलमान भाई। होशियार रहना, ऐसे एहमको के साथ दोस्ती करने, इन्हे उलमा दीन तस्व्वुर करने और इनकी मन-घड़त किताबें पढ़ने से खुद को महफूज़ रखना। अपने इमाम के मसलिक को मज़बूती से थामे रहो। चार मसालिक में से अपनी मरज़ी से एक को चुन सकते है। लेकिन मसालिक की आसानियों को मुताल्लिक़ तहतीश करना, यानी मसालिक को **तलफिक** करना जायज़ नही। [**तलफिक** मसालिक की आसानियों को जमा करके किए जाने वाले किसी अम्ल का चार मसालिक में से किसी एक के भी मुताबिक न होना मुराद है। कोई अम्ल करते हुए चार मसालिक में से किसी एक का ऐतबार करने के बाद, यानी ये अम्ल इस मसलिक के मुताबिक सही करार पाने के बाद़ इसके मुताल्लिक़ बाकी तीन मसालिक में भी मुमकिन हद तक सही और मकबूल साबित करने के बाद इस पर अम्ल करने को तकवा कहा जाता है, के इसका बड़ा सवाब है।]

हदीस शरीफों को पढ़ कर अच्छी तरह समझने वाले मुसलमान के लिए ज़रूरी है के वो पहले अपने उन हदीसो को पढ़ें जिन्हें उसके मसलक ने दलील के तौर पर पेश किया है, फिर इन हदीसों में की गई बातों पर अम्ल करे, और मना किये गए कामों से बचे, दीन इस्लाम की एहमियत, कदरो किमत जाने, अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के असमा और उनकी साकात के कामालात को जाने, रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की हयाते तय्यबा, फज़ाइल, माजिज़ात को जाने, दुनिया, आख़िरत जन्नत और जहन्नम के एहवाल मलाइका, जिन्नात, गुज़िशता उम्मतों, पैग़म्बरों, किताबों, कुराने करीम और रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की अज़मतों, आप 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' की आल और

असहावे कराम रिज़वानुललाहे तआला अलैहिम अजमईन के हालात, क़यामत की अलामात और ऐसी दुनिया-ओ-आख़िरत से मुताल्लिक़ बे शुमार मालूमात हासिल करे। रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की अहादीस शरीफ में दुनिया और आख़िरत से मुतालक़ा सब बातें पाई जाती है। हमारी इन तहरीर कर्दा इबारात को समझाने के बाद भी अगर कोई कहता है के मजतहदीन के अहादीस शरीफ से अख़्ज़ कर्दा दीनी एहकाम का फायदा नही तो उसके हद दर्जा जाहिल होने में कोई शुबा नही। अहादीस शरीफ के बयान कर्दा अन गिनत उलूम में इबादात और मामलात को बयान करने वाली अहादीस की तादाद कम है। बाज़ उलेमा के बकौल उनकी तादाद पाँच सौ है। [मगर हदीसों को भी शुमार किया जाए तो तादाद तीन हज़ार से ज़्यादा नही।] इस कदर कम अहादीस शरीफ में से किसी सही हदीस के मुताल्लिक़ ये ख़याल भी नही किया जा सकता के चार आएमा मसलक में से किसी एक ने भी उसे सुना न हों। सही हदीसों को चार आएमा मसलक में से कम से कम एक ने ज़रूर दलील के तौर पर लिया है। जब कोई मुसलमान ये देखे के उसके मसलक में बयान कर्दा अमल किसी सही हदीस से टकराता है तो उस पर लाज़िम है के उस सही हदीस के मुताबिक किये गए दूसरे मसलक के इजतहाद पर अमल करे। हो सकता है के उसके अपने मसलक के इमाम ने भी ये हदीस शरीफ सुनी हो, लेकिन उसके ख़याल में कोई और हदीस जो ज़्यादा सही हो या हो सकता है के उनके किसी और हदीस पर अम्ल किया जो बाद की हदीस है। और जिसने उस पहली हदीस को नस्ख कर दिया हो, या ऐसे अस्बाब की वजह से के जिन्हे मुजतहदीन जानते थे उन्होंने उस हदीस को दलील के तौर पर न लिया हो। किसी हदीस के सही होने को समझने वाले मुसलमान के लिए बेहतर है के वो इस हदीस शरीफ के मसलक के उस हुक्म पर तरजीह दे जो उस हदीस से मुताबिकत नही रखता, लेकिन उस शख़्स के लिए लाज़िम है के वो उस मसलक की तकलीद करे। जिसने उस हदीस से हुक्म अख़्ज़ किया हो। क्योंकि अहकाम के दलाइल में

से कोई ऐसी बात जो वो मुसलमान नही जानता, इमामें मसलक ने उसे जानते हुए इस हदीस पर अम्ल करने में कोई मनाही नही समझी। इस के साथ-साथ, उसके लिए ये भी जायज़ है की वो ये अम्ल अपने मसलक के मुताबिक अंजाम दे।

क्योंकि इमामे मसलक का ये इजतेहाद, ज़रूर किसी मज़बूत दलील पर कयास रखता है। मुकलदीन के लिए इस दलील को न जानना इस्लामियत में उज़र शुमार किया जाता है। क्योंकि चार आएमा मसलक में से कोई भी इजदेहाद करते हुए किताबों सुन्नत से अलग नही हुए। इन के मसलक दरअसल कुरानो सुन्नत की वज़ाहते है। उन्हें उस शक्ल में समझा या जिसको वो समझ सके और उन्हें किताबी शक्ल दे दी। आएमा मसालिक 'रहमतुल्लाही तआला' के ये काम, दीन इस्लाम के लिए ऐसी बड़ी और मुअज़्ज़म ख़िदमत है के अगर अल्लाह तआला उन की मदद न करता तो, किसी इंसान की मजाल न थी के वो ये काम कर पाए। ये मसलक उन कवई तरीन वसीक़ा जात मे से है जो रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के हक़ पैग़म्बर होने और दीने इस्लाम की सच्चाई बयान करते है।

हमारे उलमा-ए-दीन का अपने इजतहादात में एक दूसरे से इख़तलाफ, सिर्फ फिरोअ दीन यानी फक़ही मसाइल में है। उसूले दीन में ये यानी उलूमे ईतिकाद और ईमान में कतई इख़तलाफ नही पाया जाता। उन अहादीस शरीफा से माख़ज़ फिरोई मालूमात में भी कोई इख़तलाफ नही पाया जाता जिनका दीन में होना ज़रूरी समझा गया और जिन के दलाइल तवातर के साथ हम तक पहुँचे। उलूमे फिरोए दीन में से बाज़ में इन के माबीन इख़तलाफ नज़र आता है। इस का असल सबब ये है के उन्होंने अपने दलाइल की कुव्वत को समझने में आपस में इख़तलाफ किया है। ये छोटे छोटे इख़तलाफात भी दरअसल इस उम्मत के लिए रहमत है। मुसलमानों के लिए जायज़ है के वो

अपनी पसंद का और आसानी वाला मसलिक अपना ले। रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इस इख्तलाफ को रहमत करार दिया था और ऐसा ही हुआ कुराने करीम में और अहादीस शरीफा में वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई ईतिकाद की मालूमात यानी वो चीज़ें कि जिन पर ईमान रखना ज़रूरी है और फिकही मालूमात पर इजतिहाद करना जायज़ नही। ऐसा करना ज़लालत और गुमराही के रास्ते पर ले जायेगा। गुनाह कबीरा होगा। इतिकाद की मालूमात का सिर्फ एक ही रास्ता है। और वो रास्ता अहले सुन्नत वल जमात का है। अहादीस शरीफ में इख्तिलाफ फिरोआत को रहमत करार दिया गया है यानी अहकामात में इख्तिलाफ मुराद लिया गया है।

चार मसालिक के इल्मी अहकामात में इख्तिलाफ के मामले में इन में सिर्फ एक का हुक्म सही है। इस सही हुक्म की तकलीद करने वालों के लिये दो सवाब, जबके ग़ैर सही की तकलीद करने वालों के लिए एक सवाब है। मसालिक को रहमत करार दिया जाना, एक मसलिक को छोड़ के दूसरे मसलिक के इल्मी हुक्म की तकलीद का जायज़ होना साबित करता है। लेकिन चार मसलिक के अलावा, अहले सुन्नत में से कोई और मसलिक हत्ता असहाबा कराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) की तकलीद करना भी जायज़ है। क्योंकि उन के मसालिक किताबों में तहरीर नही किये गये और भुला दिये गये। मशहूर चार मसालिक के अलावा किसी और की तकलीद करने का कोई इमकान नही है। सहाबा-ए-किराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) की तकलीद के जायज़ न होने के मुताल्लिक़ उलमाये दीन के मुनफिका बयान को, इमाम अबू बकर (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) ने ख़बर दी है। मसालिक और मुजतहदीन बिल ख़ुसूस चार आएमा-ए-मसालिक के फ़ज़ाईल को समझने के लिए और यह समझने के लिये कि यह मसालिक सुन्नत किताब से बाहर नही और इजमा व क़यास से जो भी एहकामात दिये गये बयान अपनी ज़ाती राय से नही दिये गये। इस हकीकत

को बेहतर तौर पर समझने की ख़्वाहिश रखने वाले लोगों को हम इमाम अब्दुल वहाब रौशनी 'रहमतुल्लाही तआला' की **मिज़ानुल कुबरा** और **मीज़ानुल खुसरिया** नामी किताब पढ़ने की नसीहत करते है। **हुज्जुल्लाह अलल आलिमीन** की किताब से किया जाने वाला तर्जुमा यहाँ मुकम्मल हुआ। मंदराजा वाला बयान अस्ल अरबी तहरीर से तर्जुमा किया गया है। हमारी तमाम दीगर मतबूआत की तहर यहाँ भी, दूसरी किताब से लिए गए हवाला जात को [BRACKET] के अन्दर कलमबंद किए गए हैं ताकि ये हवाला जात असल तहरीर के साथ गड़बड़ ना हों। **हुज्जतुल्लाह अलल आलिमीन** नामी किताबों से ली गई नीचे लिखे इकतेबास का असल अरबी मतन **1394** हिजरी **[1974** ई सवी] में आफिसर प्रिटं के ज़रिए इस्तांबुल में तबअ किया गया। (कुरान करीम में उलमाए दीन नहीं कहा गया) कहना ठिक नही है। मुख़्तलिफ आयात में उलमा और इल्म की फ़ज़ीलत बयान की गई है। हज़रत अब्दुल ग़नी नाबलूसी अपनी किताब (हदीका) में बयान करते हैं:

सूरह अमबिया की 7वीं आयते करीमा में सो **पूछ लो अहले ज़िक्र से, अगर तुम नही जानते**। इर्शाद फरमाया है। ज़िक्र से मुराद इल्म है। इस आयते करीमा में वे इल्मों को हुक्म दिया गया है कि वो अहले इल्म को ढूढँ कर उन से पूछे और इल्म हासिल करें। सूरह आल इमरान की 7वीं आयते करीमा में **मुतशाबा आयात के मायनें सिर्फ अहले इल्म जानते है** और 18वीं आयत में **गवाही दी खुद अल्लाह ने इस बात की के नही है कोई माबूद सिवाए उसके और फरिश्तों ने और इल्म वालों ने भी** और सूरह कसस की 81वीं आयत में **और कहने लगे वो लोग जिन्हे दिया गया था इल्म, अफसोस है तुम पर, अल्लाह का सवाब कहीं बेहतर हैं उस शख़्स के लिए जो ईमान लाए और करे नेक अम्ल और नही मिलती ये नेमत मगर सब्र करने वालों को** और सूरतुर रूम की 56वीं आयत में **और कहेंगे वो लोग जिन्हे अता किया गया है इल्म और ई**

मान, बे शक रहे हो तुम नोशताए इलाही के मुताबिक रोज़ हश्र तक, बस यही है रोजे हश्र लेकिन तुम जानते न थे। और सूरह सरआ की **107**वीं और **108**वीं आयत में **यकीनन वो लोग जिन्हे दिया गया था इल्म उस से पहले जब तिलावत किया जाता है के उन के सामने तो गिर जाते है वो टोरियों के बल सजदे में।और पुकार उठते है के पाक है हमारा रब यकीनन है वादा हमारे रब का, ज़रूर पूरा हो कर रहने वाला है।** और सूरह हज की **54**वीं आयत में **और इसलिए भी करता है के जान लें वो लोग जिन्हे दिया गया है इल्म के बे शक कुरान हक से तेरे रब की तरह से** और सूरह अनकबूत की **49**वीं आयत में **दर असल कुरान, आयते बैनात है उन लोगों के सीनों में जिन्हे दिया गया हैं इल्म और नही इन्कार करते हमारी आयात का, मगर ज़ालिम** और सूरह सबा की छटी आयत में **और जानते है वो लोग जिन्हे दिया गया था इल्म के जो भी नाज़िल किया गया है तुम्हारी तरफ रब की तरफ से वो सरासर हक है और रहनुमाई करता है उस रास्ते की तरह जो मालिक और तमाम खूबियों के मालिक का है** और सूरह मजादिलता की **11**वीं आयत में **बुलंद करता है अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए तुम में से और उन को जिन्हे दिया गया है इल्म दरजो के ऐतबार से** और सूरह फातिर की **28**वीं आयत में **बस डरते है अल्लाह से तो उसके वो बंदे, नो (अल्लाह की ज़ात वसफात का) इल्म रखते** है और सूरह हिजरात की **13**वीं आयत में **बिला शुबा तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला अल्लाह के नज़दीक वो जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार है** इर्शाद फर्माया गया है।

हदीक नामी किताब के **365**वीं सफहे पर बयान कर्दा अहादीस शरीफ में, **अल्लाह तआला और मालाइका और हर जानदार, उस के लिए दुआ करते हैं जो इंसानों को ख़ैर सिखाता है** और **रोजे कयामत सबसे पहले पैग़म्बर फिर उलमा और फिर शुहदा शफाअत करेंगे** और **ऐ लोगों।जान लो के इल्म,**

आलिम की ज़बान से सुनकर हासिल किया जाता है, इल्म हासिल करो! इल्म हासिल करना इबादत है।इल्म सिखाने वाले और सीखने वाले के लिए जिहाद का सवाब है।इल्म सिखाना सदक़ा देने जैसा है।आलिम से इल्म सीखना, तहज्जुद की नमाज़ अदा करने जैसा है। इर्शाद फरमाया गया है।फतवा की किताव ख़ुलासा के मौलुफ ताहिर बुख़ारी (रहमतुल्लाह अलैहि) कहतें है के: **फिकह की किताब का पढ़ना रातों को नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा सवाब का मोज़ब है। क्योंकि, फर्ज़-ओ-हराम [उलमा से या उनकी तालीफ कर्दा] किताबों से सीखना फर्ज़ है।ख़ुद अम्ल दरआमद करने और दूसरे को सिखाने की नियत से फिकह की कुतुब पढ़ना तसबीह नमाज़ पढ़ने से बड़ कर सवाब का हामिल है।क्योंकि इसमें ख़ुद उसके लिए और उन लोगों के लिए फायदा है जिन्हे वो सिखाएगा** और **दूसरो को सिखाने की नियत से इल्म हासिल करने वाले को सदीकों का सवाब दिया जाता है।** इर्शाद फरमाया गया है।इस्लामी तालीमात किसी उस्ताद से और किताव से सीखी जाती है।वो लोग झूटे और ज़नदीक है जो ये कहतें है के इस्लामी कुतुब और रहवर की कोई ज़रूरत नही।वो मुसलमानों को फरेब देते और फ़लाकत की राह पर ले जाते है।दीनी कुतुब में बयान कर्दा तालीमात कुरानो हदीस से अख़ज़ की गई है।हदीक़ा से किया गया तर्जुमा यहाँ ख़त्म हुआ।अल्लाह तआला ने अपने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को, कुराने करीम की तवलीग़ करने और सिखाने के लिए मबऊस फर्माया।असहाबे कराम (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) ने कुराने करीम के उलूम रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से सीखे।उलमाए दीन ने ये उलूम असहाबे कराम रजि से सीखे।जुमला मुसलमान ने ये उलूम दीन से और उन की किताबों से सिखे।अहादीस शरीफ में, **इल्म ख़ज़ाना है।इस की कुंजी, सवाब करके सीखना है।सीखों और दूसरो को सिखाओं! और हर शै का एक सरचश्मा है।तक्वा का सरचश्मा आरफीन के क़लूब है और इल्म का सिखाना, गुनाहों का कफ्फारह है।** इर्शाद फरमाया गया है।

इमामे रब्बानी (रहमतुल्लाह अलैहि) अपनी किताब **मकतूबात** की पहली जिल्द **193**वीं मकतूबात में बयान फर्माते है:

"हर मुकतलफ, यानी बालिग़ शख़्स का पहले अपना ईमान ईतिकाद दुरूस्त करना लाज़िम है। यानी उलमाऐ अहले सुन्नत की तहरीर कर्दा अक़ायद की तालीमात को सीखना और इन पर सही तरह से ईमान लाना ज़रूरी है (अल्लाह तआला, उन अज़ीम उलमा के कामों पर उन्हें कसरत से सवाब अता फरमाए अमीन। क़यामत में जहन्नम के अज़ाब से निजात मिलना उन ही की तालीमात पर ईमान लाने से मुमकिन है। जहन्नम से निजात पाने वाले वही होंगे जो उनके रास्ते पर चलने वाले है। [उनके रास्ते पर चलने वालों को **सुन्नी** कहा जाताा हे।] रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) और आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के असहावे कराम रिज़वानुलाही अलैहि अजमाईन के रास्ते पर चलने वाले सिर्फ यही लोग है। किताव, यानी कुरान करीम से और सुन्नत, यानी अहादीस शरीफ से ली मालूमात में से एहम तरीन और सही तरीन मालूमात वही है, जो इन अज़ीम उलमा ने किताव और सुन्नत को समझ कर इन में से अख़ज़ की और बयान की है। क्योंकि, हर अहले बिदअत, यानी हर इसलाह पसंद हर (गुमराह) और बे मज़हब शख़्स अपनी नाकिस अक़्ल को इस्तेमाल करते हुए, अपनी ग़लत इफ्कार का माख़ज़ किताबें सुन्नत ही बताता है। उलमाए अहले सुन्नत को गिराने और छोटा साबित करने की कोशिश करता है। इसका मतलब हे के, हर उस तहरीर पर, जिस के बारे में कहा जाए के उसे किताबों सुन्नत से अख़ज़ किया गया है, ऐतबार नही कर लेना चाहिए सुन्हेरे प्रोपेगेंडों से फरेब नही खाना चाहिए।

उलमाए अहले सुन्नत वलजमाअत की बयान कर्दा सही ईतिकाद की वज़ाहत के लिए अज़ीम आलिम हज़रत तूर पुश्ती की फारसी किताब

अलमातमद बड़ी गिराँ कदर है और बड़ी वज़ाहत से तहरीर की गई है। बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। [(**हक़ीकत किताब ऐवी)** ने **1410** हिजरी [**1989** ई०] में शाए की थी। फज़ल अल्लाह बिन हुस्न तोर पुशती हनफी फिकह के उलमा में से थे। आप ने **661** हिजरी [**1263** ई०] में वफात पाई।]

"वो मालूमात जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है यानी अकायदी उलूम की इस्लाह के बाद **हलाल, हराम, फर्ज़, वाजिब, सुन्नत, मनदूब और मकरूह** चीज़ें उलमाए फज़ीलत को न समझने वाले जहला की गुमराह कुन किताबें नही पढ़ना चाहिए। अल्लाह महफ़ूज़ रखे। ईतिकाद रखने वाली चीज़ों पर अहले सुन्नत के मसलिक के मुताबिक ईमान न रखने वाले मुसलमान, आख़िरत में जहन्नम में दाख़िल होने से बच न पाऐंगे। दुरूस्त ईमान वाले शख़्स की इबादात में कुछ कमी भी हो जाए और वो तौबा न भी करे तो उसकी माफी मुमकिन है। माफी न भी हो तो अज़ाब झेलने के बाद जहन्नम से निजात पा जाएगा। हर काम की बुनियाद ईतिकाद की इसलाह है। ख्वाजा अबीदुल्लाह एहरार कुद्दुसल्लाहु तआला सिर्रहुल अज़ीज फरमाते है के; (सारे कश्फ, सारी करामात मुझे दे दी जाए, लेकिन अहले सुन्नत वल जमाअत का ईतिकाद मुझे न दिया जाए तो मैं खुद को खस्सारे में जानूँगा। मेरे कश्फो करामत न हों और मेरी क़बाहतें भी बहुत ज़्यादा हों, लेकिन मुझे अहले सुन्नत वलजमाअत का ईतिकाद एहसान कर दिया जाए तो मैं ज़रा भी दुखी न होंगा।)

आज मुसलमाने हिंद बे यारो मददगार हैं। दुश्माने दीन हर जानिब से हमला कर रहे है। आज इस्लाम की ख़िदमत के लिए दिया गया एक रूपया, किसी और वक़्त में दिये गए हज़ारों रूपयों से बढ़कर सवाब का हामिल है। इस्लाम की ख़ातिर आज सबसे बड़ी ख़िदमत ये होगी के अहले सुन्नत की किताबें ईमान और इस्लाम की किताबें खरीद कर देहातियों में, नौजवानों में

तकसीम किया जाए। जिस खुश किस्मत और वखतियार को ये ख़िदमद नसीब हो, उसके लिए खुशी का बाअस है। इन्तेहाई शुक्र अदा करे। हरदम इस्लाम की ख़िदमत करना सवाब है। लेकिन ऐसे वक़्त में के जब इस्लाम कमज़ोर पड़ा हों, झूठ और इफतरा से इस्लामियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही हो। अहले सुन्नत के ईतिकाद की नश्रो इशाअत के लिए कोशिश करना, कई गुना ज़्यादा सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहावे कराम 'रज़ि अल्लाहु तआला' से इरशाद फरमाया; **तुम लोग ऐसे वक़्त में आए हो की। अल्लाह तआला के औअम्र और नवाही के दस मे से नौ हिस्से पर अम्ल करो लेकिन दस मे से एक पर अम्ल न करो तो हलाक कर दिये जाओगे। तुम अज़ाब पाओगे। तुम्हारे बाद ऐसा एक वक़्त आयेगा जब औअम्र और नवाही के सिर्फ दस वे हिस्से पर अम्ल करने वाला निजात पा जाऐगा।** [(मशकातल मसाबे जिल्द अव्वल **179**वीं सफ्हे पर और तरमिज़ी की किताब अल फतन की **79**वीं नम्बर पर मौजूद है।] इस हदीस शरीफ मे बयान करदा वक़्त, बस यही ज़मानाए हाल है। काफिरों के ख़िलाफ जिहाद करना, मुसलमानों पर यलग़ार करने वालों की पहचान करना लाज़मी है, उनसे मौहब्वत नही रखनी चाहिए। [कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए जिहाद हुकूमत की असकरी कुव्वत करती है। मुसलमानों के लिए ऐसा जिहाद करना उस वक़्त मुमकिन है जब उन्हें बहेसियत असकर हुकुमत की जानिब से यह वज़िफा दिया गया हो। जिहाद-ए-कौली का जिहाद-ए-कतली से, यानि ज़बान और तहरीर से किए जाने वाले जिहाद का, कुव्वत से सरअन्जाम पाए जाने वाले जिहाद से ज़्यादा फायदेमंद होने के मुताल्लिक **65**वीं मकतुब में बयान किया गया है।]

उल्माए अहले सुन्नत की कुतुब को उनके इरशादात को आम करने के लिए कोई साहब करामत होना ज़रूरी नही या कोई शर्त नही के वो आलिम फाज़िल ही हो। हर मुसलमान के लिए लाज़िम है कि वो इस काम की कोशिश

करे। उसे चाहिए के मौक़ा हाथ से ना जाने दे। रोज़े क़यामत हर मुसलमान को इसके मुताल्लिक़ पूछा जाएगा, सवाल होगा के तुमने इस्लाम की ख़िदमत क्यो ना की? बड़ा अज़ाब होगा उन लोगों को जो इल्मी किताबों की नशरो इशाअत में कोशिश नही करते दीनी अलूम की इशाअत करने वाले इदारो की और ऐसे लोगों की मदद नही करते। उनका कोई उज़र, कोई बहाना काम ना आएगा। रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जो ख़ैरूल बशर होने, और सबसे अफज़ल होने के बावजूद भी कभी आराम से ना बैठे। अल्लाह तआला के दीन और अब्दी सआदत की तलकीन के लिए दिन-रात कोशा रहे। उन लोगों को जो आप (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से मोअजज़ात की तलब रखते थे यूँ इरशाद फरमाया: **मोअजज़ात का ख़ालिक अल्लाह तआला है। मेरा वज़ीफा ये है के मैं अल्लाह तआला के दीन की दावत दूँ**। इस राह में जद्दोजहद के दौरान अल्लाह तआला ने भी ऐसे मोअजज़ात एहसान फरमाए जिन से आपको मदद मिली। हमारे लिए भी लाज़िम है के हम उल्माए अहले सुन्नत 'रहमतुल्लाही तआला' की उन के इरशादात की नशरो अशाअत के साथ-साथ कफ्फार दुश्मनों, मुसलमानों को इफतरा और तश्दुद का निशाना बनाने वालों के मुताल्लिक़ भी अपने नौजवानों, दोस्तो को बताए के वो किस क़दर बुरे और झूठे है। इन के मुताल्लिक़ बताना कोई ग़ीबत नही अम्र मारूफ होगा। इस राह में अपने माल, अपनी कुव्वत या अपने हुनर से गुरेज़ करने वाला अज़ाब से न बच पाएगा। इस राह पर काम करते हुए झेली गई परेशानियों शिकंजा आजमाइयों को बड़ी सआदत और बड़ा फायदा समझना चाहिए। रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जब अल्लाह तआला के दीन की दावत देते और जाहिलों और बदबख़्तों के हमलों का सामना करना पड़ता। बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ती। वो अज़ीम तरीन इंसान वो जो चुने गए थे वो जो अल्लाह तआला के मुजीब मुहम्मद मुस्तफा (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) है इर्शाद

फरमाते है: **(किसी पैग़मबर ने ऐसी अज़यतें नहीं उठाई, जैसी के मैने।) मकतूबात** का तर्जुमा यहाँ मुकम्मल हो गया।

[हर मुसलमान के लिए लाज़िम है के वो अहले सुन्नत के अक़ाईद को सीखे और उन लोगों को सिखाए जिन्हे वो अपनी बात सुना सकता है। उलमाए अहले सुन्नत के इर्शादात पर मबनी कुतुब और रसाइल ढूँढे, ख़रीदें उन्हें नौजवानों और अपने जानने वालों को भेजें। कोशिश करे के वो उन्हें पढ़े। दुश्मने इस्लाम के हकीकी रूप को उजागर करने वाली किताबों को भी ऐसे ही फैलाना चाहिए।]

सरज़मीन पर पाए जाने वाले सारे मुसलमान को सीधा रास्ता दिखाने वाले और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के लाए दीन को, बिला तग़ारो तबददुल हमें समझाने वाले हमारे रहबर **उलमाए अहले सुन्नत** और चार मसालिक के बुलंद दरजे उलमाए मुजतहदीन है। इनमें पहले इमामे आज़म अबू हनीफा नोमान बिन साबित (रहमतुल्लाह अलैहि) है। इन का शुमार सबसे बड़े उलमाए इस्लाम में होता है। अहले सुन्नत के सरदार है। इनके हालात **सआदत अबदिया** और **मुफीद मालूमात** की कुतुब में तफसीली तर्जुमा के साथ बयान किए गए है। आप **80** हिजरी में कूफा में पैदा हुए और **150** हिजरी [767 ई०] में बग़दाद में आप (रहमतुल्लाह अलैहि) को शहीद कर दिया गया।

दूसरे, इमाम मालिक बिन अनस (रहमतुल्लाह अलैहि) है। आप (रहमतुल्लाह अलैहि) बहुत बड़े आलिम थे। आप **90** हिजरी में मदीना शरीफ में पैदा हुए और **179** हिजरी (**795** ई०) मे यही वफात पाई, इब्न आबदीन के मुताबिक आप (रहमतुल्लाह अलैहि) ने **89** साल की उम्र पाई। आप (रहमतुल्लाह अलैहि) के दादा मालिक बिन उबी आमिर थे।

तीसरे इमाम मुहम्मद बिन इदरीस **शाफई** (रहमतुल्लाह अलैहि)। आप (रहमतुल्लाह अलैहि) उलमाए इस्लाम की आंख के तारे थे। आपका जन्म **150** (**767**) में फिलीस्तीन में और वफात **204** (**820**) में मिस्र में हुई।

चौथे, इमाम सहमद बिन हनबल 'रहमतुल्लाही तआला' है! आप की विलादत सन **164** में बगदाद में हुई और यही सन **241** में वफात पाई। आप इमारते इस्लाम का बुनियादी सतून है! **रहमतुल्लाहे तआला अलेहिम अजमईन!**

आज अगर कोई शख़्स इन चार इमाम में से किसी एक की पैरवी नहीं करता तो वह बड़े खतरे में है! वो सीधे रास्ते से भटक चुका है। इन के अलावा और बहुत से उलमाये अहले सुन्नत है! उन के मसलक भी सच्चे थे लेकिन वक़्त के साथ उन के मसालक भुला दिये गये! किताबों में तहरीर नही किये गये। मसलन मदीने के साथ बड़े अलमाए जो **फुकाहा सबा** के नाम से मशहूर हुए, और ख़लीफा **उमर बिन अबदुल अज़ीज़, सुफयान बिन उययेना, इशहाक बिन राहावा, दाऊद ताई, आमिर बिन शराहीले शबही, लीस बिन सअद, अमुश, मुहम्मद बिन जरीर तबरी, सूफयान सूरी और अब्दुल रहमतुल्लाहे तआला** में से है!

सारे असहावे कराम राहे हक पर चलने वाले और हिदायत के सितारे थे! इन मे से हर कोई पूरी दुनिया को सीधे रास्ते पर लाने के लिए काफी था। वह सब मुजतहदीन थे। सब अपने मसलक पर कायम थे। ज़्यादातर के मसालिक एक दूसरे से मुमासिल थे। लेकिन उन सब के मसालिक जमा न किये जाने की वजह से उन के तलबाओं ने ईमान और आमाल पर बनी सब बातें जमा कर दी और उन की वज़ाहत फरमादी। उन्हें किताबी शक्ल दे दी। आज हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है के इन चार इमामे कराम मे से किसी एक की

इतवा करे, इस मसलक की पैरवी कर के ज़िन्दगी गुज़ारे और इबादत करे। इन चार मसालक मे से किसी की इतवाना करने वाला **अहले सुन्नत** नही है।

इन चार इमाम कराम के तलवा में से दो ने, ईमानी अलूम को फैलाने में बड़ी अज़मत पाई इस तरह ईतिकाद में ईमान में दो मसलक हुए कुरान करीम और अहादीस शरीफा के मुताबिक मोज़ू और सही ईमान वही है जो इन दोनों ने बयान फरमा दिया। फरकाऐ नाजिये यानी अहले सुन्नत के ईमानी अलूम को उस ज़मीन पर फैलाने वाले यही दोनों है। इनमे से पहले अबूल हसन अशअरी 'रहीमाअल्लाहु तआला' है आप की विलादत सन **226** A.H. **[879]** में बसरा शहर में हुई और सन **330** [सन **941**] में बगदाद में वफात पाई। जबके दूसरे **अबू मनसूर मातरीदी** 'रहमतुल्लाह तआला', आपने सन **333** (सन **944**) में समरकंद शहर में वफात पाई। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है की वो ईतिकाद की रो से इन दो इमामे कराम में से किसी एक की पैरवी करे।

औलियों की राहे सच्ची है इस्लामियत से बाल बराबर भी तज़्ज़ाद नहीं पाया जाता। [दीन को दुनिया के रसूल का वसीला बनाने वाले मात व मुकाम हासिल करने के लिए ख़ुद को वली मुराशिद आलिम दीन के रूप में ज़ाहिर करने वाले झूटे और गुमराह हर ज़माने में मौजूद थे। आज भी हर पेशे में हर फन में और हर वज़ीफे पर बुरे लोग पाये जाते है। अपनी कमाई और अपने ज़ोक़ को दूसरो के नुकसान में तलाश करने वालों को देख कर उसी वज़ीफे या पेशे पर जाएज़ दीगर सब लोगों पर कीचड़ उछालना हक़ तलफी और जाहिलयत होगी। इस लिए गुमराह आलिम दीन को देखकर, जाहिल और

ख़ुद साख़ता अहले तरयक्त अशख़ास को देखकर हनीफी उलमाये इस्लाम पर अहल तसूफ पर और ऐसी ज़वाफत पर ज़बान दराज़ी नही करना चाहिए जिन की ख़िदमात ने तारीख़ के सुनहरी सफहात को भर रख़ा है। हमें

समझ लेना चाहिए के उन पर ज़बान दराज़ी करने वाले उन की हक तलफी करते है। औलिया साहबे करामत होते है। सब हक पर और सच्चे है। इमाम शाफी इरशाद फरमाते है के ग़ौस अल सकलैन मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी 'कुददस अल्लाह तआला सिर्रहुल अज़ीज़' की करामत ज़बान उस कदर फैल चुकी है के उन पर शुबेह करना, उन पर यक़ीन न करना मुमकिन नही। क्योंकि हर जगह फैल जाना यानी **तवातुर** को सनद शुमार किया जाता है। सिर्फ दूसरों की तकलीद करते हुए किसी ऐसे नमाज़ी को जो काफिर कहना उसी वक़्त तक जाऐज़ नही जब तक के वह खुल्लम खुल्ला और बिला ज़रूरत ऐसी बात करे जो कुफ्र पर बनी हो।

किसी नमाज़ पढ़ने वाले शख़्स को काफिर कहना जायज़ नही जब तक की बिना किसी ज़रूरत के उसकी बातों से उसका कुफ्र समझा जा सके या उसका कोई लफज़ या कोई काम कुफ्र की तज़दीक करता हो। किसी पर लानत उस वक़्त तक नही भेजी जा सकती जब तक ये साबित न हो जाये के उस का खात्मा कुफ्र पर हुआ है। हता किसी काफिर पर भी लानत भेजना जायेज़ नही इसी लिए यज़ीद पर लानत न भेजना ज़्यादा बेहतर है।

5. ईमान के लिए लाज़मी इन छः अरकान में से पाँचवा: **अखिरत के दिन पर ईमान लाना है**। इस वक़्त का आगाज़ इन्सान की मौत का दिन है। क़यामत के कयाम तक है। इसे यौमे आख़िरी कहने से मुराद ये है के इस के बाद कोई रात न आयेगी। या फिर इस लिए के ये दिन दुनिया की आख़ीर के बाद आने वाला है। हदीस शरीफ में बयान कर दिये दिन, हमारे दिन रात जैसा हर गिज़ नही। वक़्त से मुराद एक ज़माना है क़यामत कब आयेगी, उस के वक़्त के मुताल्लिक़ कोई ख़बर दी गई उस के वक़्त के मुताल्लिक़ भी कोई न जान सका। लेकिन रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इस की कई अलामात और करबे ज़मान के मुताल्लिक़ ख़बर दी है। हज़रत महदी का ज़हूर

हज़रत ईसा का आसमान से दमिश्क में उतरना, दज्जाल का निकलना। याजूद माजूज नामी मख़्लूकात का हर जगह फैल जाना सूरज का मग़रिब से तुलू होना बड़े बड़े ज़लज़लो का वकु पज़ीर होना। दीनी अलूम का भुला दिया जाना फसक व फजूर का आम हो जाना, बे दीन बदअख़लाक बे हया लोगों का हुक्म चलेगा, अल्लाह तआला के ऐहकामात पर पावन्दी होगी। हर जगह हराम का दौर दोरह होगा, यमन से एक आग उठेगी। आसमान और पहाड़ टकड़े टुकड़े हो जायेंगे। चाँद और सूरज बुझ जायेगे। समन्दर एक दूसरे में मिल जायेगे और उबल कर ख़ुशक हो जायेंगे।

गुनाह के मरतकिब मुसलमानों को **फासिक** कहा जाता है। फासिको और काफिरों के लिए कबर का अज़ाब है। इस पर ईमान रखना ज़रूरी है। अहादीस शरीफ में वज़ाहत से बयान किया गया है। के मुर्दे को कबर में उतार दिये जाने के बाद उसे एक न मालूम हयात में उठाया जायेगा, वहाँ पर वह आराम या अज़ाब देखेगा। **मुनकर** और **नकीर** नाम के दो फरिश्ते अनजानी और निहायत ख़ौफनाक इंसानी शकल में कबर में आकर सवालात करेंगे। बाज़ उलमा के नज़दिक कबर का सवाल अकारीद मे से बाज़ के मुताबिक किया जायेगा जबके बाज़ उलमा का ख़्याल है ये सवाल जुम्ला अकायद से मुतलक होगा। इसलिए हमें चाहिए के अपने बच्चों को (तुम्हारा रब कौन है? तुमहारा दीन क्या है? तुम किस की उम्मत से हो? तुम्हारी किताब कौनसी है? तुम्हारा किबला कहा है? ईतिकाद में और अमाल में तुम्हारा मसलक क्या है?) जैसे सवालात के जवाबात सिखाने चाहिए। **तज़करा करतबी** में बयान किया गया है के ग़ैर अहले सुन्नत के लिए सही जवाबात देना मुमकिन न होगा। सही जवाब देने वालों की कबरे कशादा कर दी जायेंगी, यहाँ उन के लिए जन्नत से एक खिड़की खोल दी जायेगी! सुबह व शाम व जन्नत में अपने मुकामात देखेगें मलायका उनके लिए दूआ करेंगे और उन्हें मसरदे सुनाएगें। अगर सही जवाब

नही देगें तो उन्हें लोहे के गुरज़ की ऐसी जरब लगाई जायेगी के उन की चीख़े जिन व इनस के अलावा हर मख़लूक सुनेगी।कबर इस कदर तंग कर दी जायेगी के पसलिया एक दूसरे में घुस जायें।जहन्नम से एक ख़िड़की कबर में खोल दी जायेगी।सुबह व शाम जहन्नम में अपने मुकामात को देखेंगे और अपनी कबरो में रोज़े महशर तक तकलीफे और अज़ाब झेलेगें।मरने के बाद फिर से जी उठने पर ईमान रखना ज़रूरी है।हडडिया और गोशत गल सड़कर खाक में मिल जाती है गैस में तब्दील हो जाने के बाद बदन दोबारा तख़लीक किये जायेंगे, रूहे अपने बदनो में दाख़िल होगीं हर कोई ज़िन्दा होकर अपनी कबर से उठेगा।इसी लिए उस वक़्त को **रोज़े क़यामत** कहा जाता है।

पौधे हवा से कार्बन डाई आक्साइड गैस और ज़मीन से पानी और नमकियात, यानी मिटटी के मादों को लेकर उन्हें आपस में मिला देते है।इस तरह नामयाती अजसाम और हमारे अज़ा के बुनियादी मादे पैदा होते है।आज हम अच्छी तरह से जानते है के सालहा साल की मुद्दत में अनजाम पाने वाले कीमयायी रदअमल की तकमील केरालिस्त के इस्तेमाल से सायने जैसे कम वक़्त में हो जाती है।बस ऐसे ही अल्लाह तआला कबर से पानी कार्बन डाई आक्साईड और दिगर मादे और जानदार अज़ा एक ही पल में पैदा फरमा देगा।दोबारा ऐसे ज़िन्दा होने के मुतलक मुख़बिर सादिक ने ख़बर दी है।आज ये सब कुछ दुनिया ही में साइन्स के अलूम के तेहेत किया जा रहा है।सब जानदार **महशर** में उख़ड़े होगे।हर इन्सान का नामा ऐ आमाल उड़ कर अपने मालिक के पास आयेगा।उसे ज़मीनों आसमानों ज़ररों सितारों का ख़ालिक और लामतनाही कुदरत का मालिक अल्लाह तआला करेगा।उन सबके व कोअ पज़ीर होने के मुताल्लिक अल्लाह तआला के रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने ख़बर दी है।आपकी कही बात बिलाशुबा के पूरी हो गयी।बिलाशुबा ये सब होकर रहेगा।अलाहे और अच्छे लोगों के नामाऐ आमाल दाऐ तरफ से दिये जायेगें।बुरे लोगों को उनके नामाऐ आमाल पीछे की

जानिब से या बाऐ जानिब से दिये जाएगे। हर कोई अपने अच्छे या बुरे छोटे या बड़े पोशीदा या खुले बन्द किये गये हर अमल को इस नामाऐआमाल में तहरीर शुदा पाऐगा। हत्ता वह आमाल जिन का **करामन कातबीन** तक को खबर न हुई, अदा की गवाही से और अल्लाह तआला के कहने से उस के सामने आ जायेगें हर शय से सवाल किया जायेगा और हिसाब लिया जायेगा। रोज़े महशर हर वह पोशादी चीज़ सामने लाई जायेगी। जिसे अल्लाह तआला आश्कार करना चाहेगा। मलाईका से पूछा जाएगा, ज़मीनों और आसमानों में तुमने क्या किया? पैग़म्बरों सलावातुल्लाह व तसलीमातु अलैहिम अज्माईन से सवाल किया जाएगा, तुमने अल्लाह तआला के ऐहकामो को कैसे पुरा किया बन्दों से सवाल किया जायेगा तुम्हे बताऐ गये वज़ीफे को तुम ने कैसे पूरा किया और तुमने आपस के हकूक को कैसे पूरा किया और आपसी हकूक का जैसे खयाल रखा महशर में वह लोग जो साहब ईमान होगें और जिन के अमाल और अख़्लाक अच्छे होगें, अच्छे मुनाफात और एहसानात से नवाज़े जाएगें। बुरे अख़्लाक और बदआमाल के मालिक लोगों को सख़्त सज़ाऐ दी जाएगी।

अल्लाह तआला अपने फ़ज़ल और एहसान से जिस मोमिन को चाहेगा उसके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा देगा। शिर्क और कुफ़्र के सिवा हर गुनाह को अगर वो चाहे माफ फरमादे, अगर चाहे तो अपनी अदालत से छोटे से छोटे गुनाह पर भी सज़ा दे दे। उसके इर्शाद के मुताबिक वो शिर्क और कुफ़्र की हालत में मरने वाले को कभी माफ नही करेगा। अहले किताब काफिर और वे किताब काफिर, यानि वो लोग जो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को सब इंसानों के लिए पैग़म्बर बना कर भेजे जाने पर ईमान नही रखते, आपके बयान व एहकाम से, यानि अवामर और नवाही में से किसी एक को भी पसंद

नही करते, बिलाशुबा उनका ठिकाना जहन्नम है और वो अबदी अज़ाब झेलेगे।

रोज़े क़यामत, आमाल के वज़न, कामों की पैमाईश के लिए, हमारी सोच के आहाते के बाहर **मिज़ान** यानि पैमाईश का आला एक तराज़ू होगा। ऐसा कि ज़मीन व आसमान उसके एक पलड़े में सिमट जाएगे। सवाब का पलड़ा चमकदार और अरश की दांऐ जानिब जन्नत के करीब होगा। गुनाह का पलड़ा तारीक और अरश की बाये जानिब जहन्नम के करीब होगा। इसके बारे में यूँ वज़ाहत फरमाई गयी है। के दुनिया में किये गये सब अमाल बातें सोचे नज़रे वहाँ पर मख़सूस शक्लों में पाई जायेगी अच्छाईयाँ चमकदार होंगी। जबके बुराईयाँ तारीक और बद सूरत दिखाई देंगी। इन सबको तराज़ू में तोला जायेगा। ये दुनयावी तराज़ू से मुमासत नहीं रखता। उसका भारी पलड़ा ऊपर ऊठ जायेगा और हलका पलड़ा झुक जायेगा। कुछ उलमाऐ 'रहमतुल्लाही तआला' के मुताबिक, तराज़ू की मुख़तलिफ अकसाम होगी। इन में से ज़्यादा तर का असरार है के इनकी तादाद या नेाअइयत की बाबत हमारे दीन में वज़ाहत नही की गयी सो उस बारे में ना सोचा जाये।

पुल सिरात है। ये पुल सिरात अल्लाह तआला के हुक्म से जहन्नम के ऊपर बनाया जायेगा। हर किसी को हुक्म दिया जायेगा के उस पुल पर से गुज़रे। उस दिन सब पैग़म्बर या रब्बी हमें सलामती दे कह कर दरख़्वास्त करेंगे। जन्नती लोग उस पुल को आसानी से पार करने के बाद जन्नत में दाख़िल हो जाएगे। इन मे से कुछ बिजली की कोन्द की मिसल और कुछ तेज़ हवा की तरह और कुछ तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह गुज़र जायेगा। पुल सिरात एक बाल से बारिक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। दुनिया में इस्लामियत के मुताबिक ज़िन्दगी गुज़ारना भी ऐसे ही है। ज़िन्दगी को इस्लामियत के इन मुताबिक गुज़ारने की कोशिश करना पुल सिरात से गुज़रने के मुतरादिफ

है। यहाँ अपने नफस से मुजादला करने में मुशकिलात का सामना करने वाले, सिरात को आसानी और राहत से पार कर जाएगे। जो लोग इस्लामियत के मुताबिक ज़िन्दगी नही गुज़ारेंगे और अपने नफस के बहकावे में आ जायेंगे। सिरात को बड़ी मुशकिल से पार करेंगे। इसी लिए अल्लाह तआला ने इस्लामियत के बताऐ रास्ते को **सिराते मुसतकीम** का नाम दिया है। इस नाम की गुमास सलत से ज़ाहिर है के इस्लामियत के रास्ते पर चलना, पुल सिरात से गुज़रने की मिसल ही है। जहन्नमी लोग पुल सिरात से गुज़र ना पायेंगे और जहन्नम में गिर जायेगे। वहाँ हमारे प्यारे पैग़म्बर मुहम्मद मुसतुफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुख़तस शुदा **होज़े कौसर** है। उस की लम्बाई एक माह की मिसाफत जैसी है। उस का पानी दूध से ज़्यादा सफैद मुशक से ज़्यादा खुशबुदार है। उस के ऐतराफ में पड़े कदहो की तादाद सितारो से ज़्यादा है। उसे पीने वाला फिर कभी पियास महसूस न करेगा चाहे फिर वो जहन्नम में ही क्यो न चला जाये।

शफाअत हक है। तोबा किये बग़ैर मरजाने वाले मुसलमानों के सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफी के लिए, सारे पैग़म्बर, औलिया, सलाहेया, मलायका और वह लोग जिन्हे अल्लाह तआला इजाज़त मरहमत फरमाये शफाअत करेगे और कबूल करली जायेंगी। हमारे पैग़म्बर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इर्शाद फरमाया, **मैं अपनी उम्मत में से कबीरा गुनाह के मरतकिब लोगों को शफाअत करूगा।** महशर में शफाअत पाँच सूरतों में होगा।

पहली सूरत, रोज़े क़यामत मैदाने महशर की भीड़ में तवील इन्तिज़ार से तंग आकर गुनाहगार लोग फरयाद करेंगे कि उन का हिसाब जल्दी लिया जाये। इस लिए उनकी शफाअत की जायेगी।

दूसरी सूरत, सवालात ओर हिसाब में आसानी और जल्दी होने के लिये शफाअत की जायेगी।

तीसरी सूरत, गुनाहगार मोमिनीन को पुल सिरात से गुज़रते हुए जहन्नम में गिरने से बचाने के लिए और जहन्नम के अज़ाब से बचाओ के लिए शफाअत की जायेगी।

चौथी सूरत, उन मोमिनीन को जहन्नम से निकालने के लिये शफाअत की जायेगी जिनके गुनाह ज़्यादा होंगे।

पाँचवी सूरत, जन्नत में ला तादाद नेअमतें पाई जायेंगी और वहाँ अबदी कयाम किया जायेगा, उस के आठ दरजात है। हर किसी का दर्जा और उस का मकाम, उस के ईमान और आमाल के मिकदार के मुताबिक होगा। अहले जन्नत की दरजात की बुलन्दी के लिए शफाअत की जायेगी। जन्नत और जहन्नम का वजूद अब भी है। जन्नत सात आसमानो से ऊपर है। जहन्नम हर शय से नीचे है। आठ जन्नते और सात जहन्नमे मौजूद है। जन्नत ज़मीन सूरज और आसमानों से ज़्यादा बढ़ी है। जहन्नम भी सूरज से बड़ी है।

6 - ईमान के लिये लाज़मी इन छः अरकानों में से छठा **अच्छी और बुरी तकदीर का अल्लाह तआला की जानिब से होने पर ईमान लाना।** इन्सानों पर आने वाली ख़ैर या शर, फायेदा या नुकसान, मुनाफा या ख़सारा सब अल्लाह तआला की तय की हुई तकदीर की वजह से है। कदर के लफ़्ज़ी मायनें, किसी चीज़ को मापना हुक्म और अम्र देना बहुतात और बड़ा होने भी मुराद है। अल्लाह तआला का किसी चीज़ के मुताल्लिक़ अज़ल में चाहने को कदर कहा जाता है। कदर यानी किसी चीज़ की मौजूदगी चाही गई और उसका

वक़्त पज़ेर हो जाना **क़ज़ा** कहलाता है। क़ज़ा और कदर के कलिमात को एक दूसरे की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है। इस के मुताबिक कज़ा अज़ल से अब्द तक जिन चीज़ों की तख़्लीक होनी है उन्हें अल्लाह तआला की जानिब से अज़ल ही में चाहा जाना मुराद है। इन सब चीज़ों का कज़ा के मुताबिक, कुछ कम या कुछ ज़्यादा हुए बैगर तख्लीक किया जाना कदर कहलाता है। अल्लाह तआला अज़ल में, ला मतनाही कबले अज़ल से ही वक़्त पेज़ेर होने वाली हर शय का इल्म रखता है। बस इस इल्म को ही **कज़ा और कदर** कहा जाता है। कदर पर ईमान लाने के लिए लाज़िम है कि अच्छी तरह से जान लिया और यकीन कर लिया जाये कि,अल्लाह तआला ने किसी चीज़ को तख़्लीक करने का इरादा अज़ल में ही किया और उस के होने को चाहा तो, कम या ज़्यादा हुए बग़ैर उस शय की तख़्लीक-ए-ऐन वैसे ही होगी जैसा उसने चाहा था। जिस चीज़ को चाहा और उस का न होना या जिस चीज़ के न होने को चाहा और उस का हो जाना, नामुमकिन है।

सब नबातात, हैवानात, बेजान (ठोस, माया, गैस, सितारे, मौलिक्यूल, जौहर, बरकी मौज हर शय की हरकत, कीमाई रदुल अमल, मरकज़ी रद्दो अमल, तवानाई का बहाव, जानदारो में हयात), हर शय का होना न होना बन्दों के अच्छे या बुरे आमाल दुनिया और आख़िरत में उन की जज़ा का पाना और हर शय अज़ल में ही अल्लाह तआला के इल्म में थी। इन सबको वो अज़ल में ही जानता था। अज़ल से अबद तक पैदा की जाने वाली शय को, उस के ख़ुसूसियात को, हरकात को और वाकियात को अज़ल में अपने इल्म के मुताबिक ही पैदा फरमाता है। इन्सानों के अच्छे या बुरे सब आमाल को, उन के मुसलमान होने को, उन के कुफ़्र को, रज़ामन्दी या ग़ैर रज़ा मन्दी से होने वाले सब कामों को अल्लाह तआला ही तख़्लीक फरमाता है। तख़्लीक करने वाला और पैदा करने वाला सिर्फ वही ज़ात है। असबाब्स की वजह से पैदा हुई हर

शय का ख़ालिक वही है। **वो हर शय को एक सबब के नतीजे में पैदा करता है।**

मिसाल के तौर पर, आग जलाती है। हालांकि जलाने वाला अल्लाह तआला हे। आग का जलाने से कोई सरोकार नही। लेकिन उस की आदत है कि हर चीज़ को आग हुए बग़ैर वो जलाने को पैदा नही फरमाता। आग सुलगाने की हद तक गर्मी पहुँचाने से बढ़ कर कोई काम नही करती। सही तरह से ना देखने वाले यही समझेंगे कि ये सब आग ने किया है। जलाने वाली, जलने का रददो अमल दिखाने वाली आग नही है। ऑक्सीजन भी नही है। गर्मी भी नही है। इलैक्ट्रान का बहाव भी नही है। जलाने वाला सिर्फ अल्लाह तआला है। उन सबको उसने जलने के असबाब के तौर पर पैदा कर दिया है। कोई बे इल्म शख़्स यही ख़्याल करेगा कि आग जलाती है। इब्तदाई तालीम हासिल करने वाला "आग जलाती है" जैसे जुम्ले को पसन्द नही करेगा। बल्कि वो कहेगा कि हवा जलाती है। औसत दरजे की तालीम हासिल करने वाला, इस बात को क़ुबूल न करेगा और कहेगा कि हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन जलाती है। कॉलेज की तालीम हासिल करने वाला कहेगा कि जलाना ऑक्सीजन के लिए मख़सूस नही। हर एक शय जो इलैक्ट्रोन खींचे वो जलाने वाला होता है। जबकि यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करने वाला माद्दे के साथ साथ तवानाई को भी शामिल करेगा। इससे पता चलता है कि इल्म के इरतिका के साथ साथ काम का अन्दरूनी चेहरा सामने आने लगता है, और हमें समझ आती है कि जिन को हम सबब मानते है उन के पीछे दरअसल कई एक असबाब पाये जाते है। इल्म के फन के, सबसे आला दरजा पर फायज़, हकाइक को मुकम्मल देखने वाले पैग़म्बर (अलैहिस्सलाम) और उन अज़ीम शख़सियात के नक्शे कदम पर चल कर इल्म के समुंदर से कतरे पाने वाले उलमाये इस्लाम (रहमतुल्लाह) ने आज उन चीज़ों को जिन के बारे में ख़्याल

किया जाता है कि वो जलाने वाली है या बनाने वाली है, आज़िज़ और ज़वाल पज़ेर वास्ता और मख़लूक करार दिया है और बयान करते हैं कि हकीकी बनाने वाला, पैदा करने वाला दर असल सबब नही अल्लाह तआला है। जलाने वाला अल्लाह तआला है। वो बिना आग भी जला सकता है। लेकिन आग से जलाना उसकी आदत है। अगर वो जलाना न चाहे तो आग के अन्दर भी नही जलाता। जैसे उसने हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को न जलाया था। उन से मुहब्बत की वजह से उसने अपनी आदत को बदल दिया। (इसी लिए ऐसे माद्दे भी पैदा कर दिये है जिन की वजह से आग जल नही पाती। किमयागिर ऐसे माद्दो का इल्म रखते है।)

अल्लाह तआला अगर चाहता तो हर शय को बे सबब पैदा फरमा देता। बिना आग ही जला देता। बग़ैर खाने के पेट भर देता। बिना जहाज़ ही उड़ा देता। बग़ैर रेडियो, दूर दराज़ की आवाज़ सुनवा देता। लेकिन उसका यह लुत्फ हुआ कि अपने बन्दों के साथ भलाई की और हर शय की तख़लीक को किसी न किसी सबब से जोड़ दिया। उसने चाहा कि खास चीज़ों की तख़लीक को, खास असबाब के साथ पैदा किये जाये। आमाल को असबाब के तहत पोशीदा फरमा दिया। उसने अपनी कुदरत को असबाब के तहत छुपा दिया। अगर कोई यह खवाहिश रखता है कि वो कोई शय पैदा करे, तो वो शख़्स उस शय के असबाब के हुसूल में जुट जाता है और उस शय को पालता है। जैसे दिया जलाने की ख़वाहिश रखने वाला, माचिस का इस्तेमाल करता है। ज़ैतून का तेल निकालने की खवाहिश रखने वाला दबाव के आला का इस्तेमाल करता है। सर दर्द से निजात चाहने वाला एसप्रिन खाता है। जन्नत की बेइन्तिहा नेअमतों के हुसूल की चाह रखने वाला, इस्लामियत पर अमल करता है। [ख़ुद पर पिस्तौल दागने वाला मर जाता है। ज़हर पीने वाला मर जाता है। पसीने से सराबोर हालत में ठंडा पानी पीने वाला बीमार हो जाता है। गुनाह

का मरतकब और ईमान से हाथ धो लेने वाला जहन्नमी पज़ीर होगा। कोई शख़्स जिस सबक के लिए महनत करेगा, उस शे को पा लेगा जिस के लिए उस सबब को वास्ता बनाया गया है। इस्लामी कुतुब को पढ़ने वाला इस्लामियत सीखता है और मुसलमान बन जाता है। बेदीनों और बेमज़हबों के दरमियान रहने वाला उन की बातों पर कान घरने वालो दीन का जाहिल बन जाएगा। दीन के जाहिल मे से अकसर काफिर होते है। इंसान जिस सवारी पर सफर करेगा उसी की मंज़िले मकसूद पर जा पायेगा।]

अगर अल्लाह तआला ने कामों को सबब के साथ पैदा न फरमाया होता कोई किसी का मोहताज ना होता। हर कोई हर शय अल्लाह से मांगता और इस के हसूल के लिए कोई काम ना करता। ऐसी हालत में इंसानों के दरमियान आमिर मामूर मज़दूर सनअत कार तालिबे इल्म उस्ताद और कई ऐसे इंसानी रिश्ते ना होते दुनिया और आख़िरत का निज़ाम बिगड़ जाता। ख़ूबसूरतों बदसूरतों, अच्छे और बुरे, फरमाबरदार और नाफरमानों के दरमियान कोई फरक ना रहता।

अल्लाह तआला चाहता तो अपनी आदत कुछ और ही बना लेता। हर शै को अपनी उस आदत के मुताबिक तख़्लीक फरमाता। मसलन अगर वो चाहता तो काफिरों को जो दुनिया के ज़ौकी सफा में खोये हुए हैं, लोगों को तकलीफ देते है, इंसानों को धोखा देते हैं उन्हे जन्नत में दाख़िल फरमा दे। साहिबे ईमान, इबादत गुज़ार नेक लोगों को जहन्नम में डाल देता। लेकिन आयाते करीमा और अहदीस शरीफा बताती है के उसने ऐसा नही चाहा।

इंसानों के हर काम, उस की बाइरादा और बिला इरादा हरकात को पैदा करने वाली ज़ात वही है। बंदों के इख़्तियारी यानी बाइरादा की जाने वाली

हरकात के लिए और सब कामों को पैदा करने के लिए, उस ने अपने बंदों में **इख़्तियार** और **इरादा** पैदा फरमा दिया, उस चुनाव और ख़्वाहिश को, कामों की तख़्लीक के लिए सबब बना दिया। एक बंदा, जब कोई काम करने को इख़्तियार करता है, उसे चाहता है तो अल्लाह तआला भी अगर चाहे तो वो काम तख़्लीक फरमा देता है। अगर बंदा ना चाहे और मांगे अल्लाह तआला भी ना चाहे तो उस चीज़ को पैदा नही फरमाता। वो शै सिर्फ बनदे की ख़्वाहिश से भी पैदा नही की जाती। उस ज़ात का चाहना भी ज़रूरी है। बंदों की ख़्वाहिश का तख़्लीक किया जाना ऐसे ही है जैसे किसी शै का आग के छूने से जलने का पैदा ना होना। छूरी के छूने से कटना तकलीफ होता है। काटने वाली छूरी नही, वो ज़ात है। उसने काटने के लिए छूरी को सिर्फ एक सबब बना दिया है। उसका मतलब है के, बंदों की इख़्तियारी हरकात पैदा किए जाने का सबब, उनका अपने इख़्तियार से हरकत को तरजीह देना और चाहना है। लेकिन कायनात में होने वाली हरकात, बंदों के इख़्तियार करने की वजह से नही है (ये सब अल्लाह तआला के चाहने से दूसरे ही असबाब से पैदा की जाती है। हर शय की सूरतों की जररों की कतरों की, ख़लियों की जिरासीम की एहामी माअदों की, उन की ख़ुसूसियात को और उनकी हरकात को पैदा करने वाली ज़ात वही है। उसके सिवा और कोई ख़ालिक नही अलबत्ता, वे जान माअदे की हरकात और इंसानों हैवान की इख़्तियारी हरकात के माबैन कुछ फर्क पाए जाते है, बंदे अगर अपने इख़्तियार से कुछ करना चाहे तरजीह दे और चाहे, फिर वो ज़ात भी चाहे तो अपने बंदे को हरकत देता है और वो काम तख़्लीक करता है। बंदे का हरकत में आना उसके अपने बस में नही है। उसे यह ख़बर भी नही होती कि वो कैसे हरकत करता है। [इंसान की हर हरकत कई तवानाई और कीमयादी हादसात से हासिल होती है।] वे जान चीज़ों को हरकत में **इख़्तियार करना** नही पाया जाता, आग के छूने से, जलने के पैदा होने में, आग की कोई तरजीह या चाह नही पाई जाती। [अपने प्यारे

बंदों की और जिन पर उसे रहम आ जाए उनकी अच्छी, मुफीद ख़्वाहीशात को अगर वो ज़ात भी चाहे तो पैदा कर देता है। उनकी बुरी और नुकसानदेह ख्वाहीशाद को वो नही चाहता और उसे पैदा नही करता। उसके उन बंदों से हमेशा अच्छे और मुफीद काम हासिल होते है। ये लोग कई एक काम हासिल ना होने की वजह से अफसुरदा होते हैं। अगर वो ये जान सकते सोच सकते कि ये काम नुकसानदेह होने की वजह से पैदा नही किए गए तो कभी अफसुरदा ना होते। इसके बर अक्स वो ख़ुश होते और अल्लाह तआला का शुकर अदा करते। अल्लाह तआला ने इंसानों के इख़्तियार को इख़्तियारी कामों को उनके कलूब के इख़्तियार और इरादे करने के बाद पैदा होने के मुताल्लिक़ अज़ल ही में इरादा कर लिया था और चाहा था के ऐसा हो। अगर उसने अज़ल मे यूँ ना चाहा होता, हमारी इख़्तियारी हरकात को भी हमारी मरज़ी के बग़ैर, वो ज़ात ज़बरन पैदा फरमाता। हमारी ख़्वाहिश पर मबनी कामों का हमारी ख़्वाहिश के बाद पैदा किया जाना इसलिए है के उसने अज़ल में यूँ ही चाहा था। इस का मतलब ये है के उस ज़ात का इरादा हाकिम होता है।]

बंदों की इख़्तियारी हरकात दो चीज़ों से पैदा होते है पहली बंदे की कलबी इख़्तियार इरादे और कुदरत से मुताल्लिक है। इसलिए, बंदे की हरकात को **कस्ब करना** कहा जाता है। कसब इंसान की सिफत है। दूसरी अल्लाह तआला के तख़्लीक करने और पैदा करने से मुताल्लिक़ा है। अल्लाह तआला को अवामिर नवाही सवाब और अज़ाब पैदा करना इंसानों में कसब पाए जाने की वजह से है। **सुरह साफ्फात 96**वीं आयते करीमा में **हाँलाकि के अल्लाह ने पैदा किया है तुमको भी और उन कामों को भी जो तुम करते हो** इरशाद फरमाया गया। ये आयत करीमा, इंसानों में कसब यानी हरकात में अलबी इख़्तियार और **इरादाए ज़ातिया** पाए जाने और जबर के ना पाए जाने का खुला सबूत है। इसलिए उसे **इंसान का काम** कहा जाता है। मसलन कहा जाता है के

अली ने मारा है अली ने तोड़ दिया है। इसलिए साथ साथ यह ज़ाहिर करता है के हर शै एक कज़ा और कदर के साथ पैदा होती है।

बंदे का काम बनाने में पैदा करने में पहले लाज़मी है के बंदा उस काम के लिए अपने कलबी इख़्तियार और इरादे को बरूए कर ले बंदा वो सब इरादा करता है जो उसके इख़्तियार में हो। उस ख़्वाहिश और चाह को **कस्ब** कहा जाता है। आमदी मरहूम के मुताबिक ये कसब कामों की तख़्लीक में सबब बनता है और मुअस्सर होता है। यह कहने में भी कोई नुकसान नहीं कि सब इख़्तियारी काम की तख़्लीक में मुअस्सिर नही होता। क्योंकि तख़्लीक किया जाने वाला काम और वो काम जो बंदे ने चाहा मुख़्तलिफ नहीं। मतलब ये के बंदा हर वो काम नही कर सकता जो बंदा नही चाहता। बंदे की चाह का हर काम ना हो, ये बंदगी नही, बल्कि अहलियत के लिए उठ खड़ा होना मुराद है। अल्लाह तआला ने अपना लुत्फो एहसान फरमाते हुए रहम करते हुए अपने बंदों के एहतियाज की हद तक और अवामिर नवाही पर अमल करने की हद तक कुव्वती कुदरत यानी तवानाई दी है। मसलन साहिबे सेहत और दौलत वाला शख़्स अपनी उमर में एक बार हज के लिए जा सकता है। आसमान पर रमज़ान का हिलाल देख कर हर साल एक माह के रोज़े रख सकता है। चौबीस घंटो में पाँच वक़्त की फर्ज़ नमाज़ अदा कर सकता है। निसाब की मिकदार में माल और पैसे का मालिक, एक हिजरी साल गुज़रने के बाद हिस्से की मुकरर्र सोना चांदी अलैहिदा घर के मुसलमानों को ज़कात दे सकता है। इस से साफ ज़ाहिर है कि इंसान अपनी चाह का काम चाहे तो कर लेता है न चाहे तो नही करता। अल्लाह की बड़ाई उस से भी समझी जा सकती है। वह लोग जो जाहिल और अहमक है, कज़ा और कदर की बातें न समझ कर, उलमाये अहले सुन्नत वल जमाअत की बातों को नही मानते। बन्दों की कुदरत और इख़त्यारात में शुबा करते है। इन्सान को अपनी चाह के नामों में आजिज़ और मजबूर समझते है। बाज़ कामों में बन्दे को बेइख़त्यार देख कर अहले सुन्नत पर

ज़बान दराज़ी करते है।इन बातिल अल्फाज़ से साबित है के वह खुद इरादाऔर इख्तयार के मालिक है।

कोई काम करने या न करने की नोअइयत को **कुदरत** कहा जाता है।करने या न करने में तरज़ी और चुन्ने को **इखत्यार** और चाहना कहा जाता है।जिस चीज़ पर इख्तयार हो उसे करने की सोच को **इरादा** और ख़्वाहिश करना कहा जाता है।एक काम को कबूल करना, मुख्वालफत न करने को **रज़ा** और पसन्द करना कहा जाता है।काम में तासीर की शरत के साथ इरादे और कुदरत के उख्वड़े होने को **खल्क** और पैदा करना कहा जाता है।तासिर के बग़ैर सब के उख्वड़े होने को **कसब** कहा जाता है।हर साहबे इख्तयार का ख़ालिक होना लाज़मी नही।उसी तरह हर उस शैय पर जिस का इरादा किया जाये, जरूरी नही के राज़ी हुआ जाये।अल्लाह तआला जिसको ख़ालिक और मुख़्तार कहा जाता है।बन्दे को कासिब और मुख्तार कहा जाता है।

अल्लाह तआला अपने बन्दों की इताअत और गुनाहों का इरादा करता है और उन्हें तख़्लीक करता है।लेकिन वह इताअत से राज़ी होता है, गुनाहों से राज़ी नही और उन्हें पसन्द नही करता।हर शैय उस ज़ात के इरादे और ख्लक करने से पैदा होती है।सूराह आज़म की 102वीं आयत करीम में इरशाद फरमाया गया है **, नही है कोई माबूद सिवा तुम्हारे रब के , जो पैदा करने वाला हे हर चीज़ का**।

मुतज़िला फिरका के लोग इरादे और रिज़ा के दरमियाँ फरक न देख पाने की वजह से उलझ कर रह गये।उन्होंने कहा के इन्सान अपनी ख्वाहिश का हर काम ख़ुद पैदा करता है।कज़ा और कदर का इंकार किया।**जबरिय्या** कुल मिलाकर ख़ुद उलझन में थे।ख्लक किये बग़ैर इख्तयार मिलने को समझ न पायें।ये सोच कर के इंसान को कोई इख्तयार हासिल नहीं, उसे पत्थर,

लकड़ी जैसी चीज़ों से मुमासलत दी। कहने लगे कि इन्सान सम हाशा साहबे गुनाह नही। सब बुराइयाँ करवाने वाला अल्लाह तआला है। जबरिया फिरके के मुन्तासिबीन के मुताबिक अगर इन्सान में इरादा और इख़्त्यार न होता और अल्लाह तआला बुराई और गुनाह ज़बर से करवाता तो हाथ पैर बान्द कर पहाड़ से नशेब की जानिब लुढ़कायए शख़्स और ऐतराफ की मनाज़िर से लुतफ अन्दोज़ हो कर टहलते हुए उतरने वाले शख़्स की हकीकात में किसी किसम का फरक नही होना चाहिए। हालांकि पहले शख़्स का ज़बरी के साथ लुढ़काना और दूसरे का उतरना इरादे और इख़्त्यार से हुआ है। दोनों के दरमियान तफरकिन करने वाले की नज़र में ज़रूर कोई ख़राबी है। उस से बढ़कर ये कि वो आयत करीमा का इनकार करेगा। और इस तरह अल्लाह तआला के अवामरोनुवाही को फौज़ूल और बे माइने समझेगा। मोतज़िला या कदरिया नामी फिरके के मनसूबीन के मुताबिक ये ख़्याल किया जाना के इन्सान अपनी चाह की चीज़ को खुद पैदा करता है, ऐसे ही है जैसे (हर शैय का ख़ालिक अल्लाह तआला है) वाली आयत करीमा का इंकार करना और उस के अलावा ये तख़्लीक में इंसान को अल्लाह तआला का शरीक ठहराये जाने के मतरादिफ है।

शिया भी मुताज़िला की तरह कहतें है के इंसान अपनी चाह की चीज़ को खुद पैदा करता है। उसकी सुन्द के तौर पर उस गधे को दिखाते है। जो डन्डों की मार खाने के बावजूद पानी से नही गुज़रता। वह यह नही सोचते के इन्सान अगर कोई काम करना चाहे और अल्लाह तआला उस काम को न चाहे तो होगा वही जो अल्लाह तआला चाहे। मुताज़िला के अल्फाज़ का बातिल होना समझ आता है। यानी इन्सान अपनी मरज़ी का हर काम न कर सकता है और न पैदा कर सकता है। उनके मुताबिक अगर इंसान अपनी मरज़ी से हर काम कर सकता तो अल्लाह तआला का आजिज़ होना साबित होता है। जबके अल्लाह तआला आजिज़ी से मुनज़्ज़द और पाक है। बिला शुबा हर काम उसके

इरादे के तहत होता है। हर शैय को पैदा करने वाली, वुजूद में लाने वाली ज़ात सिर्फ वही है,] लूहियत इसी का नाम है। इंसान के लिए उसने तख़्लीक किया हमने तख़्लीक किया उन्होंने तख़्लीक किया जैसे अल्फाज़ कहना लिख्ना निहायत कबीर फेल है। ये अल्लाह तआला की बेअदबी है और कुफ़्र का सबब है।

[**ईतिकाद नामा** किताब का तर्जुमा यहाँ मुकम्मल हुआ। ये तर्जुमा करने वाले हाजी फैज़ उल्लाह अफेंदी का तअल्लुक एरज़िनजान शहर के कमाह नामे कस्बे से है। अरसा दराज़ सौका शहर में मदरिस का वज़ीफा सर अंजाम दिया, **1323** हिजरी (**1905** ई०) में वफात पाई। किताब के मुअल्लिफ मौलाना ख़ालिद बगदादी उसमानी कुद्दूसा सिररूहु, **1192** हिजरी में बग़दाद के शुमाल में वाका शहर रोज़ में पैदा हुए, **1242** हिजरी (**1826** ई०) में दमिश्क में वफात पाई। आप (रहमतुल्लाह अलैहि) का सिलसिला हज़रत उसमान (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु) ज़िन्नूरैन से मिलने की वजह से आप (रहमतुल्लाह अलैहि) को उसमानी कहा जाता है। एक दिन आप (रहमतुल्लाह अलैहि) अपने भाई हज़रत मौलाना महमूद साहब (रहमतुल्लाह अलैहि) को इमाम नबवी (रहमतुल्लाह अलैहि) की किताब **हदी से अरबाईन** मे से दूसरी हदीस यानी **हदीस जिबराईल** (अलैहिस्सलाम) पढ़ा रहे थे। आप (रहमतुल्लाह अलैहि) के छोटे भाई मौलाना महमूद साहब (रहमतुल्लाह अलैहि) ने आप (रहमतुल्लाह अलैहि) से दरख्वास्त की के वो इस हदीस शरीफ को वज़ाहत के साथ तहरीर फरमा दे। हज़रत मौलाना ख़ालिद बग़दादी (रहमतुल्लाह अलैहि) ने अपने भाई के नूरानी कलब को ख़ुश करने के लिए यह ख़्वाहिश पूरी कर दी, इस हदीस शरीफ की वज़ाहत फारसी ज़बान में कर दी।]

शरीफुद्दीन मुनीरी के दो ख़त
(रहमतुल्लाहि तआला अलैहि)

शरीफुद्दीन अहमद इब्ने यहया मुनीरी हिन्दिस्तान में इस्लाम के बहुत बड़े आलिम थे उन्होंने अपनी फारसी किताब **मकतूबात** में लिखा:

"कई लोग शक व शुब्हे में पड़ कर गलत हो जाते है। ऐसे कुछ बीमार ज़हनियत के लोग कहतें है, अल्लाह तआला को हमारी इबादत की ज़रूरत नही। हमारी इबादत से उसे कोई फायदा नही। चाहे सब लोग उसकी इबादत करे या सब काफिर हो जाये, इससे उसकी शान पर कोई फर्क नही पड़ेगा। जो लोग इबादत करते है वो बेकार में खुद को तकलीफ देते है। यह तर्क गलत है; वो जो इस्लाम नही जानते ऐसा कहतें है क्योंकि वो सोचते है कि इबादत का हुकम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो अल्लाह के लिए जरूरत है। यह मुमकिन को नामुकिन से उलझाने वाला गलत अनुमान है। कोई भी इबादत किसी भी शख़्स के ज़रिये की हुई सिर्फ उसी के फायदे के लिए होती है। अल्लाह तआला ने खुद सूरह फातिर की अट्ठारहवी आयत में ऐसा साफ बयान किया है। वो शख़्स जो ऐसी गलत ख़्याल रखता है वो उस बीमार इन्सान की तरह है जिसे डॉक्टर ने कोई ग़िज़ा बताई हो और वह वो ग़िज़ा नही लेता और कहता है, अगर में यह ग़िज़ा न लूँ तो डॉक्टर का तो कोई नुकसान नही है। वो सही कहता है कि इससे डॉक्टर को कोई नुकसान नही होगा। पर इससे उस शख़्स को खुद नुकसान होगा। डॉक्टर ने उसे ग़िज़ा इसलिए नही बताई कि उससे डॉक्टर का फायदा होगा बल्कि उससे उस मरीज़ की बीमारी का इलाज हो जायेगा। अगर वो डॉक्टर की सलाह मानता है तो वो ठीक हो

जायेगा। अगर वो सलाह नही मानता तो वो मर जायेगा और इससे डॉक्टर को फिर भी कोई नुकसान नही होगा।

"कुछ और गलत ज़हनियत वाले लोग कभी इबादत नही करते और न हराम करने से बाज़ आते है। यानी वो इस्लाम के रास्ते पर नही चलते। वो कहते हैं, 'अल्लाह निहायत रहम वाला और करीम है। वो अपने इन्सानी बन्दों पर बहुत रहम करता है। उसकी माफी देना अज़ीम है। वो किसी को अज़ाब नही देगा।' हाँ, यह लोग अपने पहले जुम्ले में सही है पर आखिरी जुम्ले में गलत। शैतान ने उन्हें धोखा दिया है और नाफरमानी के रास्ते पर गुमराह किया है। एक मुनासिब इन्सान कभी भी शैतान के धोखे में नही आता। अल्लाह तआला सिर्फ रहीम और करीम ही नही है बल्कि वो बहुत सख्त अज़ाब देने वाला भी है। हम गवाह है कि इस दुनिया में कितने लोग गरीबी और तक्लीफ मे रह रहे हैं। बिना किसी झिझक के उसने अपने कितने बन्दों को अज़ाब में डाल रखा है। हाँलाकि वो बहुत रहमदिल और रज़्ज़ाक है पर वो रोटी का एक टुकड़ा नही देता जब तक खेतों में जाके पसीना न बहाया जाये। हाँलाकि वो हर किसी को भी ज़िन्दा रखने वाला है, पर वो बिना खाने या पीने के किसी को ज़िन्दा नही रखता। वो इन्सान जो दवा नही लेता वो उसे ठीक नही करता। उसने हर इन्सानी नेअमत के लिए ज़रिये बनाये है जैसे ज़िन्दा रहना बीमार न होना या ज़मीन का मालिक होना और जो लोग दुनियावी नेमतों के लिए रोज़ा नही रखते उनको महरूम करने में भी कोई रहम नही दिखाता। दो बहुत मशहूर हदीस शरीफ है: **भीख देकर अपने बातिल का इलाज करो!** और **हर बीमारी की दवा इस्तग़फार है**। काफी दवाईयाँ मौजूद है। उन्हें जानने के लिए तर्जुबा चाहिए। रूहानी दवाईयों का इस्तेमाल किसी को दुनियावी दवा पाने में भी मदद करता है। और दूसरी दुनिया में रहमत पाने का सबब बनता है। तो यह सब काम दूसरी दुनिया की रहमत पाने के लिए है। उसने रूह को बरबाद करने वाली चीज़ें जैसे कुफ्र और नाफरमानी को भी बनाया है। और सुस्ताई रूह को बीमार बना देती

है। अगर दवा न ली जाये तो रूह बीमार हो जायेगी और मर जायेगी। कुफ़्र और नाफरमानी की बस एक दवा है इल्म और मारीफत। और सुस्ती की दवा है नमाज़ और तरह की इबादत। अगर इस दुनिया में कोई इन्सान ज़हर खा लेता है और कहता है कि अल्लाह बहुत रहम वाला है और वो मुझे इस ज़हर से बचायेगा, तो इन्सान बीमार हो जायेगा और मर जायेगा। अगर कोई डायरीया का मरीज़ रेंडी का तेल पी ले [या कोई शुगर का मरीज़ चीनी खा ले] तो उसकी हालत और ख़राब हो जायेगी। किसी चीज़ की हवस, यानि नफ्स की चाह इन्सान के दिल को बीमार बना देती है। अगर कोई शख़्स सोचता है कि हवस या नफ्स के पीछे भागना गुनाह और ख़तरनाक है तो उसका हवस के पीछे जाना उसके दिल को नही मारेगा अगर वो इसके नुकसान पर यकीन नही करेगा तो वो उसके दिल को मार देगा क्योंकि वो जिसे यकीन न हो वो काफिर बन जाता है। और कुफ़्र दिल और रूह के लिए ज़हर है।

"दूसरा खेमा गलत ज़हनियत वालों का **रियादा** में आता है जिससे वो भूख से बीमार रहते है ताकि वो अपनी हवस गज़ब और वहशी ख़्वाहिशातों को ख़त्म कर सके जोकि इस्लाम में मना है। वो सोचते हैं कि सब ख़त्म करने का हुकम इस्लाम देता है। भूख के हालातो से गुज़रने के बाद वो पाते है कि उनकी यह शैतानी ख़्वाहिशातों का ख़ात्मा नही हुआ है और वो यह फैसला निकालते है कि इस्लाम उन चीज़ों का हुकम देता है जो नामुमकिन है। वो कहतें है, इस्लाम का यह हुकम पूरा नही किया जा सकता। इन्सान इस कायनात में मौजूद आदतों से पीछा नही छुड़ा सकता। ऐसा करने की कोशिश करना एक रंगीन इन्सान को सफेद बनाने जैसा है। नाममुकिन चीज़ करने की कोशिश करना ज़िन्दगी को बरबाद करने जैसा है। वो गलत दिशा में सोचते और करते है। और उनका दावा यह है कि इस पागलपन और जहालत के लिए इस्लाम हुकम देता है इस्लाम में इन्सान की ख़ासियत जैसे हवस और ग़ज़ब को ख़त्म करने का हुकम नही देना चाहिए था। ऐसा दावा इस्लाम की बदनामी है। अगर

इस्लाम में इस चीज़ का हुकम होता तो इस्लाम के आका मुहम्मद 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' में यह सिफात नही होती। दर असल आपने फरमाया 'मैं भी एक इन्सान हूँ। हर किसी की तरह मुझे भी गुस्सा आता है।' वक़्त ब वक़्त आपको भी गुस्से में देखा गया। अपका गुस्सा सिर्फ अल्लाह के हुकम के लिए होता था। अल्लाह तआला ने कुरान करीम में उन लोगों की तारीफ करी है जो अपने गुस्से को काबू मे कर सकते है। उसने उसकी तारीफ नही की जो कभी गुस्सा ही नही होते। गलत ज़हनियत वाले लोग कहते है कि अपनी हवस खत्म करना वेबुनियाद बात है। असल में रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का नौ औरतों (रज़िअल्लाहु तआला अनहुना) से निकाह करना उनके जुम्ले को साफ तौर पर गलत साबित करता है। अगर कोई शख़्स अपनी हवस खो देता है तो उसे वो दवाईयों के ज़रिये वापिस पानी पड़ती है। यही चीज़ गुस्से के साथ है एक आदमी अपने गुस्से की सिफात से अपने वीवी बच्चों को बचा सकता है। वो इस्लाम के दुश्मनों से अपने इस सिफत की वजह से लड़ सकता है। यह हवस की वजह से ही है कि एक इन्सान के बच्चे होते है जो उसके मरने के बाद भी उसका नाम ज़िन्दा रखते है। ऐसी चीज़ों को इस्लाम में पसन्द किया गया है और तरीफ की गई है।

"इस्लाम गुस्से और हवस को खत्म करने का हुकम नही देता बल्कि उस पर काबू रखने का हुकम देता है और उसे इस्लाम के बताये गये तरीके से इस्तेमाल करने को कहता है। यह उसी तरह है जिस तरह एक घोड़े वाला या कुत्ते का मालिक अपने घोड़े या कुत्ते से दूर नहीं भागता बल्कि उसे इस तरह से काबू में करता है ताकि उसका इस्तेमाल कर सकें। दूसरे लफ्ज़ों में हवस और गुस्सा घोड़े वाले के घोड़े की तरह है। इनके बिना दूसरे जहाँ की नेअमतें नही मिल सकती। पर इनका इस्तेमाल इस्लाम के बताये तरीके से होना चाहिए। अगर उन्हें तरबीयत से नही रखा गया और वो इस्लाम का दायरा तोड़ कर आगे निकल गये तो यह उस इन्सान की बरबादी का सबब बन जायेंगे। रियाज़त का

मकसद इन्हे ख़त्म करना नही है बल्कि इसे तरबीयत देना है और उन्हें इस्लाम का कहा मानना सिखाना है। और यह हर किसी के लिये मुमकिन है।

गलत ज़हनियत के चौथे खेमें के मुताबिक वो खुद को यह कहके धोखे में डालते है कि हर चीज़ बहुत पहले ही नसीब में मुकर्रर कर दी गई है। कोई बच्चा पैदा होने से पहले ही यह तय था कि वो सईद (जन्नत जाने वाला है) या शक़ी (जहन्नम का हकदार) है। बाद में यह बदला नही जाता। इसलिए इबादत करने से कोई फायदा नही है।' जब रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने बयान किया कि क़ज़ा या क़दर आपके लिखे हुए को नही बदल सकती तो सहाबा-ए-किराम ने भी यही कहा:

'तो फिर हम हमारे लिखे गये नसीब के भरोसे ही रहते है और इबादत नही करते।' पर रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने जवाब दिया **इबादत करो उससे किसी के लिए नसीब मे लिखी हुई चीज़ आसान हो जायेगी** यानि जिसको पहले ही सईद कह दिया गया हो वो वही काम करेगा जो सईद करता है। इसी तरह यह समझा जा सकता है कि जो शक़ी होता है वो नाफरमानी करता है यह उसी तरह है जैसे जिन लागो के नसीब में तंदरूस्त होना लिखा है वो खाना और दवा लेते है और जिनके नसीब में बीमार और मरना लिखा है वो दवा और खाना नही लेते। जिनके नसीब में भूख से मरना लिखा है वो दवा और खाने से कोई फायदा नही उठा पाते। एक इन्सान जिसके नसीब में अमीर बनना लिखा है उसके लिये कमाई के ज़रिये खुले हैं। जिस शख़्स के मुकद्दर में मौत मशिरक में लिखी हो वो मग़रिब के सारे दरवाज़े बन्द पाता है। एक रिवायत के मुताबिक जब इज़राईल (अलैहिस्सलाम), पैग़म्बर सुलेमान (अलैहिस्सलाम) के पास आये तो आपकी मजलिस में बैठे हुए एक शख़्स को घूर कर देखा। फरिश्ते के इस सख्त तौर पर देखने की वजह से वो इन्सान डर गया। जब इज़राईल चले गये तो उसने सुलेमान से गुज़ारिश की कि वो हवाओं

को हुकम दे कि वो मुझे इज़राईल (अलैहिस्सलाम) से दूर मग़रिबी मुमालिको की तरफ ले जायें। जब इज़राईल (अलैहिस्सलाम) वापस आये तो सुलेमान (अलैहिस्सलाम) ने पूछा कि आपने उस शख़्स की तरफ इतना क्यो घूर कर देखा था इज़राईल (अलैहिस्सलाम) ने फरमाया मुझे हुकम था कि मैं एक घन्टे में इस शख़्स की रूह मगरिब के एक मीनार से कब्ज़ करूँ। पर जब मैने उसे आपकी सोहबत में बैठे देखा मैं हैरान रह गया। बाद में मैं मग़रिबी मुमालिक उसकी रूह कब्ज़ करने गया और मैने उसे वहाँ पाया और रूह निकाल ली। यह देखने की बात है कि इन्सान इज़राईल (अलैहिस्सलाम) से घबरा गया ताकि नसीब में लिखा हुआ पूरा हो सके और सुलेमान (अलैहिस्सलाम) ने फरमाया कि नसीब मे लिखा हुआ एक तरतीब से पूरा होता है। उसी तरह, एक इन्सान जिसे सईद नसीब किया गया है उसे कई ईमान वाले लोग मिलेगें और रियाज़त से वो अपनी गलतियों को सुधारेंगे। सूरह अनआम की **125** वीं आयत साफ करती है कि, **अल्लाह तआला जिसे सही रास्ता दिखाना चाहता है बन्दों के दिल में वो इस्लाम डाल देता है।** एक शख़्स जिसको शक़ी नसीब है और जहन्नम में जाना है वो यह, सोच रखता है कि इबादत करने की कोई ज़रूरत नही है। यह पहले ही लिखा जा चुका है कि इन्सान सईद है या शक़ी।' वो इस सोच की वजह से इबादत नही करता। उसकी इबादत न करने की सोच दिखाती है कि वो बहुत पहले शक़ी करार दिया जा चुका है। उसी तरह एक जाहिल जिसे जाहिल करार दिया जा चुका है, यह राय देता है, हर चीज़ पहले लिखी जा चुकी है। लिखने या पढ़ने से कोई फायदा नही, अगर तुम्हारे नसीब मे जहालत ही है तो। तब वो कोई इल्म हासिल नही करता और जाहिल ही रहता है। जिस तरह से एक किसान जिसने बहुत बीज बोए हो और खूब जुताई की हो उसे पता रहता है कि उसे फसल भी ज़्यादा मिलेगी। उसी तरह जिनकी किस्मत में सईद होना लिखा जा चुका है उनके लिए ईमान और इबादत है और जिनको शक़ी नसब किया जा चुका है उनके लिए कुफ़्र और ना फरमानी है। जाहिल जो इसको

समझ नही पाते वो कहते है, 'किस्मत में सईद होने से ईमान और इबादत और शाकी होने में कुफ़्र और नाफरमानी का क्या काम है?' अपने इस छोटे से तर्क से, वो इस ताल्लुक को समझाने की और अपनी समझ से हर चीज़ को हल करने की कोशिश करते है। पर इंसान के तर्क महदूद है, और जो चीज़ें समझ से बाहर हो उन्हें अपने तर्को से समझाना जहालत और बेवकूफी है। जो ऐसा सोचते है वो नासमझ है। ईसा (अलैहिस्सल्लाम) ने फरमाया, 'मेरे लिए किसी नवजात अन्धे इंसान को आँखों से दिखाना या किसी मुर्दे को ज़िन्दा करना मुश्किल नही है। पर मैं यह किसी जाहिल को नही बयान कर सकता।' अल्लाह तआला ने अपने ला महदूद इल्म और हिकमत से अपने कुछ गुलामो को फरिश्तों के बराबर और उनसे उपर का भी दरजा दिया है। और कुछ दूसरो को उसने कुत्ते और सूवरो से भी नीचे रखा।

हज़रत शरीफुद्दीन अहमद इब्ने यहया मुनिरी अपने **76** वें ख़त में लिखते हैं:

सआदत का मतलब है जन्नत का हकदार। और **शकावत** का मतलब है जहन्नम का हकदार सआदत व शाकवा अल्लाह तआला के दो गोदामों की तरह है। पहले गोदाम की चावी है फरमा बरदारी और ईबादत। दूसरे गोदाम की चावी है गुनाह। अल्लाह तआला ने बहुत पहले ही इंसान की किस्मत में उसका सईद या शक़ी होना तय कर दिया था। एक इंसान जिसे पहले सईद करार दिया गया हो और जिसे इस दुनिया में सआदत की चावी मिलने वाली हो वो अल्लाह का हुक्म मानता है। और वो शख़्स जिसे शक़ी करार दिया गया हो और जिसे दुनिया में शकावत की चावी मिलने वाली हो वो हमेशा गुनाह करता है। इस दुनिया में हर कोई किसी को देख कर यह जान सकता है कि वो सईद है या शक़ी। मज़हबी आलिम जो दूसरी दुनिया के बारे में सोचते है वो इससे समझ जायेगे के वो एक सईद है या शक़ी पर एक इंसान जो मज़हब से दूर है और

जिसे इस दुनिया की लत लगी हुई है वो यह नही समझ पायेगा। हर तरह की इज़्ज़त और रहमत अल्लाह तआला की इबादत करने में ही है। और हर तरह की बुराई परेशानियाँ गुनाहों से ही शुरू होती है। परेशानियाँ और बुरे हालात गुनाहों की वजह से ही पैदा होते है और राहत और सुकून अल्लाह तआला की फरमा बरदारी में है। [यह अल्लाह तआला का कानून है। इसे कोई बदल नही सकता। कोई चीज़ जो अपनी नफ्स को आसान और मीठी लगे हमें उसे साअदा नही समझना चाहिए। और ना ही नफ्स के लिए किसी मुश्किल या कड़वी चीज़ को शाकवा नही समझना चाहिए।] एक इंसान था जिसने अपनी ज़िन्दगी के कई साल जेरूस्लम की अकसा मस्जिद में इबादत करते हुए गुज़ार दी; पर जब उसने एक सजदे का इन्कार किया, और अपनी सारी इबादत को पूरी तरह खो बैठा। ताहम, क्योंकि असहावे कहफ का एक कुत्ता सिद्दीकियों से कुछ कदम पीछे चला, उसे इतना बढ़ावा दिया गया कि उसके नापाक होते हुए भी उसे पीछे नही किया गया। यह सच्चाई बहुत हेरान करने वाली थी; इल्म के इंसान इस पहेली को सदीयों तक हल नही कर पाये। इंसानी तर्क इस इलाही हिकमत को कभी समझ नही सकती। अल्लाह तआला ने आदम (अलैहिस्सलाम) को गेहूँ ना खाने को कहा, पर उसने ही खाने दिया; अल्लाह ने शैतान को आदम (अलैहिस्सलाम) के सामने सजदा करने को कहा, पर उसको सजदा कराना नही चाहा। उसने कहा कि हमें उसे देखना चाहिए; पर उसने इसका हुसूल नही चाहा था: इन मामलो में इलाही के रास्ते पर चलने वाले हाजीयों ने कुछ नही कहा पर उन्हें कभी समझ ही नही आया। तब हम कैसे कुछ कह सकते है? अल्लाह तआला को इंसानों का ईमान और इबादत की ज़रूरत नही, ना की किसी का कुफ्र और गुनाह उसे कुछ नुकसान पहुँचा सकता है। उसे अपनी मख़्लूक की ज़रूरत नही उसने इल्म से कुफ्र को मिटाने का एक ज़रिया बनाया और जहालत को गुनाह पैदा करने का ज़रिया बनाया। ईमान और फरमाबरदारी इल्म से शुरू होते है, जबकी कुफ्र और गुनाह जहालत से शुरू होते है।

फरमाबरदारी को नही छोड़ना चाहिए हत्ता कि वो चापलूसी लगे! और गुनाह से बचना चाहिए चाहे वो कितने भी छोटा लगे इस्लाम के उलेमा ने यह ऐलान किया कि तीन चीज़ें और तीन चीज़ों की वजह बनती है: फरमाबरदारी से अल्लाह की रज़ा मिलती है; गुनाहों से उसका गुस्सा मिलता है; ईमान से इज़्ज़त और वकार मिलता है। इस वजह से, हमें एक छोटे से छोटे गुनाह से भी बचना चाहिए; क्या पता उस गुनाह में अल्लाह का गुस्सा हो। हमें हर ईमान वाले को अपने से बेहतर समझना चाहिए। हो सकता है वो इंसान अल्लाह के महबूब लोगों में से हो। हर इंसान की किस्मत, जोकि पहले लिखी जा चुकी है, उसे कोई बदल नही सकता। अगर अल्लाह तआला चाहे, वो उस इंसान को भी माफ करदे जो गुनाह करता है और उसका हुक्म भी नही मानता। जब फरिश्तों ने पूछा, **'ऐ अल्लाह! क्या तू उस मख़लूक को बनाने जा रहा है जो दुनिया को नापाक करेगी और खून व कत्ल करेगी?'** तब अल्लाह ने यह नही कहा कि वो नापाक नही करेगी पर कहा, **'मैं वो जानता हूँ जो तुम नही जानते।'** उसका मतलब, 'मैं नाकाबिल को काबिल बनाता हूँ। मैं दूर को पास बनाता हूँ। मैं कम को ज़्यादा बनाता हूँ। तुम उन्हें उनके कामों से देखते हो जबकि मैं उन्हें उनके दिलों से देखता हूँ। तुम अपनी बे गुनाही को हिसाब में रखते हो! वो खुद को मेरी रहमत के भरोसे पर रखते है। जिस तरह में तुम्हारी मासूमियत को पसंद करता हूँ, तो उनके गुनाहों को माफ करना भी पंसद करता हूँ। तुम नही जान सकते जो मैं जानता हूँ। मैं उन्हें अपनी अबदी रहमतो को हासिल करने को कहता हूँ और हमेशा अपनी हिफाज़त में रखता हूँ।

शरीफुद्दीन अहमद इब्ने यहया मुनिरी (रहमतुल्लाह अलैहि) का इन्तेकाल **732 (1380** ई० पू०) में हुआ। यह हिन्दुस्तान के शहर बिहार में रहते थे। उनकी कब्र भी वही है। मुनीर बिहार के एक छोटे से गाँव के इलाके का नाम है। आप की ज़िन्दगी की कहानी किताब **अखबारूल अखयार** में शाह

अबदुल्लाह देहेलवी (रहमतुल्लाह अलैहि) के ज़रिये लिखी गई है। यह किताब फारसी में है और हिन्दुस्तान में **1332** (**1914** ई०) में देवबन्द नाम के शहर में छपी, और बाद में लाहौर पाकिस्तान में भी छपी। यह किताबें, **इर्शादुस सालिकीन, मदीनुल मानी** और **मकतूबात** बहुत कीमती है। गुलाम अली अब्दुल्लाह देहेलवी ('रहमतुल्लाहि अलैहि' वफात दिल्ली में **1240** हिजरी **1824**), अहले सुन्नत वल जमाअत के बड़े आलिम अहमद इब्ने यहया मुनिरी की **मकतूबात** पढ़ने की सलाह देते है और अपने **99** वें ख़त में बयान करते है कि यह दिल को साफ करने में बहुत असरदार है।

इमामे रब्बानी 'रहमतुल्लाहि अलैहि' ने अपने कई खुतूत में बयान किया है: "अल्लाह तआला के हुक्म **फर्ज़** है, और उसकी मना की हुई चीज़ों को **हराम** कहते है। काम जो ना फर्ज़ है और ना हराम और जिनको आज़ाद करार दिया जा चुका है उन्हें **मुबाह** कहते है। फर्ज़ो को पूरा करना, हराम से बचना और अल्लाह की रज़ा के लिए मुबाह काम करना **इबादत** कहलाता है। एक इबादत मकबूल तब कहलाती है जब वो अल्लाह तआला के तरीके के मुताबिक सही हो, **इल्म** की शर्त पर यानी कलिमात का पढ़ना और सीख़ का सही तरीके से पूरा होना, **अमल** यानी जिस तरीके से हुक्म है उस तरह से करना और **इख्लास** के साथ अदा करना। किसी चीज़ या काम को इख्लास के साथ करने का मतलब है उसे सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करना और दुनियावी फायदे जैसे पैसा, ओहदा या शौहरत को नज़र में रखते हुए ना करना। फिकह और इल्म सिर्फ फिकह की किताबों को पढ़कर और इस्लामी उस्ताद के साये में रह कर हासिल किया जा सकता है। और इख्लास वलियों के तौर तरीको और अल्फाज़ों को सुनकर और उनकी तसव्वुफ की किताबों को पढ़कर हासिल किया जा सकता है। इस्लामी तालीम के दो हिस्से है: मज़हबी इल्म और सांइसी इल्म। इन दोनों को जितना हो सके सीखना फर्ज़ है। मिसाल

के तौर पर जैसे एक बीमार के लिए फ़र्ज़ है कि वो दवा का पूरा इल्म ले कि उसे वो कब और कितनी मिकदार में लेनी है या किसी को बिजली का औज़ार इस्तेमाल करना हो तो उसे इल्म होना चाहिए कि कितनी बिजली की ज़रूरत पढ़ सकती है। वरना उसकी ख़ौफनाक मौत हो सकती है।

"अगर कोई मुसलमान जो अपने फ़र्ज़ों से जी चुराता है किसी बुराई की वजह से और बिना तौबा किये मर जाता है, हालांकि वो फ़र्ज़ और हराम पर ईमान रखता है, फिर भी वो दोज़ख़ की आग में तब तक जलाया जाएगा जब तक उसके गुनाहों का हिसाब पूरा न हो जाए।

एक शख़्स जो फ़र्ज़ नही सिखता या उनको एहमीयत नही देता हालांकी यह उन्हें जानता है और जो उनकी परवाह नही करता, अल्लाह तआला से किसी तरह का संदेह या डर महसूस नही करता, यह इस्लाम के बाहर चला जाएगा ओर एक मुशरिक बन जाएगा। यह दोज़ख़ की आग का हमेशा के लिए निशाना बन जाएगा और यह नियम हराम करने वालों पे भी लागु होता है। अगर कोई शख़्स इबादत के खास नियमो के मुत्तालिक जानकारी हासिल नही करता है और इसी वजह से बेख़बर है मुकर्रर शर्त के होने की जो इबादत इसने करी वह सही नही होगी हालांकी इसे इबादत ईख़लास के साथ अदा करनी है। यह दोज़ख़ की आग का निशाना होगा जैसे की इसने वो इबादत बिलकुल भी अदा नही की उस शख़्स के ज़रिये की गई इबादत जो मुकर्रर शर्ते जानता है और उनको पूरा करता है वह सही होगा और यही इसे दोज़ख़ से बचाएगा। किसी तरह अगर इसने इसे इख़लास के साथ अदा नही किया तो इसकी इबादत कुबूल नही की जाएगी और ना ही इसके दूसरे अच्छे आमाल कुबूल किये जाएगें दोनों में से इसे कोई सवाब (आख़िरत में इनामात) नही मिलेंगे।

अल्लाह तआला ने फरमाया है कि यह उसकी उस इबादत से खुश नही होगा या उसके दूसरे अच्छे और दीनी कामों से इबादत विना इल्म और इख्लास के अदा की हुई अच्छी नही होगी। यह इबादत करने वाले को कुफ़्र, गुनेहगारी, दुखों के ख़िलाफ नही बचाएगी। बहुत ज़्यादा तादाद में ज़िन्दगी भर की इबादत करने वाले मुनाफिक मुश्रीकों के रूप में मरने के गवाह है। इबादत, इल्म और इख्लास से अदा की हुई इबादतों को ग़ैर अकाईद और गुनेहगारी से बचाऐगी और इसे दुनिया में अज़ीज़ बनाऐगी। और आख़िरत में इसकी ज़िन्दगी भी, अल्लाहु तआला माइदा सूरह की नवीं आयत में वादा फरमाता है के यह इसे दोज़ख़ के अज़ाब से बचाऐगा। और यह वाअल सूरह में भी है। अल्लाहु तआला अपने वादे का सच्चा है यह हमेशा अपने वादे पूरे करता है।

अल्लाह अपने गुलाम के ज़रिये से भी इसका इन्तिकाम लेता है।
ईल्म-ए-लादुन्नी के बग़ैर लोगों को गुलाम के ज़रिये से किया गया है।
तमाम चीज़ें ख़ालिक से ताल्लुक रखती है गुलाम के ज़रिये गाढ़ी गई है।
एक तिनका भी नही हिलेगा इलाही की महिमा के बिना।

अल्लाह मौजूद है और एक है तमाम मख़लूकात ग़ैर मौजूद थी और ग़ैर मौजूद हो जाएगीं।

हम अपने आस पास की चीज़ों को अपने एहसासे अज़ाये के ज़रीये पहचान लेते है। चीज़ें जो हमारे आज़ाये एहसास को असर करती है वह **मख़लूक** कहलाती है। **मख़लूक** जो हमारे पाँच ऐहसासों पर असर करती है उन्हें **खुसुसियत** या **सिफात** कहा जाता है, जिसके ज़रीये वह एक दूसरे में भेद करते है। रोशनी, आवाज़, पानी, हवा और काँच का समान सभी अमन से है सब मौजूद है। मख़लूक जिसका कोई आकार है, वज़न और ख़ण्ड है, दूसरे अलफाज़ो में, जो खाली जगह घेरे उसे **पदार्थ** या **माल** कहा जाता है। पदार्थ एक दूसरे से खुसुसियत या खुसुसियतों के ज़रीये मुमैयज़ (अज़ीज़) बने हैं। हवा, पानी, पत्थर और काँच हर एक माद्दे हैं। रोशनी और आवाज़ माद्दे नही है क्योंकि दोनों में से कोई भी जगह नही घेरता और वज़न भी नही होता। **ताकत या तवानाई** होने के नाते, यही वजह है कि, यह काम कर सकता है हर माद्दे तीन हालत में हो सकते है। ठोस, द्रव और गैस। ठोस माद्दे का आकार होता है द्रव और गैसे उसी का आकार ले लेती है जिसके अन्दर वह होती है। और इनका कोई अहम आकार नही होता। माद्दे जिसका आकार हो उसे **चीज़** (वस्तु) कहा जाता है। माद्दे ज़्यादातर चीज़ें होती है। मिसाल के तौर पर चाबी, पिन, चिमटा, फावड़ा और कील अलग-अलग चीज़ें है अलग-अलग आकार की। लेकिन शायद यह समान माल से बना हो, लौहा। माद्दे दो तरह के होते है: अनसार और मर्कबाद।

हर चीज़ पर हमेशा तब्दीलियाँ होती रहती है: मिसाल के तौर पर, यह हो सकता है कि यह अपनी जगह बदल दे या छोटा या बड़ा बन जाये।इसका रंग बदल सकता है।अगर यह ज़िन्दगी जी रहा है तो यह बिमार हो सकता है या मर सकता है।इन तब्दीलियों को **वाकियात** कहा जाता है।मामले में कोई बदलाव नही होता जब तक बाहरी असर ना हो।एक वाकिया जो इस मामले के सार में कुछ नही बदलता उसे **जिस्मानी वाकिआ** कहते है।कागज़ का छोटा सा टुकड़ा फाड़ना जिस्मानी वाकिया है।कुछ ताकत माद्दे को ज़रूर असर करती है जोकि एक जिस्मानी वाकिया उस माद्दे को करता है।वाकिया जो माद्दे को तशकिल या जवाहर को बदलता है उसे **क्यामियाटी** कहा जाता है।जब कागज़ का एक टुकड़ा जल कर राख़ में बदल जाता है, **क्यामियाटी वाकिया** (केमीकल इवेन्ट) अपना काम करता है।एक माद्दे को जब दूसरे माद्दे से मुत्तासिर होना होता है तो क्यामियायी वाकिआ उस माद्दे में होता है।जब दो और ज़्यादा माद्दे मिल जाते है और क्यामियायी वाकिआ हर एक में हो जाता है, उसे **क्यामियायी रद्द अमल** कहा जाता है।

माद्दों के बीच क्यामियायी रद्द अमल, ताकि, उनका एक दूसरे पर असर करना, उनकी सबसे छोटी ईकाइयों का दरमियान होना (जोकि क्यामियायी को बदलने में हिस्सा ले सकती है) उसे **जवहर** कहा जाता है।हर चीज़ जवहर के बड़े पैमाने पर बनी है।

जबकि जवहर के ढाँचे बराबर है, उनके आकार और वज़न अलग है, इसी तरह से, आज हम जवहर के **105** तराहीयत जानते है।जबकि सबसे बड़ा जवहर बहुत ही मामूली और (नन्हा) है जोकि सबसे ज़्यादा ताकतवर है और उसे तेज़ सुक्ष्मदर्शी से भी नही देखा जा सकता।जब एक **उनसुर (तत्व)** से मिलते जुलते जवहर इकट्ठा होते है।जबसे वहाँ पर **105** तरह के जवहर और **105** तरह के उनसुर है।लौहा, गनधख़, पारा, ऑक्सीजन और कार्बन हर एक

उनसुर है।जब अलग जवहर मिल कर इकट्ठा होते है **मिश्रित** होकर और मुरक्कबात हज़ारों और लाखों है।पानी, शराब, नमक और चूना सभी मुरक्कबात है।जवहर या उनसुर दो या दो से ज़्यादा परमाणु से मिल जुलकर मिश्रित होकर बने है।

सभी चीज़ें मिसाल के तौर पर पहाड़, समुंद्र सभी तरह के पौधें और जानवर **105** उनसुर (तत्वों) से मिलकर बने है।इमारतों के पत्थरों व तमाम ज़िन्दा और ग़ैर ज़िन्दा माद्दे **105** उनसुर में से है।तमाम माद्दे जवहर के एक या ज़्यादा इन **105** उनसुरों में से ही मिला जुलाकर बनाये गये है।हवा, मिट्टी, पानी, गर्मी, रोशनी, बिजली और जरासीम मुरक्काबात को अलग या माद्दे को एक दूसरे में मिलाने की वजह या फिर किसी ओर वजह से नही बदलता।इन बदलावों में जवहर उनसुर की ईकाइयाँ एक माद्दे से किसी ओर माद्दे पर हिजरत या एक माद्दे छोड़कर फारीग़ हो जाना।हम चीज़ें ग़ायब देखते है लेकिन हम अपने नज़रीये से पहचान लेते हैं, क्योंकि हम ग़लत है, इस के लिए "ग़ायब होना" या "मौजूद होना" कुछ नही है।लेकिन यह माद्दों में एक तब्दीली है; किसी चीज़ का ग़ायब हो जाना, मिसाल के तौर पर कब्र का मुर्दा बदल जाता है नए माद्दों में जैसे कि पानी, गैसे और ज़मीनी माद्दें अगर नए माद्दें जो के एक तब्दीली के ज़रीये वजूद में आते है।हमारे ऐहसास आज़ाओं को मुतासिर नही करते हम ऐहसास नही कर सकते के वह वुजूद में है इसी वजह से हम कहते है कि पूरानी चीज़ें ग़ायब हो गई हालांकि यह सिर्फ एक बदलाव हुआ हम यह भी देखते है कि सौ में से हर एक उनसुर की फितरत बदलती है और यह के हर उनसुर में जिस्मानी और कामयावी वाक़िआत होते है जब एक उनसुर दूसरे में (या अन्य में) मिलता है मिलना योणों को बनना यानी इसके जवहर इलेक्ट्रोन पाते है या खोते है और इस तरह के उनसुर मुख़्तालिफ जिस्मानी या कियामीटी ख़ुसुसियत तबदील होती है हर उनसुर के जवहर को एक मरकज़ से बनाया

होता है और छोटे ज़रात की तादाद को मुख़्तलिफ **इलेक्ट्रान** कहा जाता है जवहर के बिल्कुल बीच में मरकज़ होते है। हाइड्रोजन के अलावा तमाम उनसुर के जवहर नाभिक से मिलकर बने है। जिसे प्रोट्रोन कहा जाता है। जो सकारात्मक बिजली के साथ चार्ज किया जाता है और **न्यूट्रॉन** जोकि बिजली प्रभार नही लेती। बिजली नकारात्मक बिजली के कण है जो नाभिक के चारों तरफ घूमती है।

इलेक्ट्रोन उनकी कक्षायों में हर पल नही घूमता वह अपनी कक्षायों को बदलते है, यह **रेडियोधर्मी** उनसुर में सबूत है कि वहा बदलाव है जिसे विग्खडंन कहते है यह जवहर के नाभिक में बहुत आगे जगह लेता है, इन जवहर विग्खडंन में एक उनसुर दूसरे में बदल जाता है और इस मामले के कुछ बड़े पैमाने पर मौजूद रहता है और ताकत में बदल जाता है यह बदलाव यहूदी भौतिक विज्ञानी आईस्टीन के ज़रीये तैयार किया गया है (d– 1375 A.H (1955)] इसलिए मिश्रणों की तरह उनसुर एक से दूसरे में बदलते है।

हर माद्दे, बदलना ज़िन्दा या ग़ैर ज़िन्दा यानी एक पुराना वाला ग़ायब हो जाता है और नया वुजूद में आ जाता है। हर ज़िन्दा मख़्लूक पौधें या जानवर जो आज वजूद में है ग़ैर वुजूद हुआ करते थे, और वहाँ पर दूसरी ज़िन्दा मख़्लूक हुआ करती थी। और आने वाले कल में आज के वक़्त की मख़्लूकात नही बचेगी, और कुछ दूसरी मख़्लूकात मौजूदगी में आ जाएंगी। इस तरह यह मामला सभी ग़ैर ज़िन्दा मख़्लूक के साथ है। सभी ज़िन्दा और ग़ैर ज़िन्दा मख़्लूकात, मिसाल के तौर पर, उनसुर, लौहा, मिले हुए पत्थर, हडडी और तमाम कण हमेशा बदलते रहते है, यानी, पूराना वाला ग़ायब हो जाता है और दूसरा वुजूद में आ जाता है। जब माद्दे की ख़ुसुसियत वुजूद में आती है और उन माद्दों में जो एक जैसे है, आदमी इस बदलाव को महसूस करने में नकाबिल होने लगता है इसकी एक मिसाल फिल्म में देखी गई के माद्दे हमेशा वुजूद में है, जहाँ एक अलग तस्वीर आँखों के सामने आई चन्द मुख़्तसर

वकफों से इसको अब महसूस करने के काबिल नही है, और देखने वालों को लगता है कि एक ही तस्वीर परदे पर चलती है। जब एक कागज़ का टुकड़ा जलता है और राख बन जाता है हम कहते है कि कागज़ ग़ायब हो गया और राख वुजूद में आ गई, क्योंकि हमने इस बदलाव को मेहसूस किया। जब बर्फ पिघलती है हम कहते है कि बर्फ ग़ायब हो गई और पानी वजूद में आ गया। यह **शरह अल–अकाइद** (**sharh al–Aqaid**) किताब की शरूआत में ही लिखा है क्योंकि सभी मख़लूक अल्लाह तआला के होने को साबित करती है, सभी मख़लूकों को **आलम** कहा जाता है साथ ही इसी किस्म की मख़लूक में से हर एक तबके को एक आलम कहा जाता है मिसाल के तौर पर इन्सान के आलम फरीश्तों के आलम जानवरों के आलम ग़ैर ज़िन्दा के आलम हर एक चीज़ को एक आलम कहते है।

यह **शरह अल मवाकिफ** [सैय्यद शरीफ अली जूरानी **शराह–ए–मवाकिफ** किताब के लेखक ने शिराज में **816** (1413 A.D.) वफात पाई।] किताब के **441** वे पेज पे लिखा है आलम हादिस है यानी सबकुछ एक मख़लूक है। दूसरे लफ्ज़ो में, यह बाद में वजुद में आयी थी जबकि यह नाबूद थी। [और हमने मख़लूक के ऊपर बयान किया है के यह हमेशा एक दूसरे से वजूद में आती है] दोनों बात और माद्दे की ख़ुसुसियत हादिस है।

इस बात पर वहाँ चार अगले अकाइद किये गये है। मुसलमानों, यहुदियों, इसाईयों और आग के पूजने वालों के मुताबिक मजोसदो और माद्दे दोनों मामलों की ख़ुसुसियत हदीस है। अरस्त के मुताबिक उन जो दार्शानिक फिलोस्फर में से हैं जो इसकी पैरवी कर रहे है। दोनों मामलात और माद्दे की ख़ुसुसियत अबदी है। उन्होंने कहा था के वह कहीं बाहर से वजूद में नही आए थे और वह हमेशा वजूद में है। नई केमीस्टरी मसबत तरीके से साबित करती है कि ये बयान गलत है। एक इन्सान जो इसपे भरोसा करता है या कहता है तो

वह इस्लाम से बाहर हो जाता है और मुशारिक बन जाता है। इब्न सीना [इब्ने सीना हुसैन नें **428** [1037 A.D.] में वफात पाई।] ने और मुहम्मद फारावी [दमशक, 339 A.H. (950)] ने भी ऐसा कहा। दार्शानिकों के मुताबिक पहले की अरस्तु मामला अबदी है लेकिन खुसुसियातें हादिस है। आज ज़्यादातर सांई सदान का यकीन गलत है किसी ने नही कहा है कि यह हादिस है और वह खुसुसियातें अबदी हैं। केलीनोस इन चारों में से किसी किस्म पे भी फैसला करने में कामयाब नहीं था।

मुसलमान काफी तरीकों से साबित करते हैं कि बात और उसकी खुसुसियत हादिस है। पहला तरीका उस बात की सच्चाई की बुनयाद है और इसके सभी कण हमेशा बदल रहे है कोई भी चीज़ जो बदलती है अबदी नही हो सकती, लेकिन हादिस होती है, हर माद्दे के अमल के ज़रिये उस पूराने से वुजुद में आये हैं यह इतने पीछे नही जा सकता जितना की अबदी है इन बदलावों की शुरूआत होनी चाहिए, यानी ग़ैर मौजूद कुछ शुरूआती माद्दे बनाये जाने चाहिए। अगर ग़ैर मौजूद शुरूआती मद्दा नही बनाया गया, यानी, एक पिछले माद्दे से होने वाले माद्दे के कामयाब होने का अमल। अगर यह बहुत पीछे चला गया वहाँ जहाँ खात्मा नही, वहाँ पर एक दूसरे से वुजूद में आने की माद्दों के लिए शुरूआत नही होगी, और आज कोई माद्दे मौजूद नही होगा। आज के मौजूद माद्दे और उनकी शुरूआत एक दूसरे की सच्चाई दिखाती है कि वह शुरूआती माद्दों से गुणा किये गये है जो ग़ैर मौजूदगी से बनाए गए थे।

इसके अलावा एक पत्थर जो आसमान से गिरता है उसके बारे में यह नही कहा जा सकता कि बहुत से टुकड़ों में आयेगा, आसमान जो कभी ख़त्म नही है या फिर वक़्त से जब से इसका मुताला किया, तब, समझ में आता है के यह ग़ैर मौजूदगी से आ रहा है, और कोई चीज़ जो कही जाती है अन्तता से बिलकुल नही आनी चाहिए थी। यह कहना जहालत और बेहुदा होगा, "यह

अन्तता से आता है" इसी तरह मर्द एक दूसरे से गुणा हो रहे है वह हमेशा के लिए नही आ सकते। ज़रूरी है कि इन्हे शुरूआती मर्द से गुणा किया जाये जोकि ग़ैर-मौजूदगी से बनाया गया था।

अगर वहाँ पर पहला मर्द ग़ैर-मौजूदगी से नही बनाया गया होता और मर्द एक दूसरे से गुणा होते रहते और हमेशा के लिए आ जाते तो आज कोई मर्द मौजूद नही होता। यही मामला हूबाहू हर मख़लूक के साथ है। यह जहालत होगी और बेहुदापन होगा सांईस की उन वजहों का कहना कि यह इसलिए आया है और इसलिए चला जायेगा। वहाँ पर ग़ैर-मौजूद से कोई शुरूआती माद्दे नही बनाया गया, माद्दे या मख़लूक एक दूसरे से शूरू हो रहे है। यह बदलाव होने का हमेशा इशारा नही करते लेकिन यह ग़ैर मौजूदगी से बाहर बनता हुआ दिखाता है, यानी, यह वाजिब अल वुजूद की गुणवत्ता होता हुआ नही दिखाता लेकिन मुमकिन अल वुजूद का होता हुआ दिखाता है।

सवाल: "इस आलम को बनाने वाला खुद और इसकी खुसुसियात अवदी है जबकी खुसुसियात रचनात्मकता अवदी है आलम अवदी नही हो सकता ?"

जवाब: हम हमेशा इस सच के गवाह हैं कि वो बनाने वाला है, जोकि अवदी है, माद्दों के बदलावों और ज़र्रात के ज़रीये मुख्तालिफ मतलब या वजाहें, यानी, यह उनका सफाया करता है और उनकी जगह पर दूसरों को बनाता है वो जब भी चाहे बनाता है वह अबदी बनाने वाला है। यानी, यह हमेशा एक दूसरे से माद्दो को बनाता है। जैसे कि इसने हर आलम को बनाया, हर मद्दे और हर ज़रात कुछ मतलबों और वजाहों के ज़रीये है, तो यह जब भी चाहे इन्हे बना सकता है बिना वजह और मतलब के।

एक शख़्स जो मानता है कि मख़लूक की किस्से हादिस है वह यह भी मानेगा की वह दोबारा साफ हो जायेगी। यह मुमकिन है कि वह मख़लूकात जो ग़ैर मौजूद थी और एक वक़्त बनाई गई थी वह दोबारा ग़ैर मौजूद बन सकती है। अब हम देखते है कि बहुत से मख़लूकात के वुजूद ख़त्म हो जाते है या बदल जाते हैं हमारे अज़ाये महसूसात को मुत्तासिर करने में ग़ैर काबिल हाल बन जाते हैं।

एक मुसलमान होने के नाते यह हकीकत मानना मोमिन के लिये ज़रूरी है कि माद्दों और चीज़ें और तमाम मख़लूकात ग़ैर मौजूद से बनाई गई है और वह दोबारा ख़त्म हो जायेंगी। हम यह देख रहे है कि माद्दे वुजूद में आ रहे हैं जब कि ग़ैर मौजूद थे और दूबारा भी ख़त्म हो रहे है; यानी उनकी शक्लें और ख़ुसुसियतें ग़ायब हो रही है, जब चीज़ों का वजूद ख़त्म होता है तो उनके माद्दे ख़त्म हो जाते है लेकिन जैसे कि हमने इसके उपर समझाया यह माद्दे अबदी नही है, दोनों में से कोई एक है; अल्लाहु तआला के ज़रीये यह बहुत वक़्त पहले बनाए गए और जब क़यामत आयेगी वो इन्हे दोबारा मिटा देगा। आज हमें सांईसी जानकारी इस बात को मानने से नही रोकती। इसे न मानना यानी सांईस की बदनामी करना है और इस्लाम के ख़िलाफ दूश्मनी का प्रतीक है। इस्लाम सांईसी जानकारी रद्द नहीं करता। यह मज़हबी ईल्म को सिखाने की भूल को रद्द करता है और इबादत के फराइज़ को और ना ही सांईसी जानकारी इस्लाम का इन्कार करती है। पर फिर भी यह तज़दीक है।

क्योंकि आलम हादिस है, ज़रूरी है कि इसे बनाने वाला हो जिसने इसे ग़ैर मौजूदगी से बनाया, जबसे जैसे कि हमने इसके बारे में समझाया, कोई वाकिआ अपने आप नही हो सकता। आज हज़ारों दवाऐं और घरेलू साज़ व समान, सनाती और तिजारती में तैयार हो रहे है इनमे से ज़्यादातर सौइयों दफा परखने के बाद फिर बेहतर हिसाब से तैयार किये गये। क्या वह कहते है कि

जबकि उनके ज़रीये वुजूद में आया? नही, वह कहते है कि यह होश और दिमाग के साथ बनाये गये और उनमे से प्रत्येक बनाने वाले की ज़रूरत है। अब यह दावा करते है के लाखों माद्दें जिदां और ग़ैर जिदां से मुत्तालिक और नई नवेली इजात की गई चीज़ें और वाकिये, जिनके डाँचे अब भी ना मालूम है, इतेफाक से खुद पैदा किये गये थे क्या ये हो सकता है, अगर मुनाफिकत नही है तो, मज़बूत अड़ियल रवेये या साफ-साफ बेवकूफपन? यह ज़ाहिर है कि बस एक बनाने वाला है जो हर माद्दे को वुजूद में लाता है। और हरकत को मूमकिन बनाता है। ये बनाने वाला **वाजिब अल वुजुद** है। यानी ग़ैर वुजूद में

होने के बाद वुजूद में नही आया था। इसे ज़रूरी है के हमेशा मौजूद होना चाहिए। इसे अपनी मौजूदगी के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नही है। अगर इसे ज़रूरत नही थी हमेशा मौजूदगी की, तो यह मूमकिन अल वुजूद होता, या हदीस, आलम के तौर पर एक मख़लूक मख़लूक की तरह है, वो कुछ भी तब्दीली के ज़रीये नही बना सकती, दूसरे मख़लूक में से जो भी ख़ालिक की तरफ से पैदा किया जाता है, इस तरह मख़लूक एक लामेहदूद तादाद में आती है। अगर हम इसके बारे में हू बा हू तरीके में सोचे जैसे की हमने इन बदलावों के बारे में समझाया है के मख़लूक लामेहदूद नही हो सकती, यह समझ में आ जायेगा की मख़लूक की एक लामेहदूद तादाद नही हो सकती और ये के तख़लीक की पहल वाहिद ख़ालिद की तरफ से शुरू की गई थी। क्योंकि अगर तख़लीककार एक दूसरे से बना रहे है और उस एक के बाद अन्नतकाल वापस चला गया है, साथ में शुरूआत करने के लिए वहाँ तख़लीककार नही होता, और ना ही ख़ालिक की मौजूदगी। इसलिए पहले ग़ैर पैदा ख़ालिक तमाम मख़लूक के लिए मनफरद है। इससे पहले या इसके बाद कोई ख़ालिक नही है। ख़ालिक को पैदा नही किया गया है और यह हमेशा मौजूद है अगर इसकी मौजूदगी एक पल के लिए भी खत्म हो जाती है तो

तमाम मख़लूक भी ना मौजूद हो जायेगी। वाजिब अल वुजूद को किसी भी हवाले से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नही है। ये वो है जिसने ज़मीन बनाई, जन्नते जवहर और इस तरह एक बकायदा और महसूब हुकम बनाया इसके लिए बड़ी ताकत वाला व ज़्यादा जानकारी वाला होना चाहिए जो भी यह चाहे एक दम से बनाने के काबिल हो। और एक होना चाहिए। लेकिन इसमे कोई बदलाव नही होना चाहिए अगर इसकी ताकत लामेहदूद नही होती अगर यह ज़्यादा जानकारी वाला नही होता तो यह मख़लूकों बकायदा और मेहसूब हुकम में बनाने के काबिल नही होता अगर एक से ज़्यादा ख़ालिक होते और जब उनकी चाहत हो कुछ बनाने की तो इत्तेफाक नही होगा, लोग जिनकी ख़ुवाहिशात को वापस छोड़ दिया वह तख़लिककार नही होगे और चीज़ें जो पैदा की जायेगी तमाम मिली जुली होंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए अरबी और तुर्की अली उशी के तवसरूह कसीदत अल अमाली पढ़े [d- 575 A.H. (1180)] **कसीदत अल अमाली.**

ख़ालिक में बदलाव नही होता। दुनिया को बनाने से पहले यह वैसा ही था जैसा आज है, जैसे की इसने सबकुछ ग़ैर मौजूदगी से बनाया, इसी तरह यह हमेशा और सबकुछ अब भी बनाता है; वरना तो, कोई भी बदलाव मख़लूक को इशारा करता है और यह ग़ैर मौजूदगी से पैदा किया गया है, हमने इसके ऊपर समझाया है कि यह हमेशा मौजूद है और यह मौजूदगी कभी ख़त्म नही होगी। इसलिए इसमे कोई बदलाव नही होता। जैसे कि शूरूआत में मख़लूक को ज़रूरत पड़ी इसकी इनको बनाने में, इसी तरह इन्हे हर पल इसकी ज़रूरत है यह अकेले सबकुछ बनाता है, हर बदलाव करता है। यह सबकुछ मतलब में बनाता है ताकि आदमी जिदां और मज़हब में रह सके ताकि सबकुछ हुकुम में रहेगा, जैसे की इसने वजाहें बनाई इसी तरह यह ताकत पैदा करता है, वजाहों में असर आदमी कुछ नही बना सकता, इन्सानों के काम सिर्फ वजाहों के ज़रिये माद्दे को असर करते है।

जब भूके हो ख़ाना, जब बीमार हो दवाई लेना, मोमबत्ती की रोशनी के लिए एक माचिस को जलाना, हाइड्रोजन हासिल करने के लिए जिंक पर कुछ ऐसीड डालना चूने को मिटटी के साथ मिलाना और इनके मिश्रण को गर्मी देना सीमेंट बनाने के लिए, दुध पाने के लिए गाय को ख़िलाना, बिजली पैदा करने के लिए एक पनबिजली स्टेशन की तामिर और किसी तरह का कारख़ाना तामिर करना ये सभी काम की मिसालें ज़रिये के तौर पर है, वजाहें इस्तेमाल हो रही है। ताकि अल्लाह तआला नई चीज़ें बनाए। आदमी की तमन्ना और ताकत भी मतलब है जो की इसके ज़रिये बनाए गए। और आदमी को बनाने के अल्लाह तआला के मतलब है। अल्लाह तआला इस अदांज़ में बनाना चाहता है जैसा की यह देख़ा जाता है। ये एक जाहिलपन बेतुका लफ्ज़ है वजाहों से बे मेल है सांइस का कहना है के फला फला ने बनाया", या "हमने बनाया"।

उस अनोख़े बनाने वाले से आदमी को प्यार करना चाहिए जिसने उन्हें बनाया और ज़िन्दा करा और उनकी ज़रूरीयात की चीज़ें बनाई और भेजी। इन्हे इसका गुलाम और नौकर रहना चाहिए। क्योंकि हर मख़लूक को इबादत करनी है और इसकी इज़्ज़त और कहना मानना है। ये लम्बाई से सातवें सफे पर लिख़ा है। इसने अपने आप में ज़ाहिर कर दिया है के इसका नाम वाजिब अल वुजूद है इस परवरदीगार को इस ख़ुदा को जो की एक अल्लाह है। आदमी को हक नही है कि वह अपना नाम बदले जिससे यह अपनी पहचान करवाये। यह काम बहुत गलत, घिनौना होगा जोकि नाइन्साफी से पूरा किया जाए।

ईसाई और उनके पादरी मानते है कि तीन ख़ालिक होते है। जो बहस हमने पीछे पेश करी वो यही साबित करती है कि ख़ालिक एक है और ईसाईयों और पादरीयों की बहस मसनूअी और ग़लत है।

जब इल्म चला जाएगा, इस्लाम भी चला जाएगा,
तब इस नफरत से, जिसे हम जहालत कहते है,
हमें खुदको वसीह कौम से आज़ाद करने की कोशिश करनी चाहिए।
क्या हाल की तबाही, सलाह के लिए कम है ?
एक नया ज़लज़ला काफी बुरा होगा।
इस वक़्त सोने का मतलब है मौत, बिना किसी मुआवज़े के।
बीते हुए वक़्त ने क्या सिखाया, मुझे उम्मीद है कि तुम जानते हो।
मुल्क तबाह हो जाएंगे उनके आबाद होने से पहले !
एक नया ज़लज़ला बरदाश्त के बाहर होगा।
इस वक़्त सोने का मतलब है मौत बिना किसी मुआवज़े के !
अपने आमालों को सुधारों और साइंसी इल्म सीखों;
फौज अटोमिक बमोंऔर नेक सेनानीयौ का साथ।!
यह इस्लाम में होने चाहिए और जंग में भी !
यह दोनों मिलके एक देश को अमन की तरफ ले जाएंगे।

"सालाफीय्या"

हम बहुत शुरू में ही कहेंगे की यह किताबें अहले सुन्ना (रहमतुल्लाही तआला अलैहिम अजमाईन) के आलिमों के ज़रिये लिखी गई "सालाफीय्या" या "सालाफीय्या मसलक" के नाम में कुछ भी मिलावट न करे ये नाम जाली ख़त वे मज़हबी के ज़रिये तुर्की में फैला दिया गया है इनकी किताबों के ज़रिये जो कि मज़हबी जाहिल आदमी के ज़रिये अरबी से तुर्की में तर्जुमा करी गयी।

उनके मुताबिक

"सालाफीय्या" मसलक का नाम है जोकि अश्हरिय्या के मसलक से पहले तमाम सुन्नीयों के ज़रिये माना गया।और मातूरीदीय्या कायम किये गए।वह साहाबा और सालाफीय्या तावीईन के मानने वाले थे।सालाफीय्या मसलक तावीईन और तावाअततावीईन साहाबा का मसलक है।चार महान इमाम इस मज़हब से ताल्लुक रखते थे।पहली किताब सालाफीय्या मसलक की हिफाज़त करने के लिए थी **फिकह अल अकबर** ये अल इमाम अल अज़ाम के ज़रिये लिखी गई अल इमाम अल गहज़ाली ने अपनी किताब में **इलजामे अल अवाम अनी ला कलाम** लिखा क्योंकि सालाफिय्या मसलक की सात ज़रूरीयात थी।मुताकहीरीन की इल्म अल कलाम वह जो बाद में आए थे उनकी अल इमाम अल गहज़ली के साथ शुरूआत हुई कलाम के शुरूआती उलेमा मज़हब के मुताला किये हुए थे और इस्लामिक फिलोस्फीयों के ख़यालात इल्म अल कलाम के तरिकों में अल इमाम अल गहजली ने बदलाव किये।इन्होने इल्म अल कलाम में फिलोस्फीयाँ मोजोआत डाले इनकी तरदीद करने के नज़र से अल राज़ी और अल आमीदी ने कलाम को मिलाया और फिलोस्फी और उसकी इल्म की शाखा बनाई और अल बेदावी ने कलाम और फलसफी को नकाबिल तकसीम बनाया सालाफिय्या मसलक को मुताविहरीन के इल्म अल कलाम ने

फैलने से रोका। इब्न तैमीया और उनके मुरीद इब्न अल कायमीम अल जावज़ीय्या ने सालाफिय्या मसलक को बढ़ाने की कोशिश की जो की बाद मे दो टुकड़ों में टूट गया; शुरूआती सलाफी अल्लाहु तआला की खुसुसियतों की तफसील में नही गये ना ही नास के मुताशाविहा में। यह मामला बाद के सालाफियों के लिए काफी ध्यान देने वाला बन जाता है और बाद के सलाफी उनकी तफसीलों में दिलचस्प थे। जैसे इब्न तैमीया और इब्न अल काय्यीम अल जाउज़ीय्या शुरूआती और बाद के सालाफय्यों को कुल मिलाकर **अहल अस सुन्नत अल ख़ास्सा** कहा जाता है। कलाम के मर्द जो अहल अस सुन्ना से ताल्लुक रखते है उन्होने कुछ नास की तशरिह की, लेकिन सालाफिय्या ने इसकी मुख़ालफत की। कहना है के अल्लाह का चेहरा और इसकी चीज़ें लोगों के चेहरों और उनकी चीज़ों से अलग है, सालाफिय्या मुशब्विहा से अलग है"।

यह कहना सही नही होगा के **अल अश अरी** और **अल मातुरीदी** मसलक बाद में कायम हुए। इन दो महान इमामों ने सालाफ अस सालिहीन के ज़रिये इतिकाद और ईमान की जानकारी समझाई और इसको अलग किया। इसको गुटों में बांटा और शाय किया। और इसे नौजावानों के लिए समझने लायक बनाया। यह अल इमाम अल अशअरी इमाम अश शाफई के मुरीदों के सिलसिले में से है। और अल इमाम अल मातूरीदी का अल इमाम अल आज़म अबू हनीफा के मुरीदों के सिलसिले में अच्छा रावता था। अल अशअरी और अल मातुरीदी अपने उस्तादों से बाहर नहीं गए उन्होंने नया मसलक (आम मसलक) नहीं बनाया। इन दो और इनके उस्ताद और चारों मसलको के इमाम का एक आम मसलक था: **अहल अस सुन्नत वा-ल-जमाअत**। यह मसलक ई मान के नाम के साथ अच्छा जाना जाता है। इस टोली के लोगों का भरोसा साहावा अल इकराम का भरोसा है। तावेईन और तवे तावेईन में **फिकह अल अकबर** किताब अल इमाम अल आज़म अबू हनीफा के ज़रिये अहले सुन्ना वल जमाअत मसलक के बचाव में लिखी गई। सलाफिय्या लफ्ज़ उस किताब में

मौजूद नही है या अल इमाम अल ग़ज़ाली **इल्जाम अल अवाम अनिल कलाम** में। ये दो किताबें और **कवल अल फसल, [फिकह अल अकबर, इल्ज़ाम** और **कवल अल फस्ल** किताबें इस्तानबुल में हकीकत किताबेवी के ज़रिये पैश की गई।] एक वज़ाहत फिकहा अल अकबर किताब अहल अस सुन्ना वल जमाअत मसलक को सिखाती है और काफिरों के गुटों और फिलोसफीयों को जवाब देती है। अल इमाम अल ग़ज़ाली ने अपनी किताब **इलजाम अल अवाम** में लिखा है "मुझे बताना चाहिए के इस किताब में सलफ का मसलक सही है और दुरूस्त है। मुझे उनको समझाना चाहिए जो इस मसलक से इख्तेलाफ राऐ रखते है। के वह बिदआ को पकड़े हुए है। सलफ मज़हब का मतलब वह मसलक जो साहाबा अल इकराम और ताबेईन के ज़रिये कायम किया गया था। इस मसलक के सात लवाज़िम है। जैसे की देखा जाता है सालाफ मसलक के सात लाज़ीमात **इलजाम** किताब लिखती है ये कहना के यह लाज़िम है। सलफिय्या किताब के लिए लिखे हुए को बिगाड़ना और अल इमाम अल ग़ज़ाली को बदनाम करना जैसे की अहल अस सुन्ना वल जमाअत की तमाम किताबों में है ये सलफ और खलफ अल्फाज़ों के बाद लिखी गई "मशहादह" हिस्से पर **दुर्रूर मुखतार** किताब में फिकहा की एक बहुत कीमती किताब। साहाबा और ताबेईन के लिए सलफ एक डिगरी है। इन्हे **सलफ अस सालिहीन** भी कहा जाता है। और अहल अस सुन्ना वल जमाअत के वह उलेमा जो सलफ अस सलीहीन में कामयाब हुए उन्हें **'ख़लफ'** कहा जाता है। अल इमाम अल ग़ज़ाली अल इमाम अर राज़ी और अल इमाम अल बेदावी, जो तमाम तफसीर के उलेमा के ज़रिये सबसे बढ़कर मोहब्बत और अज़ीज रहे, यह तमाम सलफ अस सालिहीन मसलक में थे। बिदआ की टोलियाँ जो अपने खुद के समय में दिखाई दी इल्म अल कलाम फलसफे के साथ असलियत में उन्होंने अपना ईमान फलसफे पे बना लिया था। **अल मिलल वन निहाल** किताब उन काफिरों की टोली के ज़रिये कायम किये गये अकायद पर तफसीली मालूमात

फराहम करती है। अहल अस सुन्ना वल जमाअत मसलक के बचाव के दौरान उन ख़राब टोलियों के ख़िलाफ और उन काफिरों के ख़यालात को झूठा सावित किया।

इन तीन इमामों ने उनके फलसफे का बड़े पैमाने पर जवाब दिया। ये जवाब दे रहे है इसका मतलव ये नही है के फलसफे और अहल अस-सुन्ना वल जमाअत मसलक को मिला रहे है। उन्होंने कलाम की जानकारी की मुक्म्मल सफाई की। अल-बैज़ावी के काम में या **शेख ज़ादा** की तफसीर में फिलोसफीकल सोच या फिलोसफीकल तरीका नही है इसे फलसफे से अन्दर लगाया गया। इन बड़े इमामों के लिए यह काफी भोंन्डी बदनामी होगी यह कहना के इन्होने फिलोसफीकल सोच से लिया सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसकी तशरीह है। यह कलंक पहले इब्न तैमीया के ज़रिये इनकी किताब अल वासीता में अहल अस सुन्ना के उलामाओं से जोड़ा गया। आगे वह रियासत जहाँ इब्न तैमीया और इनके मुरीद इब्न अल क्य्यीम अल जावज़ीय्या ने सालाफीय्या मसलक को मज़बूत बनाने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जड़ ज़ाहिर करने के लिए जहाँ वह जो सही रास्ते पे थे और वह जो ग़लती में भटक गए थे वह एक दूसरे से अलग हो गए थे। उन दो लोगों से पहले वहाँ मसलक नही था जिसे सालाफीय्या कहा जाता हैं न ही ये सालाफीय्या लफ्ज़; वह कैसे कह सकते थे के उन्होंने मसलक वनाने की कोशिश की? उन दो से पहले, वहाँ सिर्फ एक मसलक सही था, सालाफ अस-सालीहिन का मसलक, जोकि **अहल अस सुन्ना वल जमाअत** नामित किया गया। इब्न तैमीया ने इस सही मसलक को किताबों के ज़रिये बिगाड़ने की कोशिश की और काफी बिदा अस इजाद किए। आज के बेईमान ख़यालात अल्फाज़ और काफिर, वे मज़हबी लोग और मसलक असलह इब्न तैमीया के ज़रिये इजाद कि गई सिर्फ बिदाएँ है। मुसलमानों को धोख़ा देने के हुक्म में और नौजवानों को यकीन दिलाने के लिये के उनका काफिरी रास्ता सही रास्ता था। इन काफिरों ने एक ख़तरनाक

कूटचाल तैयार की उन्होंने सलफिय्या नामक जाली "सलफ अस सालिहीन" के मियाद से बनाया। बेईमान ख़यालात और नौजवानों को अपने अलगाव में जगाया इसलिए इब्न तैमीया के विदअतें सही साबित हो सकते हैं, उन्होंने इस्लामी उल्लेमा से विदअत और फिलोसफी के धब्बे को जोड़ा; जो सलफ अस सालिहीन के वारिस है, और उनके इजाद किए नाम सालाफिय्या को इख़तेलाफ का दोष देते है; उन्होंने मुजतहिद के तौर पर इब्न तैमीया को आगे पेश किया। और सलफिय्या को दोबारा जिदां किया एक हिरो के तौर पर। असलीयत में, अहल अस-सुन्ना वल जमाअत के उलेमा (रहमतुल्लाही तआला अलैहिम अजर्माइन) जो सलफ अस सालिहीन के वारिस है, उन्होंने अहल अस सुन्ना के इतिकाद की तालिम की हिफाज़त की जो मसलक सलफ अस सालिहीन का था, और किताब में जो उन्होंने हमारे वक़्त के बारे में लिख़ा था और जो आज भी लिख़ रहे है वह बताते है कि इब्ने तैमीया अश शौकानी और सलफ अस सालिहीन के रास्ते की इख़तेलाफ राए के जैसे और मुसलमानों को बरबादी और दोज़ख़ की तरफ बहा रहे है।

वह जो किताबें पढ़ते है **अत तवस्सूल बिन-नबी वबिस-सालिहीन, उलेमा अल मुस्लिमीन वल मुख़ालीफुन, शिफा अस-सीकाम** और इसकी प्रस्तावना, **तासीर अल फुआद मिन दानासिल ईतिकाद** वह लोग महसूस करेंगे के जिन्होंने भ्रष्ठ यकीनों को इजाद किया उन्हें नया सलफिय्या कहा जाता है" मुसलमानों को बरबादी की तरफ गुमराह कर रहे हैं और इस्लाम से भटका रहे हैं।

आजकल कुछ मुहँ सलफिय्या का नाम अकसर इस्तेमाल करते है। हर मुसलमान को अच्छे से पता होना चाहिए के इस्लाम में सलफिय्या मसलक के नाम से कुछ नही है। लेकिन सिर्फ **सलफ अस सालिहीन** का मसलक है, जो की इस्लाम की दो पहली शताब्दीयों में मुसलमान थे जिनकी हदीस शरीफ में तारीफ

की गई है। इस्लाम के उलेमा जो तीसरी और चौथी शताब्दी में आए थे उन्हें **ख़लफ अस सादीकीन** कहा जाता है। इन काबिल ऐहतराम लोगों के इतिकाद को **अहल अस सुन्नत वल जमाअत का मसलक** कहा जाता है। ये भरोसे का असूल ईमान का मसलक है। ये ईमान सहाबा इकराम और तावेईन के ज़रिये कायम किया गया जो उसी में ही था। उनके ईमानों के बीच में फर्क नही था। आज ज़मीन पर ज़्यादातर मुसलमान अहल अस सुन्ना वल जमाअत के मसलक में है। विदअत के तमाम बहत्तर (72) काफिरों की टोलीयाँ इस्लाम की दूसरी शताब्दी के बाद दिखाई दी। उनमे से कुछ के बनाने वाले पहले ही से थे लेकिन ये ताबीईन के बाद था, उनकी किताबें लिखी गई और वह टोली में दिखाई दिए और अहल अस-सुन्ना वल जमाअत को झुठलाया।

आप रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अहल अस सुन्ना का ईमान लाए। सहबा इकराम ने इनके ज़रिये ईमान की तालीम हासिल की और तावेईन इज़ाम ने भी अपनी बारी में यह तालीम सहाबा इकराम से सिखी। और उनसे उनके जानशीनों ने सीखी। ऐसे अहल अल सुन्ना वल जमाअत की तालिमात हम तक पहुँची संचारण और तावातुर के ज़रीये। यह तालिम तर्क के ज़रिये पता नही लगाई जा सकती। अक़्ल इसको नही बदल सकती सिर्फ इसको समझाने में मदद कर सकती है। यानी अक़्ल ज़रूरी है इसको समझाने के लिए, महसूस करने के लिए के वह सही है और उनकी एहमीयत जानने के लिए। हदीस के तमाम आलिमों ने अहले सुन्ना वल जमाअत का ईमान मुनाकिद किया। अमाल में चारों मसलको के इमाम भी इस से थे, अल मातुरीदी और अल अशारी भी, हमारे मसलक के दो इमाम ईमान में अहले सुन्ना वल जमाअत के मसलक में थे। इन दोनों इमामों ने इस मसलक को जारी किया। वह काफिरों और घिनौने इन्सानों से इस मसलक को हमेशा बचाते रहे, जो एन्सांइट ग्रीक की फिलोसफी की दलदल में फस गया था। हालांकि वह समकालिन थे, वह अलग

जगहों पर रहते थे और सोचने का तरीका और मुजरिमों के साथ निपटना उनका अलग होता था, इस तरह बचाव का तरीका इस्तेमाल किया गया और अहले सुन्ना के इन काबिल आलिमों के ज़रिये दिये गये जवाब अलग थे। लेकिन इसका मतलब यह नही है के वह दूसरे मसलक से थे। हज़ारों लाखों अच्छे से सिखे हुए उलेमा और औलिया इन दो बड़े इमामों के बाद आते है। इनकी किताबों का मुताला किया और आम राय से कहा गया है कि यह दोनों अहले सुन्ना वल जमाअत के मसलक से ताल्लुक रखते हैं। अहले सुन्ना वल जमाअत के आलिमों ने अपने मायनें के साथ नास लिया। यानी उन्होंने आयतें और हदीस मायनें के साथ दी, और नास (तावील) से दूर नही समझाया या इनके मायनें नही बदले जब तक ज़रूरत नही थी। ऐसा करने के लिए और उन्होंने अपनी जानकारी या राय से कभी कोई बदलाव नही किया। लेकिन वह जो काफिरों की टोली से मुताल्लिक थे और ला मज़हबी ईमान और इबादत की तालीमात को बदलने के लिए नही हिचकिचाए जैसे की उन्होंने ग्रीक फिलोस्फर से सीखा था और शाम साईसंदा से, जो इस्लाम के दुश्मन थे।

उसमानीया राज, जो इस्लाम के सरपरस्त और अहल अस-सुन्ना के आमिल थे, सेवक, सदियों के सामने झुक गए, संगतराशों के ज़रिये तजवीज़ की गयी है मिश्नरीयाँ और बिट्रीश राज के ज़रिये छेड़ी हुई नापाक चाल, जिन्होंने अपनी तमाम माली ताकत जुटाई शैतानी झूठ और छलवल के साथ और वे मज़हबीयों ने मौका ले लिया। उन्होंने अहल अस-सुन्ना वल जमाअत पे हमला करने की शुरूआत कर दी और अन्दर-अन्दर से इस्लाम तबाह करना शुरू कर दिया खासकर उन मुलकों में, मिसाल के तौर पर साऊदी अरब जहाँ अहल अस-सुन्ना वल जमाअत के आलिमों को अज़ादी से बात करने की इजाज़त नही है। बहुत बड़ी सेना खत्म हुइ और वाहाबियों की मदद के ज़रिये ये हमला पूरी दुनिया में फैल गया। जैसे की यह पाकिस्तान की रिपोर्टो से समझा

जा रहा है, हिन्दुस्तान और अफरीकन देश में मज़हब के कुछ आदमी मुख्तसिर मज़हबी जानकारी के साथ जिन्हें अल्लाह का कोई डर नही है हेसीयतें दी गई और अपार्टमेन्ट, घर, इन हमलावरों के साथ देने के बदले में इन्हे दिये गये। ख़ासकर, उनको नौजवानों को धोख़ा व भरोसा तोड़ना है और उनको अहल अस सुन्ना वल जमाअत मसलक से पराया करना है उनकी ख़रीदारी करनी है जिनके घिनौने फायदें है किताबों में से एक में उन्होंने लिख़ा है मदरसे में, मुसलमान तालबाओं बच्चों को बहकाने के हुक्म में, यह कहते है, "मैने इस किताब में मज़हब की कहरता को ख़त्म करने के नज़रीये के साथ लिख़ा है और हर किसी की मदद की है अपने मज़हब में सुकून से रहने की," यह आदमी यानी मज़हब की कहरता को ख़त्म करने का हल और अहल अस-सुन्ना वल जमाअत पे हमला करने में है और अहल अस-सुन्ना वल जमाअत के आलिमों के बेईज़्ज़ती करने में है। यह चुनौतियाँ एक ख़न्जर है इस्लाम में और फिर कहता है ताकि मुसलमान सुकून से रहेंगे। इस किताब में दूसरी जगह पर, यह लिख़ा है "अगर एक शख़्स जो सोच रहा है ये इख़्तियार करने की बात सोचता है, यह दस गुना अजर व सवाब हासिल करेगा। अगर यह याद करता है यह एक सवाब हासिल करेगा।" हर किसी के मुताबिक कोई बात नही अगर यह ई साई या मुश्रिक है इसे सवाब दिया जाएगा इसके हर ख़्याल के लिये और यह दस सवाब भी पाएगा अपने सही ख़्याल के लिए! देख़ो कैसे यह हमारे नबी (सलल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) की हदीस शरीफ बदलता है और कैसे यह चाले ख़ेलता है। हदीस शरीफ यह ऐलान करती है, **"अगर एक मुजतहिद इख़्तियार करता है जैसे की यह एक आयत करिमा या हदीस शरीफ से नियम निकालता है तो इसको दस सवाब दिये जायंगे अगर यह गलत होगे इसको एक सवाब दिया जाएगा।"** हदीस शरीफ यह दिख़ाती है कि यह सवाब हर किसी को नही दिये जाएंगे , लेकिन एक इस्लामी आलिम को जो इजतिहाद के दरजे तक पहुँच चुका है। और यह इसे दिये जाएगें इसके हर ख़्याल के नही

लेकिन इसके काम के लिए नास मे से नियम निकालने के लिये। इसका काम एक इबादत है किसी और इबादत की तरह इसको सवाब दिया जाएगा।

सलफ अस-सालिहीन के वक़्त में और आलिमों के मुजतहिद, जो उनके जानशीन थे, इस्लाम की चौथी शताब्दी के ख़ातमे तक, जब भी कोई नई बात आई ज़िन्दगी के मअयार और हालात बदलने के नतीजे के बारे में आई मुजतहिद आलिमों ने रात और दिन काम किया और यह हासिल करा कि बात को किस तरह से संभाला जाए चार ज़रियों से जिसे **अल-अदील्ल अश-शरीय्या** कहा जाता है। तमाम मुसलमानों ने अपने मसलको के इमामो के निम्नलिखित कसौटी से मुताल्लिक रिवाज़ किये और वह लोग जिन्होंने ऐसा किया था उन्हें इसलिए एक या दस सवाब दिये गए। चौथी शताब्दी के बाद मुजताहिद की निम्नलिखित कसौटी पे लोग चले गए। इस पूरे वक़्त के दौरान कोई एक मुसलमान भी नुकसान या उलझन में नही था के किस तरह काम करना है। वक़्त के दौरान, कोई आलिम या मुफ्ती पढ़े-लिखे नही थे जबकि इजतिहाद की सातवें दरजे तक इसीलिए आज हमें मुसलमान से सिखना होता है जो पढ़ और समझ सके आलिमों की किताबों को चारों मसलकें में से एक के, और किताबों से जो इनके ज़रिये तर्जुमा की गई, हमारी इबादत अपनाने और रोज़मर्रा की ज़िन्दगी उसके लिए। अल्लाह तआला ने कुरान अल करीम मे हर चीज़ के नियम ज़ाहिर किये है। इसके काबिले-तारीफ नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने इन सब को समझाया है। और अहल अस-सुन्ना वल जमाअत के आलिम उन्हें सहाबा इकराम से सीखें हैं। अपनी किताब में लिखा है। यह किताब अब पूरी दुनिया में मौजूद है। हर नया अमल बस क़यामत के दिन तक दुनिया में कहीं भी हो मिसाल के तौर पर इन किताबों की किसी एक तालीमात में यह मुमकिन होना एक **मोअजज़ा** है कुरानुल करीम का और **कारामत** इस्लमिक आलिम का। लेकिन यह बहुत ज़रूरी है एक सच्चे सुन्नी

मुसलमान के लिए। अगर तुम वे मज़हबी मज़हब के आदमी से पूछते हो तो यह तम्हे गुमराह कर देगा एक मुतअज़ाद जवाब के ज़रिये फिकाह की किताबों के साथ। हमने पहले समझाया है के कैसे नौजवानों को धोख़ा दिया गया है उन वे मज़हबी वे अक़्ल लोगों के ज़रिये जो अरब के देशों में कुछ साल से ठहरे हुए है अरबी बोलनी सीख़ ली है, ज़िन्दगी की तफरीह की रेहनुमाई करने के ज़रिये से उन्होंने अपना वक़्त दूर गवाया ख़ुशियाँ और गुनाहें और उसके बाद अहल अस सुन्ना के एक दुश्मन वे मज़हबी से एक मोहरबंद कागज़ ले रहे है, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान वापस चले गए है।

नौजवान जो उनकी जाली डिगरी और उनको अरबी बोलते सुनते है वह सोचते है कि यह मज़हबी आलिम है। जबकि किसी भी तरह वह फिकह की एक किताब नही समझ सकते और वह किताबों में फिकह की तालिम का कुछ भी नही जानते। असलियत में, वह इस मज़हबी तालीम को नही मानते, वह उनको तास्सूब कहते है कि पुराने इस्लामिक आलिमों ने पूछताछ के जवाबों के ऊपर देख़ा जो उनसे फिकह की किताबों में किये गए और उन पूछताछों के जवाब दिये जो उन्हें मिले। लेकिन वे मज़हबी मज़हब का आदमी, पढ़ने के काबिल होने के नाते या फिकह की किताब को समझते हुए सवाल पूछने वाले को बातों के ज़रिये गुमराह कर देगा जो भी इसके जाहिल दिमाग और नुकसानदेह ज़ेहन में होगा और इसके दोज़ख़ में जाने की वजह बन जाएगा। यह असर है जो हमारे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया **"अच्छा आलिम इन्सानियत का सबसे अच्छा होगा। ख़राब आलिम इन्सानियत का सबसे ख़राब होगा"** यह हदीस शरीफ दिख़ाती है के अहल अस-सुन्ना वल जमाअत के आलिम इन्सानियत के सबसे अच्छे है और वे मज़हबी इन्सानियत के सबसे ख़राब है, क्योंकि पुरानी रहनुमाई लोगों को रसूलुल्लाह का पालन करने के लिए यानी जन्नत के लिए और बाद में उनकी रहनुमाई मुश्रिक सोच से की यानी दोज़ख़ के लिए।

उस्ताद इब्न ख़लीफा अलीवी, जामी अल अज़हर की इस्लामी यूनीवरसिटी के एक ग्रेजुऐट ने अपनी किताब में लिखा है **अकीदात अस सलफ वल ख़लफ:** "जैसे की अबु ज़ोहरा अपनी किताब में लिखते है **तारीख अल मज़ाहिबिल इस्लामीय्या,** कुछ लोग जिन्होंने हिजरत के बाद चौथी शताब्दी में इख़तेलाफ राय की अपने आप को **सालाफीय्यइन** कहते है। अबुल फरज़ इब्न अल जवज़ी और हनबली मसलक के दूसरे आलिम, ऐलान के ज़रिये कहते है के वह सालाफी सलफ अस सालिहीन के मानने वालों मे से नही थे लेकिन बिदआ के मालिक थे, मुजस्सिमा की टोली से ताल्लुक रखने वालों ने इस फितने को फैलने से रोका इब्न तैमीया ने सातवीं शताब्दी में इस फितने को दोबारा छेड़ा।" [इस तीन सौ चालीस पेजों की किताब में बहुत सारे बिदआ है। सलफियों और वाहाबियों के उनकी अहल अस-सुन्ना वल जमाअत के बारे में बदनामीयाँ और उनके जवाबातें तफसील में लिखे है। यह दमिशक में **1398** A.H. (1978) में प्रिटं किया गया।]

ला-मज़हबी ने 'सालाफिया' नाम अपनाया और सालफीयों के चार महान इमामों को इब्न तैमीया कहा हमारे हिसाब से यह बात सही है के इससे पहले जिस वक़्त सलफी मौजूद नही थे। वहाँ पे सलफ अस-सालिहीन मौजूद थे जिसका मसलक अहल अस-सुन्ना था। इब्न तैमीया के मुशरिकाना अकाइद वहाबीयों के लिए और दूसरे ला मज़हबी लोगों के लिए ज़रिये बन गए। इब्न तैमीया को हनबाली मज़हब में सिखाया गया था, यानी, इसे सुन्नी किया गया था। लेकिन जैसे इसने अपना इल्म बढ़ाया और फतवे के दरजे तक पहुँचा। इसने आत्मनिर्भरता की और अहल अस-सुन्ना वल जमाअत के उलेमा से बरतरी कि। इसके इल्म में इज़ाफा इसे ग़लतफेहमी के करीब लाया। वह ज़्यादा वक़्त तक हनबली मसलक में नही रहा था, क्योंकि चारों मसलको में से एक में होना ज़रूरी हैं। अहल अस-सुन्ना वल जमाअत पे यकीन हो। एक शख़्स जिसकी अहल अस-सुन्ना वल जमाअत पे यकीनात नही है वह नही कहा जा

सकता के यह हनवली मसलक से है। बे–मज़हबी हर एक मोका लेता है सुन्नी मर्दो को मज़हबी फर्ज़ में बदनाम करने का उनके अपने ही देश में उनके पास सहारा है तमाम तरह की कूटचाल का, उनकी किताबों में मुशकिल डालने का, जो पड़ा जा रहा है उससे और अहल अस–सुन्ना वल जमाअत की तालीम से जो सिख्रा जा रहा है। उससे मिसाल के तौर पर एक बे–मज़हबी शख़्स कहे के एक सच्चे आलिम के ज़िक्र से एक फार्मासिस्ट या केमीस्ट की तिजारत मज़हबी इल्म में क्या है? इसे ज़रूरी है की अपनी शाख़ में काम करे और अपनी तीजारत में मुदाख़लत न करे।" एक जाहिल और बेवकूफपन से क्या दावा है। यह सोचता है के एक सांईसदा के पास मज़हबी तालिम नही होगी। यह सच से अनजान है के मुस्लिम सांईसदा हर पल आसमानी मख़्लूक का जाऐज़ा करते है, बनाने वाले की एक दम सही ख़ुबियाँ महसूस करते है जो तख़्लीक की किताब में नुमाइश कर रहे है और मख़्लूक देख कर ना काबिलता अल्लाह तआला की लामहदुद ताकत के मुकाबले में लगातार समझा जा रहा है के अल्लाह तआला किसी चीज़ की तरह नही है और तमाम ख़ामियों से दूर है। मैक्स प्लैंक जर्मन के एक मशहूर जवहर बोतेकाशसतरी ने अपने काम में काफी अच्छी तरह से इसका इज़हार किया है **देर स्टोरम** अभी तक यह ला मज़हबी बेवकूफ है। दस्तावेज़ पर भरोसा जो इन्होने ख़ुद के जैसे एक मुश्रिक से पाया और इन की तरफ से फराहम की गई कुरसी और शायद सोने के फेंसी चीज़ों के साथ ख़ुश हो गए थे जो की विदेशों से फराहम किया गया था, मान लिया जाता है के मज़हबी मालूमात इसी का एकाधिकार है। अल्लाह तआला इस नीच इन्सान को तरक्की दे और हम सभी को। और इन प्रमाणित चोरों के मज़हब के पिजंरे से मासूम नौजवान की भी हिफाज़त फरमाए। आमीन।

असल में, कहे गए आलिम ने अपने देश की ख़िदमत की। मुहब्बत से तीस सालों से भी ज़्यादा। दवाख़ाने और क्यिामीयी इन्जीनीयरीगं के काम में अब तक एक ही वक़्त में मज़हब से तालिम ले रहा है और सात सालों से दिन

रात काम कर रहा है। एक महान आलिम के ज़रिये दिये गए इजाज़ा के साथ सम्मानित किया गया। ये सांईन्सी अज़मत और मज़हबी मालूमात के तहत कुचल दिया गया, इसने मुक्कमल तौर पर अपनी नाकामयाबी देखी। इस एहसास में इसने नौकर बनने की कोशिश की अपने एहसास की वजह से। जो इसका सबसे बड़ा ख़ौफ और परेशानी मानी जाती है, अपने डिप्लोमाओं और इजाज़ा की खुबसूरती गिरने के ज़रिये, इन मामलातों पर यह एक सत्ता है और इसकी तमाम किताबों में इसके ख़ौफ की महानताऐ ध्यान देने वाली थी। इसके पास इतनी हिम्मत नही थी के यह अपने ख़्यालात या राय लिखता अपनी किसी भी किताब में इसके हमेशा अपने जवान भाईयों को अहल अस-सुन्ना वल जमाअत के उलेमा की कीमती तहरीरों को पेश करने की कोशिश की। उन लोगों के ज़रिये तारिफ की गई जो उन्हें समझें और अरबी या फारसी से तर्जुमे के ज़रिये इसका ख़ौफ़ बढ़ा इसने बहुत सालों से किताबें लिखने के बारे में नही सोचा था। जब इसने **सवाइक- उल मुहरीका के** पहले सफे पे हदीस शरीफ देखी "**जब फितना आम हो जायेगा, वो जिसे सच पता हो उसे दूसरो को आगाह करना चाहिए। अगर वो ऐसा न करे तो उसपे अल्लाह की लानत हो।**" यह गौर करना शुरू करता है। एक तरफ जैसे की इसने अहल अस सुन्ना वल जमाअत के उलेमा की बरतरी सीखी, समझ और मज़हबी मालूमात में ज़हनी सलाहियत और उनके वक़्त की सांईसी मालूमात और उनकी इबादत और तकवे में जिद, इसने अपनी नम्रता देखी मालूमात के समुद्र के साथ जो उन महान उलेमाओं के पास थी, इसने अपनी खुद की मालूमात में सिर्फ एक कमी समझी दूसरी तरफ देखकर के कम से कम नेक लोग अहल अस सुन्ना वल जमाअत के उलेमा के ज़रिये लिखी किताबें पढ़ते और समझ सकते है और जाहिल मुशरिकों ने मज़हबी फर्ज़ के आदमी को अपने में मिला दिया है। और बेईमान और मुशरिक किताबें लिख दी, दोज़ख़ की सज़ा का खतरा हदीस शरीफ में फरमाया गया है जिसने इसे नाराज़ कर दिया इसने दुखी महसूस किया। हमदर्दी और रहमत भी

इसने महसूस की अपने प्यारे नौजवान भाइयों के लिए। इसे मजबूर किया उनकी ख़िदमत करने में, इसने तर्जुमा और अहल अस सुन्ना वल जमाअत के उलेमा की किताबों से इंतेख़ाब प्रकाशित करना शुरू किया। साथ-साथ अनगिनत मुबारक बाद के ख़त और तारीफ जो इसने हासिल की और फिर यह तनकीद और ला मज़हबी के हिस्से में बदनामी के पार आया। क्योंकि इसको कोई शक नही था अपने इख़लास सच्चाई और अपने ज़मीर पे अपने रब से, अपने आप में भरोसा करता अल्लाह तआला पे और तवस्सुल बनाता है अपने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की मुबारक रूह से और इसके सरशट बन्दों के साथ ख़ुश है वह अपनी सेवा के साथ चला गया। अल्लाह तआला हम सभी को सच्चे रास्ते पर रखे! आमीन।

महान हनफी आलिम मुहम्मद बाहीत अल-मुती'ई इजीपट में अल अज़हर यूनीवरसीटी के एक प्रोफेसर ने अपनी किताब **तासीरूल मिन दानिसिल ईतिकाद** में लिखा है:

"तमाम लोगों के नबियों 'अलैहुमुस्सलातु वसल्लाम', के पास सबसे बुलंद और मुकम्मल रूहें थी। वह गलत के तौर पर ऐसी चीज़ों से महफुज़ थे, गुनेहगरी, अनजानापान, नमकहरामी, तास्सुब, ज़िद, नफ़्स की पैरवी, शिकायत और नफरत। नबियों ने अगाह किया और समझाया जो चीज़ें अल्लाह तआला के ज़रिये उनको बताई गई। इस्लाम की, तालिमात, अहकामात और नवाही जो उनके ज़रिये पहुँचाई गई, उनमे से कोई एक भी गलत या भ्रष्ठ नही है तमाम सही है। नबियों के बाद सबसे ज़्यादा ऊँचें और काबिल लोग उनके सहाबा थे वो नबियों की पाक सोहबत में सीखे थे। उन्होंने हमेशा कहा और समझाया जो उन्होंने नबियों से सुना था। तमाम चीज़ें जो उन्होंने कही दुरूस्त हैं और यह ऊपर बताई गई बुराईयों से दूर हैं। उन्होंने एक दूसरे से कट्टरता या अड़ियल रवैये की ख़िलाफत नही की, ना ही उन्होंने अपनी नफ्स पर अमल

किया।सहाब किराम ने जैसे आयतें और हदीस समझाई और इजतीहाद की मुलाजमत की अल्लाह तआला के मज़हब को बताने की इसके बन्दों को इसकी बहुत ही अज़ीम नेमत इसकी उम्मा पर और इसकी हमदर्दी इसके महबूब नबी मुहम्मद 'अलैहिस्सलाम' के लिए।कुरान-अल-करीम यह फरमाता है की साहाबत अल इकराम काफिरों की ओर सख़्त थे लेकिन एक दूसरे के साथ नरमी और प्यार से रहते थे, ताकि वह नमाज़ लगन से अदा करते और वह जन्नत की और हर चीज़ की अल्लाह तआला से उम्मीद करते।उनके तमाम इजतिहादें, जिस पर इजमा कायम किया गया था, सही है सबको सवाब दिया गया क्योंकि हकीकत सिर्फ एक है।

सहावा किराम के बाद सबसे बुलन्द लोग वह मुसलमान हैं जिन्होंने उन्हें देखा था और उनकी सुहबत में सिखाए गए थे।उनको तावेईन कहा गया।उन्होंने साहावा किराम से उनकी मज़हबी तालीम हासिल की।तावेईन के बाद वह बुलन्द मुसलमान लोग जिन्होंने तावेईन को देखा और उनकी सुहबत में सिखाए गए उन्हें **तबे-तावेईन** कहा गया।उनके बाद उन लोगों में से क़यामत तक के लिये शताब्दीयों में आ रहे है, सबसे बुलन्द और उम्दा वह है जिन्होंने खुद को इनमें अपनाया उनकी तालीम सीखी और उसपे अमल किया।उन मर्दो में मज़हबी अधिकार के साथ सलफ अस सालिहीन के बाद आते हैं, एक समझदार और ईमानदार इंसान जिसके अल्फाज़ और आमाल रसूलुल्लाह के तालीम और सलफ अस सालिहीन के मुताबिक है।वह आमाल और अकाइद में उनके रास्ते से कभी नही हटेगा, जो इस्लाम की हदों से ज़्यादा नही है वह दूसरो के बदनामियों में नही डरेगा, यह उनकी गुमराही पे नही मरेगा।यह जाहिल के अल्फाज़ नही सुनेगा।यह अपनी अक़्ल इस्तेमाल करेगा और मुजताहीद इमामों के चारों मसलकों से बाहर नही जाएगा।मुसलमानों को ज़रूर ही इस तरह का एक आलिम ढूढँना चाहिए, उस से पूछे और सिखे जो वह नही

जानते, और हर चीज़ में जो वह करते है इसकी सलाह पे अमल करे क्योंकि एक आलिम इसकी सलाहियत में जानेगा और लोगों को रूहानी दवाएं बताएगा जो कि अल्लाह तआला ने अपने बन्दों को गुनेहगारी से बचाने और सही तरीके से काम करने के लिए बनाई है। ताकि यह रूह के लिए उपचार हो। यह मनरोगीयों और बेवकूफों का इलाज करे, यह आलिम अपने हर एक लफ्ज़ में इस्लाम पर अम्ल करेगा, इसकी हर कार्यवाही और हर यकीन व सोच-समझ हमेशा सही रहेगी। यह हर सवाल का जवाब सही देगा अल्लाहु तआला इसकी हर कार्यवाही पसन्द करगें। अल्लाह तआला उनको रहनुमाई देंगे जो इसकी मुहब्बत के रास्तों की तलब करेगें।

अल्लाह तआला ईमान वालों को बचाएंगे और उनको भी जो ईमान की ज़रूरयात को पूरा करते है। ज़ुल्म और परेशानियों के ख़िलाफ यह उनको नूर हासिल करने लायक बनाएगा। हर चीज़ में जो यह करते है खुशियाँ और नजात वह आराम और राहत में होगा। क़यामत के दिन वह नबियों सिद्दिकों शहीदों और सालिह वक़्त मुसलमानों के साथ होगें। कोई फर्क नही कौनसी शताब्दी में, अगर एक मर्द मज़हबी पद के साथ अपने नबी और साहाबा के फरमानात पर अमल नही करता, अगर इसके अल्फाज़, आमालात और अकाइद उनकी तालिमीयत के साथ राज़ी नही होते, अगर यह इस्लाम की हदो से ज़्यादा अपनी खुद की सोच पर अमल करता है और अगर यह उन सांइसों में चारों मसलकों को तजावज़ करता है जोकि यह खुद नही समझ सका तो यह आदमी एक मज़हबी ओहदे वाला भ्रष्ठ करार किया जाऐगा। अल्लाहु तआला ने इसका दिल सील बंद कर दिया है। इसकी आँखें सही रास्ता नही देख सकती इसके कान सही लफ्ज़ नही सुन सकते। आख़िरत में इसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब होगा। अल्लाह तआला इसे पसन्द नहीं करते इस तरह के लोग नबियों के दुश्मन है। यह सोचते है कि यह सही रास्ते पर है। वह अपना बरताव पसन्द करते है। मगर यह शैतान पर अमल करने वाले है। उनमें से बहुत कम होश में

आते है और दोबारा से सही रास्ता शुरू करते है। हर चीज़ जो वह कहते है ख़ुशगवार या इस्तेमाल लायक लगती है, लेकिन वह जो सोचते है और पसन्द करते है तमाम बुराईयाँ है। वह बेवकूफों को धोखा देते है और उनकी शिर्क और तबाही की तरफ रहनुमाई करते है। उनके अल्फाज़ बर्फ की तरह रोशन और बेदाग लगते थे लेकिन सूरज की सच्चाई की तरफ ज़ाहिर होते ही वह पिघल जाते है। यह बुरे आदमी मज़हबी पदों के साथ जिनका दिल काले हो गये है और अल्लाह तआला के ज़रिये सील बंद हो गये है, उनको अहल-अल-विदआ या बे मज़हबी आदमी कहा जाता है। यह वह लोग है जिनके अकाइद और अमाल कुरानुल करीम के मुताबिक नहीं हैं, हदीस शरीफ के मुताबिक या इजमा अल उम्मा के सही रास्ते से ख़ुद हट गए हैं, उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा गुमराही में तबाह कर दिया है। जो उनपे अमल करते है दोज़ख़ में जाएगें। सलफ अस सालिहीन के वक़्त में ऐसे काफी तरह के मुशरिक थे और मज़हबी अधिकरियों में से जो उनके बाद आए थे। उनकी मुसलमानों में मौजूदगी गोश्त के सड़ने या (कैंसर) जैसी है। जिस्म के एक हिस्से में जब तक बीमारी दूर की जाये तब तक दुरूस्त हिस्से तबाही से नही बच सकते। यह उन लोगों की तरह है जो एक सक्रामक बीमारी से प्रभावित होते है। जिनका उन के साथ राबता है वह नुकसान उठाएंगे ज़रूरी है के हम उनसे दूर रहे ताकि उनके ज़रिये से हम नुकसान नही उठाए।

मज़हबी पद का भ्रष्ठ काफिर आदमी इब्न तैमीया सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है इसकी किताब में ख़ास तौर पर **अल वासिता** में यह इज्मा अल मुसलिमीन के साथ असहमत है, कुरानुल करीम और हदीस के साफ फरमानो की मुख़ालफत की है और सलफ अस सालिहीन के रास्ते पे अमल नही किया। अपने ख़राब दिमाग और भ्रष्ठ ख़्यालों पे अमल करते हुए यह मुशरिकी में भटक गया। इसके पास बहुत जानकारी थी। अल्लाह तआला ने इसकी जानकारी को तबाही और मुशरिक की वजह बना दी। इसने अपनी नफ्स की

ख़्वाहिशों पे अम्ल किया। इसने अपने गलत और मुशरिकाना ख़्यालातों की सच के नाम से फैलाने की कोशिश की।

बहुत बड़े आलिम इब्न हजूर अल मक्की (रहमतुल्लाही तआला अलैहि) ने अपनी किताब में फतवा अल हदीसिय्या मे लिखा है: "अल्लाह तआला ने इब्न तैमीया की भूल मुशरिक और तबाही बना दी। इसने इसे अंधा और बेहरा बना दिया। बहुत से आलिम ने बताया कि इसके आमाल भ्रष्ट थे और इसके अल्फाज़ झुठे थे और इन्होने इसे दस्तावेज़ात के साथ साबित किया। वह जो बहुत बड़े आलिम अबु हसन अस-सुबकी इनके बेटे ताज उद्दीन अस सुबकी और इमाम अल इज़ इब्न जामा'आ की किताबें पढ़ते है, और वह जिन्होंने बयानात दिए हैं उनका मुताला किया और इनके वक़्त में रहने वाले शाफी मालिकी और हनफी उलेमा के ज़रिये इस के जवाब में लिखा गया कि हम अच्छी तरह से देखेगे कि हम सही है। तैमीया ने तसव्वुफ के उलेमा को बदनाम किया उनपे नापाकी डाली और कलंक लगाये। और तो और यह हज़रत उमर और हज़रत अली पे हमला करने से नही हिचकिचाए जोकी इस्लाम के मेहराबीपत्थर थे। इसके अल्फाज़ और नियम की मर्यादा पैमाइश के ऊपर से बेहते है और इसने खड़ी चट्टान पे भी तीर फेक दिया। इस काफिर और बेवकूफ ने सही रास्ते के उलेमा को कलंकित कर दिया बिदआ के हामिल के जैसे।

इसने कहा ग्रीक फिलोस्फर के भ्रष्ठ ख़्यालात पसन्द के लायक नही है इस्लाम के साथ तसव्वुफ के बहुत बड़े आदमी की किताबों में रखे गए, और इसे अपने मुशरिक ख़्यालातों के साथ साबित करने की कोशिश की। नौजवान आदमी जो सच्चाई नही जानते शायद इसके उत्साही धोखेबाज़ अल्फाज़ों के ज़रिये गुमराह हो जाए मिसाल के तौर पर, इसने कहा:

तसव्वुफ के आदमी कहते है कि उन्होंने लोह अल मेहफूज़ [लोह अल मेहफुज़ के बारे में तफसीली जानकारी के लिए **सआदते अबदिया** (iii) में **36**वा बाब देखे।] को देखा कुछ फिलोस्फर इब्न सीना के जैसे इसे अन नफ्स अल फालाकीय्या कहते है।

वह कहते है कि जब आदमी की रूह खात्मे तक पहुँचती है रूह अन नफ्स अल फलकिय्या या अल अक़्ल अल फल के साथ सोने या जागने के दौरान एकजूट हो जाती है और जब किसी शख़्स की रूह इन दोनों के साथ एक जुट होती है जोकि दुनिया में हर चीज़ के होने की वजह है, यह उनमे चीज़ों की मौजूदगी की माल मायत बन जाता है। यह ग्रीक फिलोस्फर के ज़रिये नही कहे गए थे: यह इब्न सीना और इनके जैसे के ज़रिये कहे गए थे जो बाद में आए थे। इमाम अबु हामिद अल गज़ाली मुहियुद्दीन इब्न अल अराबी अंदलुसी फिलोस्फर और कुतुबउद्दीन मुहम्मद इब्न सआबीन ने इस तरह के बयानात बनाए।

यह फिलोस्फरों के बयानात है इस तरह की चीज़ें इस्लाम में मौजूद नहीं हैं। इन अल्फाज़ों के साथ यह सही रास्ते से हट गए। यह मुलहिद बन गए इस तरह के मुलहिद को शीया, इस्लामियत, करामिती और बातिनी कहते है। उन्होंने अहल अस सुन्ना वल जमाअत के उलेमां और हदीस शरीफ के रास्ते पर अमल करना छोड़ दिया उन तसव्वुफ के सुन्नी आदमियों के ज़रिये जैसे फज़ैलु इब्न इयाद।

एक तरफ फिलोस्फी में डुबकी लगाने के दौरान उन्होंने मुताज़ीला और करीमिया के जैसी टोलियों के ख़िलाफ जद्दो जेहद किया और दूसरी तरफ कहा कि तसव्वुफ के आदमी की तीन टोलियाँ है: पहली टोली हदीस और सुन्ना की मानने वाली है, दूसरी टोली मुशारिक है कुरामिय्या के जैसे, तीसरी टोली **इखवानु अस सफा** की किताबों और अबुल हय्यान के अलफाज़ों के

मानने वाले है। इब्न अल अराबी और इब्न सआबीन और फिलोस्फर की तरह बयानात अपनाने वाले है, और उनको तस्वुफ के आदमी के बयानात बनाया गया, इब्न सीना की किताब **आख़िर अल-इशारत 'आला मकामिल आरिफीन** में इस तरह के काफी बयानात शामिल हैं। अपनी कुछ किताबों में अल इमाम अल गज़ाली ने भी इस तरह की कुछ चीज़ें कही है जैसे के **अल-किताब अल-मदनून** और **मिशकात अल-अनवार**। हकीकत में, इसके दोस्त अबू बकर इब्न अल-अराबी ने इसे बचाने की कोशिश की यह कहने के ज़रिये के इसने फिलोस्फी से लिया था, लेकिन यह नही कर सका। दूसरी तरफ अल-इमाम अल गज़ाली ने कहा की फिलोस्फर काफिर थे। अपनी ज़िन्दगी की आख़िर की तरफ इसने अल बुख़ारी की **सहीह** पढ़ी। कुछ लोग कहते है के जो इसने ख़्यालात लिखे थे इसने इसको छोड़ने को तैयार कराया। कुछ दूसरे लोग कहते है कि वह बयानात अल-इमाम अल-गज़ाली पे बदनामी लगाना है। अल-इमाम अल गज़ाली के इस सिलसिले में बहुत से बयानात है। मुहम्मद मज़ारी एक मालिकी तालिमयाफता, सिसिली में तुरतूशी एक अंदलूसी आलिम, इब्न अल-जावी, इब्न उक़ैल और दूसरों ने बहुत सी चीज़ें कही।

इब्न तैमीया के बारे में ऊपर लिखी हुई बातें अहल अल सुन्ना के बारे में साफ-साफ बीमार ख़्यालात दिखाती हैं। इसने इस तरह के सहाबा अल इकराम के सबसे अच्छों पर कलंक लगाए। इसने मुशरिक के तौर पर सबसे ज़्यादा अहले सुन्ना वल जमाअत के उल्लेमाओं को कलंकित किया। इस दौरान, जैसे की इसने महान वली और **कुतूब अल आरीफीन** हज़रत अबू हसन अश शहदीली को भारी बदनाम किया इसकी किताब **हिज़ब अल केबीर** और **हिज़ब अल बख़र** की वजह से और तस्वुफ के काबिल आदमीयों पे गन्दे कलंक डाले जैसे मुहीउद्धीन इब्न अल अरबी, उमर इब्न अल फरीद, इब्न साबईन और हल्लाज हुसैन इब्न मनसूर। इनके वक़्त में उलेमा ने एक मत से फरमाये के ये

एक गुनेहगार और एक मुश्रीक है। असलियत में वहाँ पर ये बताते हुए जिन लोगों ने फतवा जारी किया वह काफिर थे। [इस्लाम के बहुत बड़े आलिम अबद अल गहानी अन नाबुलूसी ने तसव्वुफ के इन बेहतरीन नामों को अपनी **अल हकीकत अन नादरीया** किताब में **363** वें और **373** वें पन्नों पर लिखा और शामिल किया के वह औलिया थे और उन लोगों में से जिन्होंने बुरी बात की वह जाहिल और अनजान थे।] इब्न तैमिया को **705** A.H. (1305) में लिखा गया एक ख़त पढ़ते है: ऐ मेरे मुसलमान भाई कौन इस वक़्त अपने आप को एक बहुत बड़ा आलिम और इमाम समझता है। मैं तुम्हे अल्लाह के ख़ातिर प्यार करता था और मैं उन उलेमां को ना पसंद करता था जो तुम्हारे ख़िलाफ थे। लेकिन तुम्हारे ना मुनासिब प्यार के अल्फाज़ों को सुनने से में उलझन में आ गया हूँ। क्या एक ईमानदार इंसान शक करता है के जब सूर्यास्त होता है तो रात की शुरूआत होती है? तुमने कहा था की तुम सही रास्ते पर थे और यह के तुम अल अमर बिल मारूफ व नहयि अनिल-मुनकर कर रहे थे। अल्लाह तआला जानता है कि तुम्हारी क्या मकसद और नीयत है। लेकिन एक बार इसके आमाल से इसका इख़्लास समझा जाता है। तुम्हारे आमाल ने तुम्हारे अल्फाज़ों से बंद कवर को फाड़ दिया है। उन लोगों के ज़रिये धोखा दिया गया जो अपनी नफ्स पर अमल करते हैं और जिनके अल्फाज़ भरोसे के काबिल नहीं हैं। तुमने सिर्फ उनको बदनाम ही नही किया जो तुम्हारे वक़्त में रह रहे है लेकिन काफिरों की तरह मरहुमों को भी कलंकित किया है। सलफ अस सालिहीन के जानशीनों पर हमले से ग़ैर मुतमईन हो, तुमने ख़ास तौर पर महान सहावा किराम को बदनाम कर दिया है। तुम सोच भी नही सकते के तुम क़यामत के दिन किस हाल में होगें जब वो महान लोग अपने हुकूक के लिए पूछेगें? सालिहीय्या शहर में जामी अल-जबल के मीनबर पर, तुमने कहा की हज़रत उमर (रज़ि-अल्लाहु तआला अन्हु) के कुछ गलत बयानात और तबाहियाँ थी। क्या तबाहियाँ थी? जो इस तरह की तबाहियाँ तुम्हे सलफ अस

सालिहीन के ज़रिये बताई गई थी? तुम कहते हो कि हज़रत (रज़ि-अल्लाहु तआला अन्हु) की तीन सौ से ज़्यादा गलतियाँ थी। अगर यह हज़रत अली के लिए सच होता तब तुम्हारे पास एक सही लफ्ज़ होता? अब में तुम्हारे ख़िलाफ काम करने की शुरूआत करता हूँ। मुझे चाहिए की तुम्हारे गन्दे काम के ख़िलाफ मुसलमानों को बचाने की कोशिश करू, क्योंकि तुमने सेलाब की पैमाईश पार कर दी है तुम्हारी सताईश तमाम ज़िन्दा और मुर्दा तक पहुँच गई है। मोमिनो को तुम्हारी बुराई से दूर रखना ज़रूरी है।

"ताजउद्दीन अस-सुबकी ने मामलात दर्ज किये जिन पर इब्न तैमिय्या को सलफ अस सालिहीन के साथ असहमती थी जो निम्नलिखित है:

1. इसने कहा - तलाक (जैसे कि इस्लाम के ज़रिये हुक्म दिया गया है) अगर किसी हाल में यह होती है तो ज़रूरी है कि कसम का कफ्फारा अदा किया जाए (जो अदा किया गया था उसके बराबर) वरना असलियत में नही होती। इस्लामिक उलेमां में इससे पहले ऐसा कोई नही आया है जिसने यह कहा है कि कफ्फारा अदा किया जाएगा।

2. इसने कहा - के एक हैज़ (मासिक धर्म) होती हुई औरत को दी गई तलाक असलियत में नही होती।

3. इसने कहा - यह ज़रूरी नही है के जानबूझ कर छूटी हुई नमाज़ के लिए कज़ा पढ़ी जाए।

4. इसने कहा - एक हाएज़ा औरत के लिए यह मुबाह (जायज़) है कि काबे का तवाफ करे। (अगर वह करती है) उसको कफ्फारा अदा नही करना होगा।

5. इसने कहा - तीन तलाकों के नाम में दी गई तलाक तो भी एक तलाक है ऐसा कहने से पहले इसने कई सालों से बार-बार कहा के इजमा अल मुस्लिमीन ऐसी नही थी।

6. इसने कहा - इस्लाम से ग़ैर मुताविक टैक्स उन लोगों के लिए हलाल है जो इसका तकाज़ा करते हो।

7. इसने कहा - जब तिजारत के तमाम टेक्स इकट्ठा हो जाते है, वह ज़कात के जैसे हो जाते है चाहे उनका ज़कात के लिए इरादा ना हो।

8. इसने कहा - पानी नजिस नही होता जब कोई चूहा या कोई और इसमें मर जाता है।

9. इसने कहा - एक शख़्स के लिए जायज़ होगा रात को बिना गुस्ल किये जो जनाबत की हालत में है नफली नमाज़ अदा करे।

10. इसने कहा – **वकिफ** (जो शख़्स नेक बुनीयाद पर जायदाद वक्फ करे) के ज़रिये किये गये मुकर्रर शराइत के नही माना जाएगा।

11. इसने कहा - एक शख़्स जो इजमा अल उम्मा से असहमत है वो एक काफिर या एक गुनेहगार नही बनता।

12. इसने कहा - अल्लाहु तआला महल्ला ए हवादिस है और मिलकर बनने वाले ज़रात से बना है।

13. इसने कहा - कुरानुल करीम, (जवाहर, शख़्स) अल्लाहु तआला की धात से बनाया गया है।

14. इसने कहा - आलम यानी तमाम मख़लूक़ात अपनी किस्मों के साथ अबदी है।

15. इसने कहा - अल्लाहु तआला को अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए।

16. इसने कहा - अल्लाहु तआला का जिस्म है और दिशाँए है यह अपनी जगह बदलता है।

17. इसने कहा - जहन्नम अबदी नही है यह आख़िर में बाहर जाएगी।

18. इसने कहा - इसने यह असलियत मानने से मना कर दिया के नबियाँ मासूम है।

19. इसने कहा - रसूलुल्लाह (सलल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) दूसरे लोगों से कोई अलग नही है यह जायज़ नही है के इनकी शफाअत के ज़रिये इबादत की जाये।

20. इसने कहा - रसूलुल्लाह (सलल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) की ज़ियारत की नीयत से मदीना जाना गुनाह है।

21. इसने यह भी कहा - के शफा (शफाअत) मांगने के लिए वहाँ जाना हराम है।

22. इसने कहा - **तौरात** और **अल-इनजील** किताबों में अल्फाज़ों को नही बदला गया। उन्होंने मतलबों को बदल दिया।

कुछ उलेमा कहते है कि ऊपर लिखे हुए ज़्यादातर बयानात इब्न तैमीया से ताल्लुक नही रखते, लेकिन कोई भी नही है जिसने इसके कहने से

इन्कार किया है के अल्लाहु तआला की हिदायत थी और यह ज़रात से मिलकर बना था। किसी तरह यह आम सहमति से ऐलान किया गया के वह जलाला और दियाना के इल्म में धनी था। एक शख़्स जिसके पास फिकह, इल्म और इंसाफ है वो एक मामले की वजह ज़रूर ध्यान में रखते हुए और फिर दिमाग के साथ इसके बारे में फैसला लेता है। ख़ास तौर पर, मुसलमानों का फैसला ग़ैर ईमान पे या इरतिदाद या मुशरिक या इसे ज़रूरी है कि ज़रूरतों को हर लम्हे मारता हो तबसरे और बिलकुल एहतियात से।

हाल में इब्न तैमीया की नक्ल करना फेशन बन गया है। वह अपनी मुशरिकाना तहरीरों की हिफाज़त कर रहे हैं और अपनी किताबों को दोबारा पैश कर रहे है ख़ास तौर पर इनकी **अल-वासिता** किताब कुरानुल करीम, हदीस शरीफ और इज्मा अल-मुसलिमीन के लिए शुरूआत से आख़िर तक इनके बेचैन ख़्यालातों से भरी हुई है। यह पाठकों के दरमियान अज़ीम फितने और भाईयों के बीच दुश्मनी की वजह हैं। हिन्दुस्तान में वहाबियाँ और वह मज़हबी जाहिल आदमी पकड़े गये थे। दूसरे मुस्लिम देशों में इब्न तैमीया का एक झंडा बना दिया गया है अपने आप के लिए और उनको इस तरह के नाम दे दिये गये है जैसे अज़ीम मुजतहिद और शेख़ अल इस्लाम। वह इसकी मुश्रिकाना ख़्यालात को भ्रष्ट तेहरीरों के भरोसे और ईमान के नाम से गले लगाते है। इस मौजूदा ख़ौफनाकी को रोकने के लिए जो मुसलमानों को गुटों के करीब लाता है। और इस्लाम को अन्दर से तबाह करता है, बहुत ज़रूरी है कि हम अहले सुन्ना वल जमाअत के उलेमां के ज़रिये लिखी कीमती किताबों को पढ़ें जो इन मुशरिकों के बयान को दस्तावेज़ों के साथ गलत सावित करती है। इस साहित्य के दरमियान अरबी किताब **शिफा अस-सिकाम फी ज़ियारअति खैरिल-अनाम** जो की अज़ीम इमाम और बहुत अच्छे सिखे हुए आलिम ताकी अद-दीन अस-सुबकी (रहमतुल्लाह तआला अलैहि) के ज़रिये लिखी गई, इब्न

तैमीया के मुशरिकाना ख़्यालातों को तबाह करती है। इसके गुट को ख़त्म करती है और इसके अड़ियल रवैये को उजागर करती है यह इसके बुरे इरादों को और गलत अकाईद को फैलने से रोकती है।

शब्दावली

तस्वुफ से जुड़ी अलफाज को अहमद अल फारूखी अस सरहिन्दी से सबसे अच्छा सीखा जा सकता है।

अदिल्लाये अशरिया ः इस्लाम के चार स्रोत ः कुरान अल करीम **हदीस शरीफ़ इज्मा उल उम्मा** और **कियास उल फुकाहा।**

अहल अल बैत ः (उलेमा के ज़रिये) हुज़ूर 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' के सबसे ज़्यादा नज़दीकी रिश्तेदार और दामाद हज़रत अली, आपकी बेटी फातिमा, आपके नवासे हसन और हुसैन 'रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम'।

अऐम्मात अल मज़ाहीब ः इमाम अल मज़ाहब की जमाअ।

आमीन (अल्लाह तआला से) "मेरी दुआ कुबूल हो।"

अम्र बिल मारूफ (व नहय अनिल मुन्कर)ः अल्लाह तआला का हुक्म सिखाने का फ़र्ज़।

अन्सार ः मदीना के मुसलमान जिन्होंने मक्का फतेह करने से पहले इस्लाम को कुवत दी।

अकायद ः यकीन, भरोसा।

अराफात ः मक्का के उत्तरी इलाके में **24** किलोमीटर में खुला मैदान।

अरश ः जहाँ आसमानों की हद ख़त्म हो जाती है वहाँ सातवे आसमान पर अरश है और एक कुर्सी है जो सातवे असमान के बाहर और अरश के अन्दर है।

असहाबे कहफ ः सात ईमान वाले लोग जिन्होंने ऊँचा मुकाम हासिल किया जब वो ईमान के खो जाने के डर से अपनी ज़मीन जिसपर काफिरों ने हमला कर दिया था छोड़कर एक गुफा में चले गये।

बासमला ः अरबी की बिस्मिल्लाहिर्रेहमानिर्रहीम अर्थात शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है।

बातिनी ः बातिनिया फिरके के मानने वाले।

फज़ीला-वसीला ः जन्नत में दो सबसे ऊँचें मकाम।

फाकीह ः फिक़ के बड़े आलिम।

फर्ज़ ः कोई काम या चीज़ जो अल्लाह तआला ने कुरआने करीम में फरमाया है जिसको करना बहुत ज़रूरी है।

फतवा ः **1** इजतिहाद किसी मुजतहिद का **2** किसी मुफति का फिकह की किताबों से निकाला गया नतीजा के दिखाई गई चीज़ जाईज़ है या नही, किसी मज़हबी सवाल का इस्लामी आलिमों के ज़रिये जवाब।

फिकह ः वो इल्म जो मुसलमानों को बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नही करना चाहिए।**इबादत व आमाल**

फितना ः किसी ऐसी बात को इतना फैलाना जिससे मुसलमान को और इस्लाम को नुकसान पहुँचे।

गुस्ल ः **फिकह्** से बताये हुए तरीके से पूरे जिस्म का धोना।

हदीस ः हुज़ूर पाक ने जिस चीज़ को फरमाया या कहा।

अल हदीस अश शरीफ सारी हदीसों को कहते है इल्म अल हदीस हदीस अश शरीफ की किताबें।

हलाल ः काम या चीज़ जो इस्लाम में जाईज़ हो।

हनफी ः अबू हनीफा के ज़रिए स्थापित मसलक।

हनबली ः इमाम अहमद इब्ने हनबल के ज़रिए स्थापित मसलक।

हराम ः काम या चीज़ जो इस्लाम में मना हो।

हिजाज़ ः अरब का वो इलाका जहाँ पर मक्का और मदीना है।

इज्मा (उल उम्मा अल मुस्लीमीन) ः **सहाबा-ए-किराम** और **ताबिईनों** के एक जैसे काम या एक राये किसी मसले पर।

इजतिहाद ः कुरआन की आयतों और हदीसों में छपे हुए मतलबों को सही समझना।

इबाहतीस ः वो मसलन वहाबी जो कहते है कि मुसलमानों को मारना या ज़ब्त **हलाल** है।

इख्लास ः सिर्फ **अल्लाह तआला** की रज़ा के लिए काम करना।

इल्म ः ज्ञान और सांइस ईल्मे हाल इस्लामिक तालिम जो हर मुसलमान को सीखनी चाहिए इल्मो उसूलिल फिकह और कलाम।

इमाम ः दानिशवर आलिम।

इन्शाअल्लाह ः अगर अल्लाह ने चाहा तो।

इस्तिग़फार ः अल्लाह तआला से माफी मांगना।

जलाला ः अज़मत।

जामा ः मस्जिद में जमा हुए लोगों ने हुजुम को जामा कहते है।

जुनुब ः मुसलमान की वो हालत जिसमे उसे गुस्ल की ज़रूरत हो।

काबा ः मक्का शहर में अज़ीम मस्जिद में बनी हुई ईमारत।

कलिमात ः लफ्ज़ या जुम्ले।

करीम ः दयालु।

खुतबा ः जुमे और ईद की नमाज़ से पहले दिए जाने को बयान को खुतवा कहते है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ अरबी में दिया जाता है।

कुर्सी ः **अर्श** को देखे।

मदीना मुनव्वरा ः नुरानी शहर मदीना।

महशर ः आख़िरत।

मक्का मुकर्रमा ः मक्का का इज़्ज़तवख़्श शहर।

मकरूह ः जो चीज़े हुज़ूर पाक ने ना पसन्दीदा फरमाई।

मालिकी ः इमाम मालिक के मानने वालों को मालिकी कहते है।

मनदुब ः एक ऐसा काम जिसे करने से सवाब मिलता हो पर ना पसंद करने या ना करने से कोई गुनाह नही होता।

मारिफा ः अल्लाह के बारे में इल्म इल्मदार इन्सान और ख़ासियत जिसने औलियायो के दिलों को मुतासिर किया।

मीलादी ः ईसाईयत ज़माने का ग्रेगोरियन कैलन्डर से।

मिनबर ः मस्जिद में सिढ़ीयों से बनी ऊँची जगह जहाँ खड़ा होकर **खुत्बा** पढ़ा जाता है।

मुआमिलात ः **फिक्** का एक हिस्सा।

मुबाह ः जिसका ना हुकुम हो और ना मना हो जिसकी इजाज़त हो।

मुदररिस ः मदरसे के उस्ताद।

मुफस्सिर ः कुरान करीम की तफसीर करने वाला आलिम।

मुफती ः वो आलिम जिसे फतवा देने का हक है।

मुहाजिरीन ः वो मक्का के लोग जिन्होंने इस्लाम को सराहा मक्का के फतह होने से पहले।

मुजाहिद ः इस्लाम को कुवत देने वाले और जान गंवाने वाले लोग।

मूजीज़ा ः अल्लाहु ताअला का नबी के ज़रिये करीशमा ।

मुजताहिद़ ः महान आलिम. इजतेहाद. मुजताहिद इमाम. मुजताहिद मुफती।

मुनाफिक ः मुसलमान के भेस में ग़ैर मुस्लिम।

मुरशिद ः रहबर।

मुताशाबिह ः आयात या हदीस जो आम इंसानी शख़्स की अक़्ल के मानिन्द ना हो उसमें कोई छुपा हुआ इल्म हो।

मुशाबिहा ः वो जो यह मानते है कि अल्लाह तआला माद्दे से बने है।

नजिस ः मज़हबी नापाक शय।

नफस ः एक इंसान के अन्दर की वो ताकत जो उसे हराम करने पर मजबूर करती है।

नस ः **आयत** या **हदीस।**

कज़ा ः इबादत जो उसके मुकर्रर वक़्त पर न पढ़ा जाना।

किबला ः नमाज़ पढ़ने का रूख।

क्यासुल फुकाहा ः नास ओर इजमा में साफ न लिखी गई चीज़ों को दूसरे मसले से मिलाकर देखना जो उससे मिलता जुलता हो **इज्तिहाद**।

कुतबुल आफिरीन ः एक वली सबसे ऊँचे ओहदे का।

रब ः अल्लाहु तआला, ख़ालिक।

रमज़ान ः इस्लामी केलेंडर का एक पाक महीना।

रसूल ः पैग़म्बर नबी।

रियाज़त ः जो **नफ्स** चाहे उसे ना करना।

सहाबी ः वह लोग जिन्होंने हुजूर पाक को देखा और यकीन किया।

सलाम ः **1** सलामती की दुआ **2** अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जों सलाम करने की हालत में पढ़ा जाता है।

सालिह ः जो नेकी के काम करे।

शाफई ः इमाम शाफई के ज़रिए स्थापित किए गया मसलक ।

शेख अल इस्लाम ः इस्लामिक हुकुमत में इस्लाम के मामलों को देखने वाले सबसे बड़े अफसर।

सिद्दीक ः नबी के सबसे वफादार।

सूफी ः वो जिसने तसव्वुफ में बहुत पढ़ा और सीखा हो और उसमे माहिर हो गया हो।

सुहबा ः वली या नबी का साथ या सोहबत।

सुलाहा ः **सालिह** की जमा।

सुन्नत ः हुज़ूर पाक का तरीका कुछ भी काम करने का जिसपे अमल करने पर सवाब मिलता है।

सूरत ः कुरआन पाक की सूरह।

तकवा ः अल्लाह का ख़ौफ और हराम चीज़ों से बचना।

तसव्वुफ ः ईमान को मज़बूत करने के लिए नबी के किये हुए कामों का इल्म लेना और दोहराना।

तवाफ ः हज के दौरान ख़ाने काबा के चारों तरफ चक्कर लगाना।

तौबा ः पछता के माफी मांगना।

सवाब ः अल्लाहु तआला का आख़िरत में अजर देने का वादा उन चीज़ों पर जो उसे पसन्द है।

उलेमा ः **आलिम** की जमा।

उम्मा ः मुस्लिम उम्मत।

वही ः अल्लाह तआला के ज़रिये नबियों पर नाज़िल किया गया इल्म।

वाजिब ः हुज़ूर पाक ने जिन चीज़ों को कभी न छोड़ा हो जरूरी फर्ज़ की तरह।

वली ः जिन लोगों को अल्लाह तआला ने पसन्द किया

और उनकी हिफाज़त की।

विलाया ः वली बनने का ज़माना।

ज़ुहुद ः दुनियावी चीज़ों को अपने दिल से ना लगाना।

हुसैन हिल्मी इशिक

'रहमतुल्लाही अलैहि'

हुसैन हिल्मी इशिक 'रहमतुल्लाही अलैहि' हकीकत किताबेवी की इशाअतों के नाशिर, अय्युब सुल्तान, इस्तानबुल **1329** (**1911** ए.डी) में पैदा हुए थे।

उनकी इशाअत करदा **140** किताबों मे से, **60** अरबी मे, **25** फ़ारसी मे, **14** तुर्की में, और बाकी दूसरी किताबों को अंग्रेज़ी, फ्रेन्च, जर्मन, रशिया और दूसरी जुबानों मे इशाअत की।

हुसैन हिल्मी इशिक 'रहमतुल्लाही अलैहि' सय्यद अब्बदुल हकीम अरवासी के ज़रिए सिखाए गए इस्लाम के एक अच्छे आलिम और तस्व्वुफ़ के फ़ज़ाइल के बहतर और मुरीदों को पक्के तरीके से राह दिखाने के काबिल शौहरत और अकलमंदी के हाकिम ऐसे मिजाज़ के थे, इस्लाम के महान आलिम खुशियों की राह दिखाने के काबिल थे, और वे **25** अक्तूबर सन **2001** की बीच रात के दौरान (**8** शाबान **1422**) मे वफ़ात पा गए। जहाँ वे पैदा हुए थे, अय्युब सुल्तान मे उन्हे दफ़नाया गया।

BOOKS PUBLISHED BY HAKIKAT KITABEVI

ENGLISH:

1- Endless Bliss I, 304pp.
2- Endless Bliss II, 400 pp.
3- Endless Bliss III, 336 pp.
4- Endless Bliss IV, 432 pp.
5- Endless Bliss V, 512 pp.
6- Endless Bliss VI,352 pp.
7- The Sunni Path, 112 pp.
8- Belief and Islam, 128 pp.
9- The Proof of Prophethood, 144 pp.
10- Answer to an Enemy of Islam, 128 pp.
11- Advice for the Muslim, 352 pp.
12- Islam and Christianity, 336 pp.
13- Could Not Answer, 432 pp.
14- Confessions of a British Spy, 128 pp.
15- Documents of the Right Word, 496 pp.
16- Why Did They Become Muslims?, 304 pp.
17- Ethics of Islam, 240 pp.
18- Sahaba 'The Blessed', 384 pp.
19- Islam's Reformers, 320 pp.
20- The Rising and the Hereafter, 112 pp.
21- Miftah-ul-janna, 288 pp.

DEUTSCH:

1- Islam, der Wee der Sunniten, 128 Seiten
2- Glaube und Islam, 128 Seiten
3- Islam und Christentum, 352 Seiten
4- Beweis des Prophetentums, 160 Seiten
5- Gestandnisse von einem Britischen Spion, 176 Seiten
6- Islamische Sitte, 288 Seiten

EN FRANCAIS:

1- L'slam et la Voie de Sunna, 112 pp.
2- Foi et Islam, 128 pp.
3- Islam et Christianisme, 304 pp.
4- L'evidence de la Prophetie, et les Temps de Prieres, 144 pp.
5- Ar-radd al Jamil, Ayyuha'l-Walad (Al-Ghazali), 96 pp.
6- Al-Munqid min ad'Dalal, (Al-Ghazali), 64 pp.

SHQIP:

1- Besimi dhe Islami, 96 fq.
2- Nibri Namazit, 208 fq.
3- Rrefimet e Agjentit Anglez,112 fq.

ESPANOL:

1- Creencia e Islam, 112

По руссКИ:

1- ВсеМ hYЖНаЯ Вера. (128) сТр.
2- npHSHdHHH AnrjiHftcKoro UlriHOHa, (144) CTp.
3- KnTa6-yc-CajiaT (MojiHTseHHHK) KHHra o HaMase, (224) ctd.
4- 4-OCbiH moh (256) crp.
5- PeJiHFfl McJiam (256) crp.

BOSHNJAKISHT:

1- Iman I Islama. (128) str.
2- Odgovor Neprijatelju Islam, (144) str.
3- Knjiga o Namazu, (192) str.
4- Nije Mogao Odgovoriti. (432) str.
5- Put Ehl-I Sunneta. (128) str.
6- Ispovijesti Jednog Engleskog Spijuna. (144) str.